पंचम माला, खंड 61, अंक 33, बुधवार, 5 मई, 1976/15 वैशाख, 1898 (शक)

Fifth Series, Vol. LXI, No. 33, Wednesday, May 5, 1976/Vaisakha 15, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

16वां सत्र

[Sixteenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 61 में अंक 31 से 40 तक हैं]

[Vol. LXI contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषाओं आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

1—426LSS/76

विषय सूची/CONTENTS

अंक 33, बुधवार, 5 मई, 1976/15 वैशाख, 1898 (शक)

No. 33, Wednesday, May 5, 1976/Vaisakha 15, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*तारांकित प्रश्न संख्या 669 से 674, 676, 677 और 679 से 681	*Starred Questions Nos. 669 to 674, 676, 677 and 679 to 681 . .	1—15
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या : 688, 675, 678 और 682 से 688	Starred Questions Nos. 668, 675, 678 and 682 to 688 . . .	15—20
अतारांकित प्रश्न संख्या 3306 से 3348 और 3350 से 3390	Unstarred Questions Nos. 3306 to 3348, and 3350 to 3390 . .	21—65
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table .	65—66
सम्मिति के लिए निर्वाचन	Election to Committee .	67
नारियल जटा बोर्ड	Coir Board	
अनुदानों की मांगें, 1976-77	Demands for Grants, 1976-77 .	67—98
कृषि और सिंचाई मंत्रालय :	Ministry of Agriculture & Irrigation	67—98
श्री शक्ति कुमार सरकार	Shri Sakti Kumar Sarkar	67—68
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	69
श्री शिव शंकर प्रसाद यादव	Shri Shiv Shankar Prasad Yadav	69
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shankar Dayal Singh	
श्री पी० वेंकटासुबैय्या	Shri P. Venkatasubbaiah	70—72
श्री एस० पी० भट्टाचार्य	Shri S. P. Bhattacharya	72
श्री श्याम सुदर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra	73—74
श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय	Shri Narsingh Narain Pandey	74—75
श्री रणबहादुर सिंह	Shri Ranabahadur Singh	75—76
श्री कृष्ण राव पाटिल	Shri Krishnarao Patil	76—77

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually. asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री जगदीश नारायण मण्डल	Shri Jagdish Narain Mandal	77—78
श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी	Shri P. Narasimha Reddy	78—79
श्री भगत राम मनहर	Shri Bhagat Ram Manhar	79—80
श्री के० प्रधानी	Shri K. Pradhan	80—82
श्री मोहम्मद जमीलुर्रहमान	Shri Mohd. Jamilurrehman	82—83
श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shirde	83—86
श्री सी० डी० गौतम	Shri C. D. Gautam	86—87
श्री बनमाली पटनायक	Shri Banamali Patnaik	87—88
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया	Shri Raghunadan Lal Bhatia	88
श्री दलीप सिंह	Shri Dalip Singh	88—89
प्रो० एस० एल० सक्सेना	Prof. S. L. Saksena	89—90
श्री एन० पी० यादव	Shri N. P. Yadav	90
श्री डी० के० पंडा	Shri D. K. Panda	90
श्री जगदीशनाथ मिश्रा	Shri Jagannath Mishra	91
श्री एम० एस० संजीवी राव	Shri M. S. Sanjeevi Rao	91—92
श्री राम भगत पासवान	Shri Ram Bhagat Paswan	92
श्री एस० एन० सिंह देव	Shri S. N. Singh Deo	92—93
श्री आर० एन० बर्मन	Shri R. N. Barman	93—94
श्री डी० पी० जदेजा	Shri D. P. Jadeja	94—95
श्री तय्यब हुसैन	Shri Tayyab Hussain	95—96
श्री स्वामी ब्रह्मानन्दजी	Shri Swami Brahmanandji	96
श्री बी० आर० शुक्ला	Shri B. R. Shukla	96—97
श्री विश्वनारायण शास्त्री	Shri Biswanarayan Shastri	97—98
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjivan Ram	98
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	97
61वां प्रतिवेदन	Sixty First Report	

लोक-सभा वाद विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 5 मई, 1976/15 वैशाख, 1898 (शक)

Wednesday, May 5, 1976/Vaisakha 15, 1898 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Setting up of Television Centres

*669. SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(*a*) the names of cities in the country where television centres are proposed to be set up in 1976-77;

(*b*) whether this expansion programme is likely to cover some rural areas also; and

(*c*) if so, the broad outlines thereof ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (*a*) TV transmitting centres are likely to be set at Jaipur, Hyderabad, Raipur and Cuttack by March, 1977 and those at Muzaffarpur, Gulbarga and Kanpur by June 1977. It is also proposed to commission a relay centre at Mussoorie in a couple of months time depending upon availability of adequate power supply.

(*b*) & (*c*) : The six terrestrial transmitters proposed to be set up for TV transmission to SITE areas after withdrawal of NASA Satellite will together cover about 40% of SITE villages. The range of each of these transmitters will extend to about 40-70 Kms depending upon terrain etc. The transmitters will accordingly cover a large number of other villages also in addition to the SITE villages within their range.

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : It has been stated several times in the reply to my previous questions that a TV centre will be set up in 1976 but later on it has been stated that it will be done in 1977. The reply given today contains the names of Jaipur, Hyderabad, Raipur and Cuttack but Patna does not find place in it.

MR SPEAKER : The name of Muzaffarpur is there.

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : There is difference between Muzaffarpur and Patna. I would like to know the progress made in regard to setting up of a TV Centre at Patna in 1977. Whether Government will formulate any scheme to cover more rural areas under this programme as there is no better medium of imparting education than this and 50 per cent of its benefit should go to urban areas and the 50 per cent to rural areas ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : The Satellite Programme is entirely for rural areas and urban areas are not concerned with it. Therefore, the scheme for setting up of a Satellite transmitter at Muzaffarpur is meant to cover more rural areas whereas setting up of a transmitter at Patna will not cover so much rural areas. Hence there is proposal to set a transmitter at Muzaffarpur.

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : On page 1 of the Annual Report for the year 1975-76 of the Ministry of Information and Broadcasting it has been stated that TV Centres emphasized on joint effort for economic development both in regular and SITE programmes.

Only 2400 villages out of 5 lakh villages are covered under the SITE programme at present. I would like to know the number of more villages to be covered under the scheme proposed to be formulated in 1976-77.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I had indicated in my original reply that the terrestrial transmission will cover only 40 percent of the villages taking advantage of satellite transmission. The remaining 60 percent villages will not be benefited. Besides, about 8000 villages, which are not covered under the SITE programme, will start receiving this service. The main question is to instal TV sets, in these villages in the event of commissioning of terrestrial transmission. This service will not serve any purpose till community viewing sets are installed in each village. Therefore, we are trying to arrange Community viewing sets under the Terrestrial transmitters for the villages in addition to the 40 percent villages to be covered under TV service so that transmitters in the villages falling in the range may not remain idle and the service can be made available to villagers.

श्री के० लकप्पा : कुछ राज्यों को टेलीविजन गतिविधियों के विस्तार से कोई लाभ नहीं हो रहा है । बंगलौर इस बारे में उचित स्थान है । अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय बंगलौर के तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लाभ के लिए बंगलौर में एक टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : वास्तव में यह एक सुझाव है । परन्तु गुलबर्गा में एक ट्रांसमिटर लगाया जा रहा है । यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे मूल रूप से साइट कार्यक्रम के लिये चुना गया था । यहां से बंगलौर के लिए भी कार्यक्रम ट्रांसमिट किये जाएंगे ।

SHRI K. M. MADHUKAR : I would like to know what will be the power of the TV transmitting centre proposed to be set up at Muzaffarpur and whether it will serve the people of villages of Champaran and Chupra ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : The trasmitter proposed to be set up at Muzaffarpur will be of 1 Kilowatt power and of those at Hyderabad and Jaipur will be of 10 kilowatt power as has been set up in Delhi. I am not aware whether it will cover Chupra etc. It's range is 50 to 70 kms. In case these places fall in this range from Muzaffarpur, they will certainly covered.

श्री जगन्नाथ राव : इस समय साइट के अन्तर्गत कुछ गांव ही आते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि और कितने अधिक गांवों तक यह सेवा पहुंचेगी ? हमारे पास कलकत्ता और मद्रास के बीच सह एरियल है । क्या इसका उपयोग किया जा सकता है ताकि इसके समवर्ती अधिक गांवों को इसका लाभ मिल सके ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैने बताया है कि 2400 मूल साइट गांवों में से 40 प्रतिशत गांव इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आयेंगे जहां कुछ समय बाद जमीन से ट्रांसमिशन होगा । परन्तु 40 प्रतिशत गांवों के अतिरिक्त 8000 और गांव भी इसके अन्तर्गत आयेंगे । अत: जमीन से ट्रांसमिशन के अन्तर्गत वर्तमान में 2400 के स्थान पर लगभग 10,000 गांव आयेंगे । हम इस ट्रांसमिशन क्षेत्र के बढ़ाने के लिए हर सम्भव प्रयास करेंगे बशर्ते कि हम पर्याप्त मात्रा में कम्युनिटी सेट लगा सकें । जैसाकि मैंने पहले बताया है कि सभी स्थानों पर ट्रांसमिटर लगाने का कोई लाभ नहीं होगा जब तक सेट नहीं लगाये जाते।

पंचेश्वर पन-विजली परियोजना के लिए भारत-नेपाल संयुक्त समिति

*670. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम नेपाल और भारत की सीमा पर 'महाकाली' नदी पर 950 मेगावाट क्षमता की पंचेश्वर पन-बिजली परियोजना की जांच के लिए भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच विशेषज्ञों की एक संयुक्त समिति स्थापित करने पर सहमति हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : पंचेश्वर परियोजना संबंधी अन्वेषण कार्य में निदेश देने के प्रयोजन के लिए नेपाल और भारत छः सदस्यों के एक संयुक्त विशेषज्ञ दल का गठन करने के लिए सहमत हो गए हैं ।

श्री एन० ई० होरो : मेरे प्रश्न के भाग (ख) का पूरा उत्तर नहीं दिया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि हम इस परियोजना में कितनी धनराशि लगाएंगे, यह परियोजना कितने क्षेत्र में लागू होगी और इस परियोजना के पूरा होने के बाद हमें लगभग कितने प्रतिशत लाभ होगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : कितना क्षेत्र इस परियोजना के अन्तर्गत आयेगा और अन्य व्यौरा जैसे कि कितनी विद्युत का उत्पादन किया जायेगा आदि के बारे में निर्णाय लिया जाना शेष है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1960 से प्रारम्भिक जांच की है परन्तु अन्तिम परियोजना प्रतिवेदन तैयार नहीं हुआ है । केवल हाल में विदेश मंत्री की नेपाल यात्रा के दौरान नेपाल सरकार के साथ यह समझौता हुआ है कि हम इसकी आगे जांच करेंगे । अब सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में मार्च, 1976 में अधिकारियों के हाल के दौरे में छः सदस्यीय विशेष ग्रुप नियुक्त करने का निर्णय किया गया है। यह ग्रुप पहले से हुए कार्य की जांच करेगा और स्थान की खोज करने और परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने सम्बन्धी आगे कार्यवाही करेगा। इस समय निश्चित रूपरेखा देना कठिन है।

भारतीय तकनीशियनों द्वारा तथा अन्य देशों के सहयोग से परमाणु बिजली संयंत्रों की स्थापना

*671. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केवल भारतीय तकनीशियनों द्वारा तथा अन्य देशों के सहयोग से स्थापित किये जाने वाले परमाणु बिजली संयंत्रों के नाम क्या हैं ; और

(ख) प्रत्येक संयंत्र की लागत कितनी है ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रिनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) निम्नलिखित परमाणु विद्युत परियोजनाएं भारतीय तकनीशियनों द्वारा ही स्थापित की जा रही हैं :

मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना—पहला यूनिट
मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना—दूसरा यूनिट
नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना—पहला यूनिट
नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना—दूसरा यूनिट

राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना की स्थापना भारतीय इंजीनियरों द्वारा की जा रही है तथा इस काम में कनाडा के परामर्शदाताओं से सन् 1973 तक सहायता मिली थी। इस बिजलीघर के पहले यूनिट ने दिसम्बर, 1973 से व्यावसायिक स्तर पर बिजली का उत्पादन आरम्भ कर दिया था तथा दूसरे यूनिट के सन् 1977 में क्रांतिकता प्राप्त कर लेने की संभावना है।

(ख) उपर्युक्त परियोजनाओं में से प्रत्येक के लिए संस्वीकृत राशि निम्नलिखित है :—

राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना—पहला यूनिट	60.40 करोड़ रुपये
राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना—दूसरा यूनिट	66.85 करोड़ रुपये
मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना—पहला यूनिट	77.09 करोड़ रुपये
मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना—दूसरा यूनिट	70.63 करोड़ रुपये
नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना—पहला और दूसरा यूनिट	209.89 करोड़ रुपये

श्री शंकर राव सावंत : खुशी की बात है कि इनमें से अधिकांश संयत्र हमारे तकनीशियनों द्वारा स्थापित किये गये हैं परन्तु इन संयंत्रों की मशीनरी का कुछ भाग अवश्य आयातित होगा। मैं जानना चाहता हूं कि इन संयंत्रों के निर्माण में विदेशी मुद्रा वाले पुर्जे कौन से हैं और किन देशों से मंगाये गये हैं या मंगाये जा रहे हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : आर० ए० पी० I में 40% दशी पुर्जे हैं, आर० ए० पी० 2 में 60%; एम० ए० पी० यूनिट में 80% और नरोरा परियोजना में यह 85% है। विदेशी मुद्रा इस प्रकार है; करोड़ रुपयों में :

आर० ए० पी० I—30.64; आर० ए० पी० 2—24.92, एम० ए० पी० I—6.03, एम० ए० पी० 2—5.88 और नरोरा—2.41।

श्री शंकर राव सावंत: किस तारीख से इनके चालू होने की सम्भावना है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : एम० ए० पी० I 1978 के अन्त तक चालू हो जायेगा; एम० ए० पी० यूनिट-2 1979 के मध्य तक, नरोरा यूनिट-I 1981 तक और यूनिट-2 1982 क चालू हो जायेगा।

श्री राम सहाय पाण्डे : देशी परमाणु विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने से पूर्व कुछ परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित किये गये थे उनमें कुछ पुर्जे आयातित थे, परन्तु भारतीय तकनीशियनों को पता चला कि वे खराब थे। क्या यह सच नहीं है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : तारापुर परियोजना एक अमरीकी फर्म द्वारा बनाई गयी और चालू की गई थी। राजस्थान के लिए हमारे पास कनाड़ा के परामर्शदाता थे। परन्तु जैसाकि मैंने कहा है कि 1973 में आर० ए० पी० यूनिट-I के पूरा होने के बाद यूनिट केवल भारतीय इंजीनियरों द्वारा बनाया गया और चालू किया गया जिसमें मशीनरी का लगाया जाना शामिल है।

श्री बी० के० दासचौधरी : देश में देशी तकनोलोजी और अनुभव उपलब्ध है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए देश के विभिन्न भागों में और परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने में क्या कठिनाइयां हैं? उदाहरणत: पूर्वी सेक्टर के लिए बंगाल-बिहार सीमा पर एक परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने की मांग की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है विशेषकर इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि ऐसे विद्युत संयंत्रों की लागत बहुत अधिक नहीं है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : प्रत्येक क्षेत्र में कितने तापीय, कितने पनबिजली और कितने आण्विक संयंत्र स्थापित करने हैं इस बात का निर्णय पंचवर्षीय योजना और कभी-कभी 10 वर्ष की अवधि के फ्रेमवर्क में किया जाता है। यह कहना कठिन है कि किसी क्षेत्र में कब नया आण्विक स्टेशन स्थापित किया जायेगा। परन्तु जहां तक पूर्वी क्षेत्र का सम्बन्ध है, कोयले की उपलब्धता और कतिपय जल संसाधनों के कारण इस समय विद्युत स्टेशन बनाना आसान है। देश में गुजरात जैसे क्षेत्र हैं जहां न तो कोयला है और न ही जल संसाधन हैं। ऐसे क्षेत्रों में पहले आण्विक स्टेशन स्थापित करना राष्ट्र हित में है।

शिव सेना पर प्रतिबन्ध के बारे में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री का वक्तव्य

*672. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री द्वारा हाल ही में बम्बई में दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि शिव सेना पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय केन्द्रीय सरकार ही कर सकती है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री के ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) केन्द्र सरकार उन संगठनों की गतिविधियों पर कानून के अधीन उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए कड़ी निगरानी रखने हेतु राज्य सरकारों के साथ निकट का सम्पर्क रखती है, जो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच असन्तोष उत्पन्न करती हैं अथवा देश की सुरक्षा तथा एकता के प्रतिकूल अव्यवस्था की परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं जानना चाहता हूं कि आपातस्थिति के लागू होने के तुरन्त बाद जिन संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है शिव सेना उनसे किस प्रकार भिन्न है। शिव सेना के प्रमुख बाल ठाकरे ने खुले रूप में कहा कि वह हिटलर में विश्वास रखते हैं जो उसके लिए आदर्श है और वह अपने आपको स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने वाले सिद्धांन्त का निर्माता है। और उसने राष्ट्रीय एकता को खतरा पैदा किया है। मेरी समझ में नहीं आता

कि सरकार इस संगठन को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आनन्द मार्ग और नक्सलपंथी उग्र-पन्थी के संगठनों, जिन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है, से किस प्रकार भिन्न समझती है और इस पर प्रतिबन्ध लगाने में विलम्ब क्यों हो रहा है जबकि महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र को अपने विचार भेजे हैं ?

श्री के० ब्रह्मानन्द : देश की सुरक्षा के हित में जिन संगठनों के विरुद्ध सरकार ने कार्यवाही करना उचित समझा, 3 जुलाई को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आनन्द मार्ग जे० ई० आई० और अन्य संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। यह सर्वविदित है कि शिव सेना की गतिविधियां संकीर्ण विचारधारा की हैं और जिन्हें कभी-कभी भाषायी अल्पसंख्यकों की दृष्टि से ठीक नहीं समझा जाता । मैं कहना चाहता हूं कि शिवसेना की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और समय आने पर सरकार कार्यवाही करने में नहीं हिचकिचायेगी। यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि इसके प्रमुख ने आपात स्थिति का स्वागत किया है और 20-सूत्री कार्यक्रम का समर्थन किया है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : उत्तर का अन्तिम भाग अत्यन्त आपत्तिजनक है क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री, जिन्होंने केन्द्र से सम्पर्क किया है, से प्रेस कांफ्रेन्स में श्री बाल ठाकरे द्वारा आपातस्थिति और 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम दिये गये कथित समर्थन के बारे में पूछा गया था। उन्होंने कहा :

"मैं उसे ऐसा नहीं समझता ...।" उन्होने यह भी कहा :

"यह समर्थन अस्पष्ट ढंग से व्यक्त किया गया है और मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा।"

यह 12 नवम्बर, 1975 को कहा गया था। और यहां मंत्री महोदय देश के सबसे अधिक राष्ट्रविरोधी और फासिस्टवादी संगठन को यह प्रमाण पत्र दे रहे हैं। जब तक यह सौदेबाजी और अवसरवादिता चलती है तब तक इस प्रकार की निगरानी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है ...।

मैं मंत्री महोदय से यह जनाना चाहता हूं कि शिव सेना पर प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाया गया ? शिवसेना की गतिविधियों पर नजर रखने का क्या अर्थ है? क्या उसे बढ़ावा देना ?

श्री के ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैंने केवल इस तथ्य को बताया था कि श्री बाल ठाकरे ने आपातस्थिति और 20-सूत्री कार्यक्रम का समर्थन किया है। मैने इस बात का पता नहीं लगाया कि उनका यह वक्तव्य गम्भीरता से दिया गया है या नहीं । बात इतनी सी है...

(व्यवधान)

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : आज बाल ठाकरे एक सभा कर यह बताएंगे कि गृह मंत्री ने मेरा समर्थन किया है।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने भी यह कहा है कि मुझे भी यह पता लगाना है कि श्री ठाकरे के 20-सूत्री कार्यक्रम का समर्थन करने में सत्यता है अथवा नहीं । मैं सदस्यों को यह बता दूं कि कोई किसी दल मात्र आपातस्थिति और 20-सूत्री कार्यक्रम का समर्थन करने से प्रतिबन्ध लगाए जाने से नहीं बच सकता । असल बात तो यह है कि उसकी गतिविधियां क्या हैं और क्या वे पर्याप्त रूप से गम्भीर हैं। मैं शिव सेना को सर्वथा दोष रहित नहीं पाता । मैं नहीं कहता कि शिव सेना में संकीर्णता नहीं है।

प्रधान मन्त्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री और अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : महत्व की बात यह नहीं है कि शिवसेना 20-सूत्री कार्यक्रम की समर्थक है अथवा नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि महाराष्ट्र में उसकी गतिविधियां क्या हैं। मैं जानती हूं कि यह संगठन संकीर्ण भावना से पूर्ण है। परन्तु यह एक क्षेत्र तक सीमित है। इस संगठन ने देश के अन्य सभी भागों के हितों के विरुद्ध कार्य किया है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या अब भी वे उसी नीति का पालन कर रहे हैं। इस पर ध्यान रखना है।

लघु उद्योगों के लिए मद सूची

673. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु एककों के लिए मदों की सूची का हाल ही में विस्तार किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो उन मदों के नाम क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : जी नहीं।

(ख) : प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : एक बार पहले श्री मंत्री महोदय ने यही उत्तर दिया था। परन्तु अब मैं उनके वरिष्ठ सहयोगी से यह पूछना चाहता हूं कि लघु उद्योगों को रियायतें और सुविधाएं किस आधार पर दी जाती हैं।

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पै) : हमने 147+30 कुल 177 उद्योग लघु उद्योग क्षेत्र में आते हैं इस सम्बन्ध में लगातार अध्ययन किया जा रहा है कि कौन से अन्य उद्योगों को इसमें शामिल किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में विचार उनकी तकनीकी और आर्थिक उपयुक्तता के आधार पर किया जाएगा। इस समय भी कुछ उद्योगों पर विचार हो रहा है और तथा उन्हें हम अपनी सूची में शामिल करेंगे तथा इसी प्रकार यह सूची बढ़ती चली जाएगी।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : ए० सी० कन्टक्टर, पी० वी० सी० फुटवियर स्टेनलैस स्टील के उत्पादों का निर्माण आदि का उत्पादन लघु क्षेत्र में किए जाने पर पहले प्रतिबन्ध लगाया गया था। क्या अब उनका उत्पादन करने की अनुमति दी जाएगी तथा आवश्यक कच्चा माल दिया जाएगा।

श्री टी० ए० पै : लघु क्षेत्र को बढ़ाने की सरकार की नीति है, हमें प्रसन्नता है कि देश में ऐसे 5 लाख कारखाने हैं वे देश के औद्योगीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनकी वित्त अथवा कच्चे माल सम्बन्धी सभी समस्याओं को हल किया जाएगा यदि कोई विशेष बात ध्यान में लाई गई तो हम निश्चय ही तुरन्त कार्रवाई करेंगे।

SHRI NATHU RAM AHIRMAN : Whether it is not correct that small scale industries are being set up in the cities where large scale industries are already in operation and in rural and backward areas no industry is being set up ? Whether in future government will give license only to those persons who want to establish industries in backward and rural areas ?

श्री टी० ए० पाई : लघु उद्योगों को लाइसेंस नहीं लेना होता । स्वनियोजित और तक्नीकी लोगों के लिए यह क्षेत्र खुला है । हाल ही की जांच से हमें पता चला है कि इनमें से 60 प्रतिशत 4 महानगरों और 36 बड़े नगरों के पास ही हैं । हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिससे लघु उद्योगों की स्थापना पिछड़े क्षेत्रों में हो । उन्हें कुछ सुविधाएं आदि दी जाती हैं जिससे लघु उद्योगों की स्थापना पिछड़े क्षेत्रों में हो सके ।

SHRI SARJU PANDEY : Our past experience is that small industries are also set up where big industries are already functioning. The hon. Minister has just now stated that small industries would be set up in backward areas. Eastern U.P. and Bihar are the most backward areas of the country. May I know whether any special scheme in this regard is contemplated under the Fifth Plan ?

श्री टी० ए० पाई : हम चाहते हैं स्थानीय लोग नये उद्योग स्थापित करें । मुझे आशा है कि माननीय सदस्य उनको प्रोत्साहित करेंगे क्योंकि स्थानीय उद्योगपतियों को ही पहल करनी है ।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : छोटे उद्योगों को कच्चे माल की सप्लाई के सम्बन्ध में क्या संरक्षण प्रदान किया गया है क्योंकि कच्चे माल की सप्लाई बड़े घरानों के हाथ में है ? यद्यपि लघु उद्योगों को पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के अनुसार उत्पादन शुरू करना होता है परन्तु बड़े घरानों से उन्हें कच्चा माल नहीं मिलता तथा वह उन्हें चोर बाजार से खरीदना पड़ता है । अतः मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में उन्हें क्या विशेष आश्वासन दिया जा सकता है ?

श्री टी० ए० पाई : ऐसे मामले तब उठ खड़े होते है जबकि लघु उद्योगों को कच्चे माल के लिए बड़े उद्योगों पर निर्भर रहना होता है और वे उन्हें चोर बाजार से खरीदना पड़ता है । जब भी ये मामले जानकारी में लाए गये उन पर ध्यान दिया गया । हम आश्वासन देते है इसमें चोर बाजारी नहीं होगी तथा उन्हें निरन्तर सप्लाई मिलती रहेगी ।

श्री रण बहादुर सिंह : हमारी नीति लघु उद्योगों की स्थापना पिछड़े क्षेत्रों में करने की होनी चाहिए । क्या मंत्री महोदय पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए हर सम्भव प्रोत्साहन और आवश्यक आधार उपलब्ध कराएंगें ?

श्री टी० ए० पाई : हम ऐसा करने का प्रयत्न ही कर रहे हैं।

राज्यों द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराये जाने की मांग

*674. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975-76 के दौरान हिंसा वाले अपराधों के मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने की राज्यों की मांग बढ़ी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक तथा प्रशासनिक विभाग तथा संसदीय विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) 1975 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने हिंसा के 13 आपराधिक मामलों की जांच-पड़ताल का काम हाथ में लिया था । 1976 में अब तक उन्होंने दो मामले हाथ में लिये हैं । 1973 और 1974 की इसी अवधि के आंकड़े क्रमश: 5 और 4 हैं ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : अब तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो रिशवत, भ्रष्टाचार और सरकारी कर्मचारियों आदि के आचरण सम्बन्धी मामलों की ही जांच करना है । अब राज्य बहुत से मामले जांच के लिए भेज रहे हैं । गत वर्ष ऐसे कितने मामले जांच के लिए भेजे गये ?

श्री ओम मेहता : 1976 में 2 मामले भेजे गये । एक गुजरात से और दूसरा उत्तर प्रदेश से । गुजरात का मामला गत मार्च में बड़ौदा में विस्फोटक पकड़े जाने से सम्बन्धित था तथा उत्तर प्रदेश का मामला गत जनवरी में की गई एक लड़की की हत्या से ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : बड़ौदा के विस्फोटक के मामले का विवरण क्या है तथा उसमें कौन से राजनीतिक दल अन्तर्ग्रस्त हैं ?

श्री ओम मेहता : सभी राजनीतिक दलों सम्बन्धी जानकारी हमें नहीं है । अब तक की जानकारी के अनुसार ये विस्फोटक 8/9-3-75 को स्थानीय पुलिस ने पकड़े थे । उनका वजन 114 कि० ग्रा० था । ये एक परिवहन कम्पनी के गोदाम में पकड़े गये थे । अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है । एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में इसका ब्यौरा दिया गया है । उनमें से कुछ लोग समाजवादी दल तथा एक कांग्रेस संगठन से सम्बन्धित था । जांच करने पर पता चला कि उस विस्फोटक से देश के विभिन्न भागों में तोड़-फोड़ की कार्रवाई करने का सड़यंत्र था जिससे सरकार का पलटा उलटा जा सके और देश भर में असुरक्षा और आतंक का वातावरण बनाया जा सके ।

SHRI BIBHUTI MISHRA : Incidents of violence are on increase in, specially in Bihar. Prime Minister made a reference to that in a meeting in Patna. It is said that she has asked the Chief Secretary and Inspector General Police that if situation was not improved, Centre would have to intervene. What efforts are being done by the Centre to end this violence ?

PRIME MINISTER, MINISTER OF PLANNING, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF ELECTRONICS AND MINISTER OF SPACE (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : I will ask the hon. member not to believe rumours. It is correct that in some places violence has increased and we are paying attention towards that. Action is to be taken by the State but Centre is ready to give all possible help.

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या सरकार को पता है कि इस विस्फोटक में कुछ वाराणसी जाने वाला था, जहां प्रधान मंत्री जाने वाली थीं ?

श्री ओम मेहता : ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि वह वाराणसी जाना था । हमें यह जानकारी नहीं है कि प्रधान मंत्री वहां जाने वाली थीं ।

SHRI LALJI BHAI : In this reference I would like to know that whether State Governments have lost confidence in the local police and they are referring cases to C.B.I. The names of such States who have asked the C.B.I. to investigate.

SHRI OM MEHTA : This year two cases were referred. This is not correct that the States have no trust in local police but only such difficult cases are referred to the Centre, where State cannot investigate.

SH. MD. JAMILURRAHMAN : Sir, the Hon'ble Minister has just now mentioned some political parties in connection with the Baroda case. May I know the names of persons who were found to have links with those parties during the investigations ?

SHRI OM MEHTA : I have already mentioned them. I can repeat them for you,

Jaswant Singh Chuhan—Socialist Party.
Kirit Bhatt—PSP
K. Vikram Rao—PSP
Radhey Shyam Singh—PSP
Motilal Babu Kanogia—Socialist Party
Govind Bhai Solanki—Socialist Party
Prabhudas Patwari—Congress organisation

गुजरात में उद्योग स्थापित करने के लिए आशयपत्र जारी करना

*676 **श्री एन० आर० बेकारिया**
श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या **उद्योग और नागरिक** पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना अवधि में उद्योग स्थापित करने के लिए गुजरात राज्य में कितने आशयपत्र जारी किए गए, और

(ख) उद्योगों के नाम क्या हैं तथा उनकी स्थापना किन किन स्थानों पर की जायेगी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई):(क) गुजरात में नए औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए कैलेन्डर वर्ष 1974 और 1975 में 117 आशय पत्र जारी किए गए थे।

(ख) आशय पत्रों के विवरण, उद्योगों और स्थापना स्थलों के नाम आदि सहित "वीकली बुलेटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसेंज, इम्पोर्ट लाइसेंसेज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसेज" "इण्डियन ट्रेड जरनल" "जरनल आफ इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड", और मन्थली लिस्ट आफ लेटर आफ इन्टेंट एण्ड इण्डस्ट्रियल लाइसेंसेज', में प्रकाशित किए जाते हैं। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

SHRI ARVIND M. PATEL : Sir, you have issued 7 letters of intent, May I know the numbers of applications received in this connection and how many of them were rejected and what were the reasons for their rejection ? Secondly I want to know the number of persons out of these 117 persons who have actually started work for setting up industries?

श्री टी० ए० पाई : महोदय देश भर में वर्ष 1973, 1974, 1975 और 1976 की प्रथम तिहाई के दौरान क्रमशः 3280, 4372, 1882 और 219 आवेदन प्राप्त हुए थे। बाद के दो वर्षों में सी० ओ० बी०, उवर्रक और के० एफ० टी० जेड० शामिल नहीं हैं। गुजरात राज्य से वर्ष 1973, 1974, 1975 और 1976 की प्रथम तिहाई के लिए क्रमशः 294, 370, 252 और 14 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से बाद के दो वर्षों में सी० ओ० बी०, उर्वरक और के० एफ० टी० जेड०. शामिल नहीं। गुजरात राज्य से प्राप्त आवेदनों के लिए

वर्ष 1973, 1974 और 1975 में क्रमशः 98, 125 और 107 आशय पत्र जारी किये गये थे। इन में चीनी, कपड़ा और आटा मिलों के लिए जारी किये गये लाइसेंस शामिल नहीं। 1952 से 1971 तक वनस्पति तेल और कोयले के लिए 603 एकक थे। इनमें से 412 में वास्तविक उत्पादन और कार्यान्वयन हो रहा है। 22 के बारे में प्रभावी कदम उठाये गये हैं, 41 के बारे में कार्यान्वयन नहीं किया गया, 37 रद्द किये गये, वापस किये गये अथवा उन्हें बंद कर दिया गया तथा 47 एककों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

श्री बी० वी० नायक : पिछले दिनों भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ को सम्बोधित करते हुए माननीय उद्योग मंत्री ने कहा था कि जिन लाइसेंसों के कार्यान्वयन में विलम्ब होता है उन्हें रद्द कर दिया जायेगा। क्या मैं जान सकता हूं कि आशय पत्र अथवा लाइसेंस में कोई समय-अवधि निर्धारित की जायेगी और उस अवधि के दौरान कार्यान्वयन न किये जाने पर लाइसेंस अपने आप रद्द हो जायेगा?

अध्यक्ष महोदय : यह आम प्रश्न न होकर गुजरात के बारे में था।

श्री बी० वी० नायक : यह भी लाइसेंस से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री बी० वी० नायक : मंत्री जी उत्तर देने के लिए तैयार हैं। इस का उत्तर न देना अनुचित होगा। मंत्री जी ने नीति सम्बन्धी वक्तव्य दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप ने कहा था कि गुजरात के बारे में है लेकिन सामान्य प्रश्न पूछ लिया।

श्री बी० वी० नायक : गुजरात के बारे में ही बताया जाये।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

कोका कोला निर्यात निगम के व्यापार चिन्ह

*677. **श्री एच० एन० मुकर्जी**
श्री रानेन सेन : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्णय कर लिया है कि 31 दिसम्बर, 1976 के बाद कोका कोला निर्यात निगम के व्यापार चिह्न (ट्रेड मार्कस) जारी नहीं रखे जायंगे ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अमरीका के कोका कोला निर्यात निगम को इस निर्णय की सूचना दे दी है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन द्वारा व्यापार चिन्हों का प्रयोग करने की अनुमति देने के लिए दिए गए आवेदन पत्र सरकार के विचाराधीन हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री एच० एन० मुकर्जी : यह बहुत थका देने वाला विषय है। कुछ मास पहले यह बताया गया था कि 31 दिसम्बर, 1976 ही अंतिम तारीख होगी। यह शत प्रतिशत विदेशी

कम्पनी है। इसकी इक्विटी में 40% तक हिस्सा रखने का प्रश्न नहीं उठता। आजकल इसका निर्यात अधिक नहीं है। बल्कि मंत्री जी के अनुसार तो कम्पनी का निर्यात कम हो रहा है। अतः शत प्रतिशत निर्यात का प्रश्न नहीं है। इस संगठन को सदा के लिए क्यों बनाये रखा जा रहा है? सरकार द्वारा कम्पनी के प्रति इस प्रकार की सहानुभूति का रवैया क्यों अपनाया जा रहा है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई०): कम्पनी के साथ सहानुभूति रखने का कोई प्रश्न नहीं है। एफ० ई० आर० ए० के अन्तर्गत उनका आवेदन प्राप्त हुआ है और वह विचाराधीन है। लेकिन सारी समस्या यह है कि अभी हमने उन्हें पूरी तरह छोड़ कर जाने के लिए नहीं कहा है और यदि वे हमारे द्वारा बनाये गये सभी विनियमों का पालन करने को तैयार हैं तो उनके लाइसेंस पर विचार किया जा सकता है लेकिन ऐसा देश हित और निर्यात हित में होना आवश्यक है। लेकिन यह तथ्य है कि निर्यात में कमी हो रही है। कोई निर्णय लेते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा।

श्री एच० एन० मुकर्जी : वित्त मंत्री द्वारा सभा के सम्मुख दिये गये वक्तव्य तथा अन्य मंत्रियों द्वारा दिये गये इस आशय के वक्तव्यों को देखते हुए कि कोका कोला कारपोरेशन से जितनी जल्दी छुटकारा पाया जा सके उतना ही अच्छा है, क्या मैं जान सकता हूं कि चार वर्ष पुराने एफ० ई० आर० ए० के कार्यान्वियन के नाम पर इस कम्पनी को कितनी देर तक प्रसन्न रखने के प्रयास जारी रखे जायेंगे? कोका कोला से पूर्व भारतीय ठंडे पेय हमारी जरूरत के हिसाब से हमें उपलब्ध होते थे जिन्हें लघु पैमाने पर चलाया जाता था। यह बात बिल्कुल नहीं है कि कोका कोला हमें कोई अनिवार्य वस्तु दे रहा है। हमें अपने देश के ठंडे पेय उद्योग के पुनरुद्धान के लिए कितनी प्रतीक्षा करनी होगी ?

श्री टी० ए० पाई : अधिक नहीं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि देश में ठंडे पेय उपलब्ध कराने के लिए हम मूल्यवान् विदेशी मुद्रा खोनी नहीं चाहते। यह उद्योग पिछले 15 वर्षों से चल रहा है। उनके 23 संयंत्र चल रहे हैं जिनमें लगभग 20,000 आदमी काम करते हैं और उसमें 6 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है। लेकिन बोतलों वालों या उपभोक्ताओं को ध्यान में रख कर कोई निर्णय नहीं लिया जायेगा। लेकिन विभिन्न प्रकार से मांगें आई हैं और दबाव भी डाला जा रहा है कि बोतलों का क्या होगा ? निःसन्देह हम देश हित को सर्वोपरि रखेंगे।

डा० रानेन सेन : मंत्री जी ने कहा कि कोका कोला को बंद करने का मामला विचाराधीन है और शीघ्र ही कोई निर्णय लिया जायेगा। श्री शशि भूषण के एक प्रश्न के उत्तर में उस समय वित्त मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम ने कहा था कि हम जितना शीघ्र कोका कोला कारपोरेशन से छुटकारा पा लें उतना ही अच्छा है। श्री एच० एन० मुकर्जी ने भी यही बात कही है। यह मामला 1-1/2 साल से लटका हुआ है। क्या इसका कारण यह है कि सरकार के भीतर कोका कोला के पक्षधर काफी शक्तिशाली हैं और इसी कारण सरकार एफ० ई० आर० ए० की धारा 28 (1) के अन्तर्गत इस कम्पनी की पूंजी में भारतीय हिस्सा बढ़ाने के लिए भी दवाव नहीं डाल रही ? सरकार कोका कोला के हिमायतियों से कब तक छुटकारा पा लेगी।

श्री टी० ए० पाई : ऐसी बात माननीय सदस्य की केवल कल्पना है। ऐसे कोई हिमायती सरकार में नहीं हैं । हम में से किसी को भी कोका कोला पीने की लत नहीं । इस लिए ऐसा कहना ठीक नहीं कि हम निर्णय लेने में देर कर रहे हैं। हम से कहा जाता है कि सरकार द्वारा कठोर निर्णय लेने से 20,000 लोग बेरोजगार हो जायेंगे । हमने सी० एफ० टी० आर० आई० से विकल्प तैयार करने के लिये कहा था और इसका प्रबन्ध हो भी गया है । हमें इस बात की चिंता नहीं कि कोका कोला पीने वाले इसे पसंद करेंगे या नहीं। इस उद्योग में भारतीय पूंजी लगाने के लिये कहने का हमें अधिकार है । कोका कोला वालों का आवेदन प्राप्त हुआ है और उस पर निर्णय लिया जायेगा।

श्री रामसहाय पाण्डेय : क्या सरकर का विचार है कि जो विदेशी मुद्रा कोका कोला वाले यहां कमाते हैं उसे यूं ही बर्बाद न करके या अमरीका न भेज कर इसी देश में उसका निवेश किया जाये ।

श्री टी० ए० पाई० : उन्होंने 6 करोड़ रुपये की परिसम्पत्ति एकत्र कर ली है । हम इस पर विचार करेंगे कि इस का किस प्रकार उपयोग किया जाये और किस उद्योग में लगाया जाये ।

श्री के० एस० चावड़ा : श्री शशि भुषण के एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा था कि अमरीका की कोका कोला कम्पनी, जो इस व्यापार चिह्न की मालिक है, यहां कोका कोला बोतलों में भरने वालों से कोई स्वामित्व नहीं लेती लेकिन उन्हें कोका कोला निर्यात निगम से कच्चा माल यानि कोका कोला का मसाला खरीदना पड़ता है । यह एक प्रकार से स्वामित्व देना ही हुआ । क्या सरकार कोका कोला के मसाले पर आने वाली लागत का पता लगा कर उसका विक्रय मूल्य निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कब, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री टी० ए० पाई : यदि कोका कोला को चलने दिया गया तभी यह प्रश्न सामने आयेगा अन्यथा इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं ।

बिजली की लाइनें बिछाने के लिए जम्मू तथा काश्मीर राज्य को ऋण

*679. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर राज्य को बिजली की लाइनें बिछाने के लिए 115 लाख का ऋण दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) :(क) 220 किलो वोल्ट की पठानकोट-उधमपुर-चेनानी अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइन के निर्माण के लिए जम्मू व कश्मीर सरकार को 1975-76 में 115.53 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया था।

(ख) इस ऋण की अदायगी $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज सहित 25 (पच्चीस) बराबर-बराबर वार्षिक किस्तों में की जानी है।

SHRI JAGANNATH MISHRA : May I know the names of state which are covered under this scheme and whether all the amount of loan will be utilized by Jammu & Kashmir alone or the same will be shared by other states also ? Has the work on this scheme been commenced ? If so, the time by which it will be completed ?

PROF. SIDDHESWAR PRASAD : The work has already been started under the scheme and it is hoped that it will be completed by the end of this year. So far as the question of granting loans for construction of transmission lines is concerned other states will also get loans.

MR. SPEAKER : What are the other states?

PROF. SIDDHESWAR PRASAD : It is a long list. Many states are getting the loans.

SH. JAGANNATH MISHRA : Whether other states are agreeable to the same terms and conditions governing the loans for setting up industries under the scheme, as are applicable to the State of Jammu & Kashmir ? If so, the names thereof ?

PROF. SIDDHESWAR PRASAD : As has been stated in reply to the main question the loan is granted for inter-state lines. The states which have obtained loans under this scheme are as follows, Andhra Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, J & K, Kerala, Maharashtra, Karnataka, Uttar Pradesh, Manipur, Nagaland, Tamilnadu, West Bengal and D.V.C. which also covers Bihar.

The loan is repayable in 25 years with interest at the rate of 5-1/2% per annum.

Facilities to Khadi and Village Industries

*680. SHRI CHIRANJIB JHA, SHRI K.M. MADHUKAR : Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(*a*) whether Government propose to extend to the Khadi and Village industries facilities similar to those provided to the handloom industries, and

(*b*) if so, the salient features thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI A. P. SHARMA) : (*a*) and (*b*) The Khadi sector has traditionally enjoyed a special status with Government giving special attention to its development. The Khadi and Handloom sectors enjoy several concessions which are common to both, such as reservation of certain varieties of cloth for manufacture in these sectors, cash assistance for the export of fabrics and garments and concessional finance under the Differential Rate of Interest Scheme. In addition to this Government also extends special preference to the Khadi sector with respect to purchases required for Government use. In order to encourage sales of Khadi products, Government has also made available a rebate on retail sales.

SHRI K. M. MADHUKAR : Sir, the Khadi industry is employing lakhs of workers and the khadi cloth particularly woolen and silken clothes have created their good market. May I know whether Government propose to extend to the khadi and village industries facilities similar to those provided to the handloom industries so that the target fixed for the khadi industry may be achieved.

SHRI A.P. SHARMA : The khadi cloth manufactured as handlooms is provided many facilities. So there is no point in comparing the both. Rs. 180 crores have been provided in the form of grant under a special scheme formulated to develop khadi industry.

SHRI K .M. MADHUKAR : Shri Jaya Prakash Narain was the Chairman of Khadi Gramodyog Sangh, Bihar where lot of bungling has taken place. May I know the reasons for not paying arrears of provident fund amounting to Rs. 90 lakhs to the workers inspite of the Patna High Court judgement in this regard ? Whether Government propose to take any action to get due arrears cleared so that the workers may be encouraged to work more for the development of khadi.

SHRI A. P. SHARMA : It is true that the amount of arrears is to the time of Rs. 90 lakhs but at present so much amount can not be arranged by the khadi Commission. We will make efforts to get the arrears cleared.

श्री परिपूर्णानन्द पेन्यूली : खादी और ग्राम उद्योग रोज़गार उन्मुख हैं । जैसा कि मंत्री जी को पता है कि खादी ग्रौर ग्रामोद्योग ग्रायोग को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता का एक बड़ा भाग प्रशासनिक व्यय के रूप में चला जाता है। रोज़गार उन्मुख योजनाग्रों पर ही ग्रधिका-

धिक धन व्यय न हो इसे रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है और क्या खादी और ग्रामोद्योग के विकेन्द्रीकरण का कोई प्रस्ताव है ?

श्री ए० पी० शर्मा : खादी और ग्रामोद्योग का कार्य दो अभिकरणों द्वारा चलाया जाता है। राज्यों में ग्राम और खादी उद्योग बोर्डों द्वारा तथा दूसरे सीधे खादी आयोग द्वारा। यह कहना ठीक नहीं कि खादी आयोग तथा ग्रामोद्योग को दिया जाने वाला अधिकतर धन संस्थापन व्यय के रूप में चला जाता है।

औद्योगिक विस्फोटक पदार्थों की कमी

*681. **श्री वसंत साठे** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विस्फोटक पदार्थों में भारी कमी की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) निकट भविष्य में औद्योगिक विस्फोटक पदार्थों की कमी होने की कोई संभावना नहीं है।

(ख) और (ग) औद्योगिक विस्फोटक पदार्थों की आगामी कुछ वर्षों में पूर्वानुमानित बढ़ी हुई मांग को पूरा करने हेतु सरकार ने इस वस्तु के लिए पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है।

श्री वसंत साठे : बहुत समय पहले डा० त्रिगुण सेन ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि एक औद्योगिक विस्फोटक पदार्थों के निर्माण के लिए सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना लगाया जायेगा। क्या आप बतायेंगे कि इस बारे में देश की बढ़ रही आवश्यकताओं को देखते हुए क्या प्रगति हुई है और यह कब कार्य आरम्भ कर देगा ?

श्री बी० पी० मौर्य : इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इस में कुछ समय लगेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

परमाणु ऊर्जा के बारे में ज्युलिच में आयोजित होने वाली भारत-पश्चिम जर्मनी विचार गोष्ठी

*668. **श्री राजदेव सिंह** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा के बारे में एक संयुक्त भारत-पश्चिम जर्मनी विचार-गोष्ठी इस वर्ष जून के अन्त तक ज्यूलिच में आयोजित होने की संभावना है ;

(ख) क्या भारत के परमाणु ऊर्जा वैज्ञानिक केवल परमाणु रिऐक्टरों के निर्माण तथा उसके रख-रखाव सम्बन्धी समस्याओं के बारे में पश्चिम जर्मनी के परमाणु वैज्ञानिकों से विचार-विमर्श करेंगे ; और

(ग) गोष्ठी की कार्य-सूची में और क्या मदें हैं ?

प्रधान मंत्री योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमति इंदिरा गांधी) : (क) जर्मन संघीय गणराज्य में ज्युलिच नामक स्थान पर 29 जून से 2 जुलाई, 1976 तक "परमाणु विद्युत संयंत्र-प्रचालन" विषय पर एक संयुक्त भारत-जर्मन संघीय गणराज्य सेमिनार आयोजित किया जा रहा है।

(ख) तथा (ग) इस सेमिनार में परमाणु ऊर्जा विभाग के भारतीय वैज्ञानिक और जर्मन संघीय गणराज्य के वैज्ञानिक विद्युत रिऐक्टरों के प्रचालन तथा अनुरक्षण के सम्बन्ध में लेख प्रस्तुत करेंगे और इस विषय पर विचार-विमर्श करेंगे ।

कोयले की कुल बिक्री में अत्यधिक कमी के कारण उत्पादन कम किया जाना

*675. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की कुल बिक्री में अत्यधिक कमी हो जाने के कारण सरकार उत्पादन की गति धीमी करने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या कोयला खानों में लगी जनशक्ति के युक्ति संगत उपयोग के लिए कोई योजना बनाई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, बिजलीघरों और सीमेंट कारखानों को कोयला चूरे तथा सोफ्ट कोक के अलावा जहां कोयले की मांग अनुमानित स्तर से कम रही, और किसी प्रकार के कोयले के उठान में कोई सामान्य कमी नहीं हुई है । इस्पात तथा अन्य विविध उद्योगों से संबंधित कुछ अन्य क्षेत्रों की मांग अनुमानित स्तर से अधिक रही है ।

(ख) और (ग) श्रमशक्ति का युक्तिसंगत उपयोग एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है । कम्पनियां अपने उत्पादन को बाजार मांग के अनुसार नियमित करने की दृष्टि से मजदूरों को फेर-बदल कर काम पर तैनात करती रहती हैं। मजदूरों को फेर-बदल कर काम पर लगाने तथा खनन प्रैद्योगिकी में परिवर्तन की दृष्टि से अकुशल मजदूरों को अधिक उत्पादकता की दृष्टि से अर्ध कुशल और पूर्व कुशल काम की ट्रेनिंग देना जरूरी होता है।

कोका कोला का अनुकल्प तैयार करने के लिए फार्मूला

*678. **श्री डी० के० पंडा** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :--

(क) क्या केन्द्रीय खाद्य प्रोद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान ने कोका कोला का अनुकल्प तैयार करने के लिए फार्मूला विकसित किया है,

(ख) यदि हां, तो कोका कोला निर्यात निगम को दी गई अनुमति को वापिस लेने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है, और

(ग) बौटलिंग उद्योग का पूर्णतया भारतीयकरण करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) सेन्ट्रल फूड टैक्नोलोजीकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर ने एक फार्मूला विकसित किया है जो कोका कोला पेय का विकल्प बन सकता है।

(ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) कोका कोला भरने वाली कंम्पनियां (बोटलर) भारतीय कंपनियां ही हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय अपराधी

*682. **श्री शशि भूषण** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति की घोषणा के पश्चात् भारत में कितने अन्तर्राष्ट्रीय अपराधियों को दण्ड दिया गया ;

(ख) ऐसे अपराधियों की देशवार संख्या क्या है तथा उन्होंने किस प्रकार के अपराध किये थे ; और

(ग) भारत में विदेशी अपराधियों के सम्पर्कों का व्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) से (ख) तक : सहज उपलब्ध सूचना से प्रतीत होता है कि भारतीयों और विभिन्न देशों से आने वाले विदेशियों,, जिनका व्यौरा नीचे दिया गया है, समेत 106 अन्तर्राष्ट्रीय अपराधियों को आपातस्थिति की घोषणा के बाद विशिष्ट दण्डनीय अधिनियमों और निरोधात्मक अधिनियमों के अधीन भी दण्ड दिया गया है :—

राष्ट्रीयता	संख्या
यू० के०	27
ईरान	17
भारत	17
फ्रांस	7
अमरीका	7
स्विटज़रलैण्ड	4
कनाडा	3
आस्ट्रेलिया	3
श्रीलंका	3
अफगानिस्तान	2
मिश्र	2
यूगोस्लाविया	2
इटली, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपिंस, स्पेन, आस्ट्रिया, नीदरलैण्ड डेनमार्क, आयरलैण्ड, नेपाल, ब्राजील, पश्चिम जर्मनी	प्रत्येक का एक-एक

ये तस्करी, जालसाज़ी, धोखादड़ी, विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन, वर्जित/मादक वस्तुओं की तस्करी तथा उनके रखने के मामलों में अन्तर्ग्रस्त है। विदेशी अपराधियों के साथ सम्पर्कों की सूचना प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को आकाश-किनारो कोयला खान में दुर्घटना

***683. श्रीमति रोजा विद्या देश पांडे
सरदार सवर्ण सिंह सोखी** } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल, लिमिटेड की आकाशकिनारो कोयला-खान में एक बायलर के फटने से दो खनिज मारे गए थे ;

(ख) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के झरिया कोयला क्षेत्र में दो महीनों के भीतर ही बायलर फटने की यह दूसरी घटना थी ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? और

(घ) भविष्य में ऐसे विस्फोटों को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) दुर्घटना पुराने मरम्मत शुदा बायलर की अन्दरूनी परत के विफल हो जाने के कारण हुई, जो घिसकर पतली हो गई थी।

(घ) राज्य सरकारों के बायलर निरीक्षणालयों द्वारा नियमों के अनुसार निरीक्षण किया जाता है। कोयला कम्पनियों को ये हिदायतें भी जारी की जा रही है कि वे इस संबंध में और कड़े उपाए करें।

उग्रवादियों तथा प्रतिक्रियावादी ताकतों का पुनः सक्रिय होना

*684. **श्री भोगेंद्र झा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उग्रवादियों तथा प्रतिक्रियावादी तत्वों के पुनः सक्रिय होने के बारे में विभिन्न राज्यों से कुछ घटनाओं के समाचर मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) ऐसी विध्वंसकारी गतिविधियों के विरुद्ध क्या ठोस उपाय किये जा रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) हाल के महीनों में कुछ राज्यों से उग्रबादी हिंसा तथा प्रतिक्रियावादी गतिविधियों की कुछ घटना की सूचना मिली है किन्तु उनका दमन राज्य सरकारों द्वारा किए गए कठोर उपायों से कर दिया गया है।

(ख) इस अवस्था में इन घटनाओं के ब्यौरे देना लोक हित में नहीं होगा।

(ग) इन उपायों में प्रभावित क्षेत्र में पुलिस संगठन को मजबूत करना, उपयुक्त खुफिया प्रबंध करना और फरार उग्रवादियों तथा लड़ाकू तत्वों को पकड़ने के लिए निरन्तर अभियान चलाते रहना शामिल है।

राष्ट्रीय एकता परिषद

*685. **श्रीमति पार्वती कृष्णन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय एकता परिषद् को पुन: आरम्भ करने तथा उसका पुनगठित करने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या तथ्य हैं ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : (क) तथा (ख) सरकार ने राष्ट्रीय एकता से संबंधित प्रश्नों पर पूरी तरह से विचार करने की कार्यवाही शुरू कर दी है । राष्ट्रीय एकता परिषद तथा इसके अन्य निकायों को पुन: सक्रिय करने के प्रश्न पर यथासमय विचार किया जाएगा।

"नेशनल अपेक्स बाडी" (राष्ट्रीय सर्वोच्च निकाय) की कोयला उपसमिति की बैठक

*686. **श्री नरेंद्र कुमार सांधी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में "नेशनल अपेक्स बाडी" (राष्ट्रीय सर्वोच्च निकाय) की कोयला उपसमिति की कलकत्ता में बैठक हुई थी और उसने खनिकों के कल्याण सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार किया था ;

(ख) क्या उस बैठक में राष्ट्रीय क्षेत्र में कोयला खान भविष्य निधि संगठन और कोयला खान कल्याण संगठन के विलय की सिफारिश की गई थी ; और

(ग) उपरोक्त सिफारिश के अतिरिक्त अन्य कौन से सुझाव दिये गए थे और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) राष्ट्रीय शीर्षस्थ निकाय (नेशनल अपेक्स बाडी) की कोई उपसमिति नहीं है । हां कोयला उद्योग से संबंधित एक संयुक्त द्विपक्षीय वार्ता समिति अवश्य है जिसकी 20 मार्च, 1976 को कलकत्ता में बैठक हुई थी और उस बैठक में अन्य बातों के अलावा खान--मजदूरों के कल्याण संबंधी मामलों पर भी विचार हुआ था।

(ख) उस बैठक में कोयला खान भविष्य निधि संगठन और कोयला खान श्रम कल्याण संगठन को कोयला उद्योग द्वारा अपने हाथ में लेने का सवाल उठाया गया था। इससे पहले अवसरों पर संयुक्त द्विपक्षीय वार्ता समिति ने कोयला खान भविष्य निधि संगठन और कोयला खान श्रम कल्याण संगठन को सरकारी क्षेत्र की कोयला कम्पनियों के साथ मिला देने की सिफारिश की थी।

(ग) संयुक्त द्विपक्षीय वार्ता समिति ने 20 मार्च, 1976 की बैठक में सुरक्षा सम्मेलनों की सर्वसम्मत सिफारिशों, मजदूरों को आवास निर्माण और पेय जल तथा अन्य सुविधाएं जुटाने के उपायों तथा विभिन्न स्तर पर मजदूरों की भागीदारी योजना को लागू करने पर जोर दिया था । सरकारी क्षेत्र की कोयला कम्पनियां इन सुझावों को यथा संभव सीमा तक लागू करने की कोशिश कर रही हैं।

अनुसंधान का आयोजन करने वाले औद्योगिक एककों को लाइसेंस लेने से छूट

*687. **श्री रामसहायक पांडे** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसे औद्योगिक एककों को लाइसेंस लेने से छूट देने का है जो मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में अनुसंधान का आयोजन करते हैं, और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के विचार से सरकार देश में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित की गई प्रौद्योगिकी के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा देने लिए उत्सुक है। तदनुसार यह निश्चित किया गया है कि अबसे एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अतर्गत आने वाले उपक्रमों से भिन्न औद्योगिक उपक्रमों को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित किन्हीं प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित की गई प्रौद्योगिकी के आधार पर किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के लाइसेंसीकरण उपबंधों से छूट प्राप्त होगी। यह सुविधा ऐसी प्रयोगशालाओं द्वारा औद्योगिक उपक्रमों की ओर से किए जाने वाले अनुसंधान के मामलों में भी उपलब्ध होगी। यह सुविधा उसी हालत में सुलभ होगी जहां कि उत्पादन की वस्तु सरकारी क्षेत्र अथवा लघु उद्योग क्षेत्र में विकास के लिए आरक्षित होगी अथवा विशेष विनियमों से विनियमित नहीं होगी।

विश्वविद्यालयों को ग्रामीण विकास अनुसंधान के लिये वित्तीय सहायता

*688. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने वैज्ञानिकों द्वारा विश्वविद्यालयों में ग्रामीण विकास अनुसंधान के लिये शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता देने की योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) और (ख) विश्वविद्यालयों में ग्रामीण विकास संबंधी कार्य के लिये शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करने की सी० एस० आई० आर० (वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद) की कोई योजना नहीं है।

फिर भी, विश्वविद्यालयों : आई० आई० टी० ओ० ग्रामीण विकास कार्य के क्षेत्र में बढ़ती हुई संख्या के यथार्थ प्रत्याशियों को संबंधित ग्रामीण विकास कार्य करने के लिये छात्र-वृत्तियां प्रदान करने की बात पर बल देने के लिये एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। आशा की जाती है की चयन किये गये छात्र अनुसंधान-विकास (आर० एण्ड डी०) की समस्याओं में ग्रामीण क्षत्रों के विकास कार्यों से सीधा संबंध रखने वाले कार्य क्रियान्वित करेंगे।

तमिलनाडु में घुड़दौड़

3306. **श्री मुरासोली मारन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ऊटी में घुड़दौड़ पुनः आरम्भ करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) : मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये स्थगन आदेश और मद्रास नगर पुलिस व क्रीड़ा (संशोधन) अधिनियम, 1949 के साथ पठित तमिलनाडु घुड़दौड़ (पणक्रिया उन्मूलन) अधिनियम, 1974 के प्रवर्तन के स्थगन को ध्यान में रखते हुए मद्रास रेस क्लब ने 28-4-1976 से ऊटी में घुड़दौड़ पुनः आरंभ कर दी है । परन्तु राज्य सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

चीन द्वारा सीमा पर सड़कों का निर्माण

3307. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने तिब्बत में भारत की सीमाओं की ओर आने वाली लद्दाख और त्सेपला को छूती हुई सिक्किम और भूटान की सीमाओं के साथ-साथ अत्यधिक सैनिक महत्व की सड़कें बनाई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

रक्षा मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) हमारी सीमाओं के पार तिब्बत में चीनियों द्वारा सड़क निर्माण किए जाने की सरकार को जानकारी है ।

(ख) हमारी सुरक्षा को प्रभावित करने वाली इन और सम्बद्ध गतिविधियों का हमारे रक्षा आयोजन में ध्यान रखा जाता है ।

पिछड़े जिलों और आदिवासी क्षेत्रों में खर्चा की जाने वाली राशि के सम्बन्ध में राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धांत

3308. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को अपने राज्यों में क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए पिछड़े जिलों और आदिवासी क्षेत्रों में पर्याप्त धनराशि खर्च करने के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों के अन्तर्गत 1976-77 में उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों और पिछड़े जिलों में कुल कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप और आदिमजाति क्षेत्र की उप-योजनाएं तैयार करने के लिए जो मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी

किए गए हैं उनमें राज्य सरकारों से कहा गया था कि वे अपने पिछड़े और आदिम जाति क्षेत्रों के लिए समुचित परिव्यय आवंटित करें ।

(ख) राज्य सरकारें अपने पिछड़े और आदिम जाति क्षेत्रों के लिए योजना परिव्ययों के के आवंटन को निर्धारित करते समय उन पर विशेष ध्यान दे रही हैं।

(ग) उड़ीसा सरकार से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होते ही उपलब्ध करादी जाएगी ।

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट, आसाम में स्थानीय लोगों की नियुक्ति

3309. **श्री नुरुल हुडा** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट, आसाम में कितने प्रतिशत स्थानीय लोग (अर्थात राज्य के स्थाई निवासी) नियुक्त किए गए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट में 66 प्रतिशत स्थानीय लोग रोजगार पर नियुक्त किए गए हैं।

विदेशी मुद्रा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के लिए वर्ष 1975-76 में एकत्र की गई राशि

3310. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी मुद्रा प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के लिए वर्ष 1975-76 में कुल कितनी धनराशि एकत्र की ?

गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : अनुमानतः वहां संदर्भ विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के लिए प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा न्याय निर्णय को कार्यवाहियों के दौरान किए गए जुर्मानों की रकम की वसूली का है । 1975-76 के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने 65.58 लाख रुपए की राशि का जुर्माना वसूल किया है ।

पंजाब का पुनर्गठन पर सेवाओं का आबंटन

3311. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष, 1966 में पंजाब का पुनर्गठन होने के परिणामस्वरूप सेवाओं के अन्तिम आवंटन के कुछ मामले सरकार के पास अभी तक विचाराधीन हैं जिनमें आरम्भिक आवंटन के विरुद्ध अपील के मामले भी शामिल हैं ; और

(ख) सरकार द्वारा इन सभी मामलों को निपटाए जाने की संभावित तारीख क्या है ?

गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) यद्यपि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अधीन सेवा कार्मिकों के अन्तिम रूप से आवंटन से सम्बन्धित कार्य वस्तुतः पूरा हो गया है किन्तु कुछ

इक्के दुक्के मामले ऐसे हैं, जिनमें अन्तिम आवंटनों को अन्तिम रूप दिया जाना है। वे कुछ मामले और कुछ अपीलें उत्तराधिकारी राज्यों में लम्बित पड़े हुए हैं। इन मामलों को यथा सम्भव शीघ्र अन्तिम रूप दिए जाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

Encouragement to Hindi Dailies

3312. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(*a*) whether the number and circulation of Hindi dailies is very poor, keeping in view the population of Hindi speaking people; and

(*b*) if so, the steps taken by Government to encourage the Hindi dailies ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (*a*) No, Sir. Out of 822 dailies published as on 31-12-1974, the largest number, viz. 254, was in Hindi. As far as circulation is concerned, Hindi dailies stood second with a total circulation of 17,23,000.

(*b*) Government policy is uniform towards all language newspapers.

रंगीन फिल्मों का वितरण

3313. **श्री वयालर रवि** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रंगीन फिल्मों के वितरण के लिए कोई योजना शुरू की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूप-रेखा क्या है और रंगीन फिल्मों का आवंटन करने की पद्धति क्या है ; और

(ग) दक्षिण भारतीय फिल्मों के लिए रंगीन फिल्में उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) रंगीन माल सहित सिने कोरी फिल्मों के वितरण की वर्तमान नीति वर्ष 1976–77 के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित आयात व्यापार नियंत्रण नीति में दी हुई है।

(ख) इसमें मुख्य रूप से (1) रुपया मुद्रा क्षेत्र से आयातित रंगीन सिने कच्चे माल के निर्बाध रिलीज की, और (2) सामान्य मुद्रा क्षेत्र से रंगीन माल के 200 प्रतिशत निर्यात दायित्व जिसे बांडों और बैंक गारंटियों द्वारा समर्थित किया जाना होता है, के बदले में, विभिन्न चरणों में, रिलीज की व्यवस्था है।

आयात और वितरण फिल्म वित्त निगम के माध्यम से होता है।

(ग) सिने कोरी फिल्मों के प्रादेशिक आधार पर वितरण के मामले में कोई भेदभाव नहीं है। तथापि, प्रादेशिक फ़िल्मों के लिए विदेशों से उपयुक्त बाजार ढूंढ़ने में कठिनाइयों को देखते हुए, इस बात की जांच की जा रही है कि क्या प्रादेशिक फिल्में तैयार करने के लिए सामान्य मुद्रा क्षेत्र से रंगीन कच्चे माल के रिलीज के बारे में निर्यात दायित्व कुछ सीमा तक कम किया जा सकता है या नहीं।

पोर्ट ब्लेयर में नेताजी की प्रतिमा स्थापित करना

3314. श्री समर गुह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोर्ट ब्लेयर में नेताजी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए कुछ धनराशि नियत की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) कलाकार से प्रतिमा की ढलाई के कार्य को पूरा करने का अनुरोध किया गया है ताकि 1976 के अन्त तक इसे स्थापित किया जा सके ।

Percentage of Electricity Supplied to Farmers

†3315. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(*a*) the percentage of electricity out of the total electricity production in the country, being supplied to farmers for operating tubewells and pumps for lift irrigation and its per unit rate in different States; and

(*b*) whether only small portion of country's total power production is supplied to farmers at much higher rates than those charged from industries ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF ENERGY (PROF. SIDDHESWAR PRASAD) : (*a*) The electricity sales to farmers for operating tubewells and irrigation pumps accounted for about 14·3% of the total electricity sales in the country during 1974-75. The average rate of supply of electricity to farmers as on 1-3-1976 is given below :

State	Average rate (including duty/tax) per unit for 5 H.P. at 10% load factor
	(Paise/kwh)
Andhra Pradesh	21·51
Assam	14·00
Bihar	21·23
Gujarat	22·83
Haryana	21·76
Himachal Pradesh	10·00
Jammu & Kashmir	11·50
Karnataka	19·68
Kerala	9·90
Madhya Pradesh	16·00
Maharashtra	20·00
Nagaland	12·00
Orissa	17·50
Punjab	21·80
Rajasthan	21·00
Tamil Nadu	16·00
Tripura	22·00
Uttar Pradesh	27·57
West Bengal	38·00

(*b*) The quantum of electricity consumed in the agricultural sector for irrigation pumps etc. is next only to consumption in industry. By and large, agricultural power tariffs in the States are lower than the rates of supply to small industries of comparable connected loads.

Applications for setting up industries in Madhya Pradesh

3316. SHRI G.C. DIXIT : Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to refer to the reply given on the 9th April, 1975 to Unstarred Question No. 5611 regarding applications for licences for setting up industries and state the progress in disposing of 16 applications for setting up industries in Madhya Pradesh ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI B.P. MAURYA) : All the 16 applications, referred to in reply to Unstarred Question No. 5611 (Lok Sabha) on 9th April, 1975. have since been disposed of.

गैर सरकारी क्षेत्र में रुग्ण एकक

3317. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **उद्योग और नागरिक** पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कलकत्ता में बताया था कि गैर सरकारी क्षेत्र में एककों के रुग्ण होने का मुख्य कारण प्रबन्धकों की अकुशलता है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रबंधकों की अकुशलता के कारण रुग्ण हुए कारखानों के नाम क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पम्पसेट की मोटरों में धारित्र (कैपेसीटर) लगाना

3318. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य विद्युत् बोर्डों का विचार कृषि विद्युत् उपभोक्ताओं के लिए यह अनिवार्य करने का है कि वे अपने पम्पसेट की मोटरों में धारित्र लगाएं अथवा यह कार्य अनिवार्य कर दिया गया है ;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में व्यापक आलोचना की जानकारी है कि यह कदम धारित्र निर्माताओं के अधिक हित में उठाया जा रहा है ; और

(ग) इसकी आवश्यकता और पम्पसेट की मोटरों में धारित्र लगाने की लागत के सम्बन्ध में सही स्थिति क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हाँ । हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम और राजस्थान के राज्य बिजली बोर्डों ने विद्युत् ऊर्जा दिए जाने की शर्तों में संशोधन कर दिया है । इन शर्तों के अनुसार इनडक्टिव विद्युत् उपभोक्ताओं द्वारा, जिनमें कृषि उपभोक्ता भी शामिल हैं, केपेसिटर्स लगाया जाना अनिवार्य कर दिया है । अन्य राज्य बिजली बोर्डों ने भी विद्युत् ऊर्जा दिए जाने की शर्तों में संशोधन सम्बन्धी कार्रवाई आरम्भ कर दी है ।

(ख) इस प्रकार की आलोचना की कोई जानकारी सरकार को नहीं है ।

(ग) देश में पारेषण तथा वितरण प्रणाली में हो रही भारी हानि को कम करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। जहां रिएक्विट विद्युत् की आवश्यकता होती है वहां पर केपेसिटर्स

प्रतिष्ठापित करके हानियों को वास्तविक रूप में कम किया जाता है। बिजली के पम्पसेट चलाने वाली इन्डक्शन मोटरों में रिएक्विट विद्युत् का काफी प्रयोग होता है। अतः इन पम्पसेटों पर केपेसिटर्स का प्रतिष्ठापन उचित समझा गया है। इससे उपभोक्ता को विद्युत् पूर्ति होने की स्थिति में भी सुधार होता है।

मोटर के सिरों पर एक केपेसिटर के प्रतिष्ठापन के कृषि उपभोक्ता का 400 रुपए से लेकर 500 रुपए के बीच व्यय होता है।

निकोबार की आदिवासी जातियों का भारतीय अवस्थापकों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार

3319. **श्री आर० पी० दास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकोबार वासियों के कुछ दल दिन प्रति दिन भारतीय अवस्थापकों के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपना रहे हैं;

(ख) इस मामले में निकोबार द्वीपसमूह की आदवासी जातियों में जिन विदेशी मिशनरियों को कार्य करने दिया गया है उनके द्वारा क्या भूमिका अदा की जा रही है; और

(ग) इस बात के क्या कारण हैं कि अन्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की आदिवासी जातियों में व्यक्तियों और भारतीय और मिशनरियों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि निकोबार वासियों का कोई दल अन्य क्षेत्रों से आए अवस्थापकों के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपना रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि निकोबार द्वीप समूह के आदिवासियों में किन्हीं विदेशी मिशनरियों को कार्य करने की अनुमति नही दी गई है।

(ग) अभी तक ऐसे कोई व्यक्ति निकोबार द्वीप समूह में आदिवासियों में कार्य करने के लिए आगे नहीं आए हैं। भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के कुछ कार्यकर्त्ता अन्डमान द्वीप समूह के आदिवासियों में कार्य कर रहे हैं।

तिब्बतियों को भारतीय नागरिकता

3320. **श्री बालकृष्णन वेंकन्ना नायक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत म जन्मे तिब्बती बच्चों को संविधान के अनुसार, स्वतः ही भारतीय नागरिक माना जाएगा;

(ख) क्या भारत में पांच वर्षों से अधिक समय से रह रहे तिब्बतियों को नागरिक अधिकार मिल जाएंगे;

(ग) क्या इस आशय के कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 26 जनवरी, 1950 को अथवा इसके बाद भारत में पैदा हुआ प्रत्येक व्यक्ति नागरिकता अधिनियम, 1955 की उप धारा (2) के अपवादों के अधीन रहते हुए उसकी धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन जन्म से भारत का नागरिक बन जाता है ।

(ख) वे तिब्बती जो भारत में आए तथा पांच वर्ष से अधिक अवधि से भारत में रह रहे हैं, तभी नागरिकता के अधिकार प्राप्त कर सकेंगे जब उन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6 के अधीन देशीकरण के प्रमाणपत्र प्रदान कर दिए जाते हैं।

(ग) तथा (घ) सरकार को तिब्बतियों से देशीयकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए कुछ आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और इन पर विषय सम्बन्धी नियमों तथा विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

ऋण गारन्टी योजना का सहाय लघु एककों पर विस्तार

3321. **श्री के० मालन्ना : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऋण गारन्टी योजना का उस प्रकार विस्तार करने का निर्णय किया है कि सहायक लघु एकक उसके अन्तर्गत आ जाएं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री ए० पी० शर्मा):(क) जी, हां ।

(ख) अभी तक लघु उद्योगों के लिए ऋण गारन्टी योजना के अन्तर्गत केवल ऐसे ही औद्योगिक उपक्रम आते थे जिनमें "लघु उद्योगों" की सामान्य परिभाषा के अनुरूप संयंत्रों और मशीनों पर होने वाला निवेश 7.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होता था । "लघु उद्योगों" और "सहायक उद्योगों" की परिभाषा का पुनरीक्षण करके उनमें संयंत्रों और मशीनों पर होने वाले निवेश की सीमा मई, 1975 में बढ़कर क्रमश: 10 लाख रुपए और 15 लाख रुपए कर दी गई थी । फिर भी, ऋण गारन्टी योजना की सुविधा अगस्त, 1975 में एकक के "लघु उद्योग" अथवा "सहायक उद्योग" होने के बावजूद उन सभी उपक्रमों को भी दे दी गई थी जिनका संयंत्रों और मशीनों में निवेश 10 लाख रुपए से अधिक नहीं था । और आगे विचार करने के बाद संयंत्रों और मशीनों में 10 लाख रुपए से अधिक परन्तु 15 लाख रुपए से अनधिक वाले "सहायक उद्योगों" को भी "सहायक उद्योगों" की सामान्य परिभाषा के अनुरूप ऋण गारन्टी योजना की सुविधा दे दी गई है ।

Retired IAS Officers re-employed in Central Government Services

3322. SHRI M.C. DAGA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(*a*) the number of retired I.A.S. Officers, re-employed in Central Government Services from 1975 onwards indicating the posts on which re-employed; and

(*b*) the amount paid to them as their salaries as also the time since when they have been re-employed and the necessity to retain them ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA) : (*a*) and (*b*) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

उड़ीसा की सिंचाई योजना

3323. **श्री रामभगत पासवान** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा की सिंचाई योजना को मंजूरी दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) और (ख) योजना आयोग ने उड़ीसा की वार्षिक योजना 1976–77 के लिए 124.67 करोड़ रुपए अनुमोदित किए हैं। इस परिव्यय में सिंचाई के लिए रखे गए 25.90 करोड़ रुपए शामिल हैं, जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है :—

		(करोड़ रुपए)
क. मुख्य और मझोली सिंचाई परियोजनाएं		
(क) जिन स्कीमों पर काम हो रहा है		
1. मुख्य स्कीमें		
1. महानदी डेल्टा .	5.00	
2. सलांदी . . .	0.51	
3. आनन्दपुर . . .	0.25	5.76
2. मझोली स्कीमें (संख्या 18) . .	7.82	7.82
जोड़ . . .		13.58
(ख) नई स्कीमें		
1. मुख्य स्कीमें		
1. रेगली बहुद्देशीय स्कीम .	1.90	
2. अपर कोलाब . .	1.00	2.90

2. मझोली स्कीमें	2.46	2.46
जोड़ (ख)		5.36
(ग) सर्वेक्षण और अन्वेषण	0.40	
(घ) बाढ़ नियंत्रण कार्य . .	0.56	
जोड़ (क), (ख), (ग) और (घ)		19.90
ख. छोटी सिंचाई		6.00
		25.90
1976-77 में निर्मित होने वाली सम्भावित क्षमता .		(000 हेक्टर)
मुख्य और मझोली सिंचाई		40.00
छोटी सिंचाई		83.00

केरल में दूरदर्शन केन्द्र

3324 **श्रीमति भार्गवी तनकप्पन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने केरल में एक दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना के लिए अभ्यावेदन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां । सितम्बर, 1975 में, राज्य सरकार ने यह सुझाव दिया था कि उपग्रह शैक्षिक दूरदर्शन प्रयोग कार्यक्रमों का केरल में विस्तार किया जाए और पांचवीं योजना के दौरान त्रिवेन्द्रम, कोचीन और कालिकट के आस-पास तीन ट्रांसमिटिंग स्टेशन और एक स्टूडियो स्थापित किए जाएं ।

(ख) उपग्रह शैक्षिक दूरदर्शन प्रयोग कार्यक्रमों का केरल में विस्तार करने की व्यावहारिकता की जांच की गई थी । तथापि, यह पाया गया था कि तकनीकी कारणों यथा सिगनल की शक्ति, अतिरिक्त भाषाओं में कार्यक्रम तैयार करने की सीमित क्षमता और शैक्षिक दूरदर्शन प्रयोग के अन्य पहलुओं, से ऐसा करना सम्भव नहीं होगा । जहां तक राज्य सरकार के सुझाव के दूसरे भाग का प्रश्न है, आर्थिक संसाधनों की तंगी के कारण पांचवीं योजना के दौरान केरल राज्य में कोई दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करना सम्भव नहीं पाया गया ।

3—426 LSS/76

महाराष्ट्र में टेलिविजन केन्द्र

3325. श्री अन्नासाहेब गोटखिण्डे : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में अतिरिक्त टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ये केन्द्र कब तक कार्य करना आरम्भ कर देंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

तमिल नाडु में मेवाझी सभा के मुख्यालय पर छापा

3326. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम्
श्री एम० कतामुत्तु } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में मेवाझी सभा से सम्बन्धित एक व्यक्ति के निवास स्थान से कुछ खतरनाक हथियार पकड़े गए थे ;

(ख) क्या इस सभा की गतिविधियों के बारे में कोई जांच की गई है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) तक सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

उड़ीसा से आई० ए० एस०/आई० एफ० एस० आई० पी० एस० के लिए उम्मीदवार

3327. श्री अर्जुन सेठी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार उड़ीसा के कितने उम्मीदवार भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती हुए ; और

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों की संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

भारतीय प्रशासन सेवा आदि परीक्षाओं के आधार पर भारतीय प्रशासन सेवा/भारतीय विदेश सेवा/भारतीय पुलिस सेवा में सम्मिलित हुए उड़ीसा के उम्मीदवारों की संख्या

क्रम सं०	सेवा	परीक्षा 1972				परीक्षा 1973				परीक्षा 1974			
		सामान्य	अनु० जा०	अनु० जन जा०	योग	सामान्य	अनु० जा०	अनु० जन जा०	योग	सामान्य	अनु० जा०	अनु० जन जा०	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	भा० प्र० से०	10	1	2	13	2	1	—	3	4	—	—	4
2.	भा० वि० से०	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1
3.	भा० पु० से०	2	—	—	2	3	—	—	3	6	1	—	7

मशीनी औजारों के लिए ब्रिटेन से क्रयादेश

3328. **श्री के० लकप्पा** : क्या **उद्योग** और **नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने हाल ही में मशीनी औजारों के लिए हमारे देश को क्रयादेश दिए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां ।

(ख) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को 1975-76 में ब्रिटेन से 29.30 लाख रु० के मूल्य की ए-24 एन० सी० की 15 मशीनों के लिए क्रयादेश प्राप्त हुआ है । इसके अतिरिक्त, 5 अन्य भारतीय कम्पनियों को भी ब्रिटेन से 161.91 लाख रु० के मूल्य के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं ।

पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा आयोजित विकास परियोजना स्थलों में प्रेस दौरा

3329. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस सूचना ब्यूरो ने पूर्वोत्तर राज्यों के छोटे समाचारपत्रों के सम्पादकों के लिए देश में विभिन्न विकास परियोजना स्थलों पर कोई प्रेस दौरा आयोजित किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस दौरे के लिए चुने गए संपादकों के नाम क्या हैं और उन पर इस दौरे का क्या प्रभाव पड़ा; और

(ग) इन छोटे समाचार-पत्रों के बारे में प्रेस सूचना ब्यूरो का रवैया क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) 9 पत्रकारों जिनमें 7 सम्पादक, एक उप सम्पादक और एक संवाददाता है, की एक सूची संलग्न है । उन्होंने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, दिल्ली, बम्बई और कर्नाटक में परियोजना स्थलों का दौरा किया था । दौरे पर जाने वालों ने यह राय व्यक्त की थी कि दौरा बहुत उपयोगी था ।

(ग) पत्र सूचना कार्यालय की नीति हमेशा छोटे और मझोले दर्जे के समाचारपत्रों की सहायता करने की रही है । पत्र सूचना कार्यालय छोटे और मझोले दर्जे के समाचारपत्रों को विशेष रूप से लिखी गई विकासात्मक कहानियां, सामयिक रुचि के लेख, फोटो सेवा, एबोनाइड ब्लाक, उर्दू के समाचारपत्रों के लिए चर्बा सेवा, उदार प्रत्यायन सुविधाएं, आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करता है और उनके लाभ के लिए दौरों का भी आयोजन करता है ।

विवरण

1. श्री नीतू अंगामी, सम्पादक, 'सिटिजन्स वाइस' कोहिमा ।
2. श्री जे० एन० चटर्जी, उप सम्पादक, 'नागालैण्ड टाइम्स', दीमापुर ।
3. श्री एल० हरीसन, सम्पादक, 'काप्यर्ता यू रियूलुम', शिलांग ।
4. श्री बी० एफ० सईम, सम्पादक; 'का लिगविग्राईपेई', शिलांग ।
5. श्री बी० शल्लम, समाचार सम्पादक, 'डू नफांग', जोवाई ।
6. श्री एच० पी० लिटन, सम्पादक, 'यू पारा दि', जोवाई ।

7. श्री के० ग्रार० इंगदियार, संवाददाता, 'दि इम्प्लेंटर', शिलांग ।

8. श्री पूर्णा ए०, संगम, एम० ए० एल० एल० बी०, सम्पादक, चदम्बेनी, कुरांग, तुरा, मेघालय ।

9. श्री रणजीत नाग, सम्पादक, 'शिलांग हेरल्ड', शिलांग ।

नकद राज सहायता देने के मानदंड

3330. **श्री टुना उरांव** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नकद राज सहायता देने के लिए जिलों को सम्मिलित किए जाने के क्या मानदण्ड हैं; ग्रौर

(ख) पश्चिम बंगाल के पुरुलिया ग्रौर बांकुरा में उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) योजना ग्रायोग ने नकद सरकारी सहायता स्वीकृत करने वाली योजना में जिलों को शामिल करने के लिए निम्नलिखित मानदण्ड निश्चित किए हैं :—

(1) जिला ग्रार्थिक ग्रौर ग्रौद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा होना चाहिए ग्रौर ग्रौद्योगिक विकास के लिए ग्रावश्यक न्यूनतम ग्रवस्थापन सुविधाएं होनी चाहिए ।

(2) उक्त कोटि में ग्राने वाले इन जिलों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित मार्ग-दर्शी सिद्धान्त सुझाए गए हैं :—

(1) प्रति व्यक्ति खाद्यान्न/वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन इस दृष्टि से कि जिला मुख्य रूप से खाद्यान्नों का उत्पादन करता है ग्रथवा वाणिज्यिक (नकद) फसलों का (अन्तर्राज्यीय तुलना के लिए खाद्यान्नों और नकद फसलों की बिक्री दरों का सुनिश्चय ग्रावश्यकतानुसार पूर्व निश्चित ग्राधार पर राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए ।

(2) खेतिहर मजदूरों की ग्राबादी का ग्रनुपात ।

(3) प्रति व्यक्ति ग्रौद्योगिक उत्पादन (सकल) ।

(4) प्रति लाख ग्राबादी पर कारखाना कर्मचारियों की संख्या ग्रथवा विकल्प के रूप में प्रति लाख की ग्राबादी पर द्वितीयक ग्रौर तृतीयक महत्व के कार्यों में लगे कर्मचारियों की संख्या ।

(5) बिजली की प्रति व्यक्ति खपत ।

(6) ग्राबादी के संदर्भ में समतल सड़कों की लम्बाई या ग्राबादी के संदर्भ में रेलवे लाइन के मीलों की संख्या ।

केवल उन जिलों को ही वित्तीय संस्थाग्रों से मिलने वाले उपयुक्त प्रोत्साहन के लिए चुना जाना चाहिए जिनके ग्रांकड़े राज्य के ग्रौसत ग्रांकड़ों से काफी कम हों ।

(3) ऊपर बताए गए मानदण्ड के आधार पर पिछड़े जिलों का चयन कर लिए जाने के बाद राज्य सरकारों से पिछड़े राज्यों में से छः जिलों के नाम और अन्य राज्यों से 3 जिलों के नाम सीधे सरकारी सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ भेजने का अनुरोध किया गया है । केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा की गई उपर्युक्त सिफारिश के आधार पर जिलों का चुनाव किया था ।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रसारित ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम योजना के अधीन ग्रामीण उद्योग परियोजनाएं स्थापित करने के लिए पहले क्रम में बांकुरा और द्वितीय क्रम में पुरुलिया को चुना था ।

बांकुरा और पुरुलिया ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं में सहायता प्राप्त औद्योगिक इकाइयों की संख्या निवेश, उत्पादन का कुल मूल्य और रोजगार सम्बन्धी मार्च, 1975 तक की वास्तविक प्रगति निम्नलिखित है :—

उल्लेख मार्च, 1975 तक :—

	बांकुरा	पुरुलिया
1. स्थापित किए जाने वाले सहायता प्राप्त औद्योगिक एककों की सं० (इकट्ठी) . . .	2600	100
2. रोजगार अवसर प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या (इकट्ठी) . .	21881	324
3. निवेश (समग्र) (लाख रुपयों में)		
1. अचल . .	239.38	4.26
2. कार्यशील . .	340.19	2.98
3. योग	579.57	7.24
4. 1974-75 के उत्पादन का कुल मूल्य (लाख रुपए में) .	691.20	27.70

दोनों ही जिले रियायती वित्त पाने की दृष्टि से पिछड़े जिले हैं तथा (केपिटल सब्सिडी) पूंजीगत आर्थिक सहायता पाने के लिए ग्राह्य हैं।

आल इंडिया रेडियो और टेलीविजन में जम्मू तथा काश्मीर के उर्दू के स्नातकोत्तर उम्मीदवारों को रोजगार देना

3331. **श्री सैयद अहमद आगा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा कश्मीर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की है कि उस राज्य के उर्दू के स्नातकोत्तर उम्मीदवारों को केन्द्रीय सेवाओं, विशेषकर, रेडियो तथा टेलिविजन में नियुक्त करने पर विचार किया जाए ;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) रेडियो अथवा टेलीविजन में पहले से नियुक्त ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी हैं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकार को जम्मू व कश्मीर सरकार से ऐसी कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है । फिर भी, भारत में उन विश्वविद्यालयों द्वारा दी गई डिग्रियां/डिप्लोमें .जो केन्द्रीय अथवा राज्य विभाग मंडलों के किसी अधिनियम द्वारा निगमित हैं, केन्द्रीय सरकार के अधीन रोजगार के प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त हैं ।

(ग) जम्मू व कश्मीर राज्य में टेलिवीजन में कार्य कर रहे उस राज्य के उर्दू के स्नातकोत्तर कर्मचारियों की संख्या दो है । चार स्टाफ आर्टिस्ट जिन्होंने एम० ए० (उर्दू) पास किया है, जम्मू व कश्मीर राज्य में रेडियो स्टेशनों में बिभिन्न हैसियतों में कार्य कर रहे हैं ।

मोटर गाड़ी सहायक कारखानों का बन्द होना

3332. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बहुत से मोटर गाड़ी सहायक कारखाने बन्द हो गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) कारखाने बन्द होने के कारण कुल कितने मजदूरों की छंटनी की जा रही है; और

(घ) इस उद्योग के संकट को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) इस समय संगठित क्षेत्र में तीन मोटर गाड़ी सहायक एकक बन्द पड़े हैं ।

(ख) एक एकक को इसके उत्पादों की कुल खरीद कम होने के कारण, दूसरे को प्रबंध-सम्बन्धी कुछ समस्याओं के कारण और तीसरे एकक को रिहायशी क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र में एकक को स्थानान्तरित करने के राज्य सरकार के निदेश के कारण बन्द कर दिया गया है ।

(ग) कारखाने बन्द होने के परिणामस्वरूप 294 मजदूर प्रभावित हुए हैं ।

(घ) उद्योग में ऐसा कोई संकट नहीं है ।

Electrification of Villages in Rajasthan

†3333. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of ENERGY be pleased to state the number of villages in Rajasthan where electrification work is in progress and where it is proposed to be undertaken under the programme of the Rural Electrification Corporation ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF ENERGY (PROF. SIDDHESWAR PRASAD) : The Rural Electrification Corporation Ltd. has so far sanctioned 94 rural electrification schemes for Rajasthan. These schemes envisage electrification of 5186 new villages. Out of this, 1816 villages were electrified upto 31-12-1975. The work of electrification in the remaining villages is in progress.

Sanction of schemes for electrification of more villages in Rajasthan will depend upon the number of rural electrification schemes sponsored by the State Electricity Board and approved by the Corporation in accordance with the norms and guidelines prescribed by it.

कोल इंडिया लिमिटेड के विपणन कार्य का पुनर्गठन

3334. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लिमिटेड के विपणन कार्य को पुनर्गठित करने तथा सुव्यवस्थित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) कोयले की बिक्री तथा विपणन कार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोल इंडिया लि० द्वारा सारे देश को पांच जोनों में विभाजित करके, बिक्री संगठन को पुनर्गठित करने और प्रत्यक जोन को किसी सहायक कम्पनी से जोड़ने का निश्चय किया गया है ;—जैसा कि नीचे के ब्यौरे से स्पष्ट है :—

क्रम सं०	राज्य/संयंत्र	क्षेत्रीय कार्यालय और संख्या	शाखा कार्यालय
(1)	(2)	(3)	(4)
जोन 'ए' दायित्व		वेस्टर्न कोल फील्डस लि०	नागपुर
1.	मध्य प्रदेश . . .	भोपाल	बिलासपुर
2.	राजस्थान . .	भोपाल	जयपुर
3.	गुजरात	बम्बई	अहमदाबाद
4.	महाराष्ट .	बम्बई	अहमदाबाद
5.	आंध्र प्रदेश	मद्रास	अहमदाबाद
6.	कर्नाटक	मद्रास	बंगलौर
7.	तमिलनाडु	मद्रास	बंगलौर
8.	केरल . . .	मद्रास	बंगलौर
जोन 'बी' दायित्व		सेंट्रल कोल फील्डस लिमिटेड	रांची
9.	उड़ीसा . .	लखनऊ	—
10.	बिहार . .	लखनऊ	पटना
11.	उत्तर प्रदेश . .	लखनऊ	वाराणसी और कानपुर
12.	नेपाल . . .	लखनऊ	पटना

(1)	(2)	(3)	(4)
जोन 'सी'	दायित्व	ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड	सैक्टोरिया
13.	प० बंगाल . . .	कलकत्ता	—
14.	सिक्किम . .	कलकत्ता	—
15.	भूटान . .	कलकत्ता	—
16.	आसाम . .	मरचरिटा	—
17.	अरुणाचल . . .	मरचरिटा	—
18.	बंगलादेश . . .	कलकत्ता	ढाका
19.	बर्मा . . .	कलकत्ता	—
जोन 'डी'	दायित्व	भारत कोकिंग लि०	धनबाद
20.	जम्मू और काश्मीर . .	चंडीगढ़	जम्मू
21.	हिमाचल प्रदेश . . .	चंडीगढ़	—
22.	पंजाब . .	चंडीगढ़	जालंधर
23.	हरयाणा . .	चंडीगढ़	दिल्ली
24.	दिल्ली . . .	चंडीगढ़	दिल्ली
जोन 'ई'	दायित्व	भारत कोकिंग कोल लि०	धनबाद
25.	इस्पात कारखाने तथा दुर्गापुर, कोक ओवन संयंत्र	प्रत्येक इस्पात कारखाने में प्रतिनिधि	

किसी खास जोन के प्रति जिम्मेदार प्रत्येक सहायक कम्पनी उस जोन की अगुवाई करेगी तथा स्थापित लिंकेज आदि के अनुसार विभिन्न सहायक कम्पनियों की ओर से कोयला सप्लाई के लिए जोन के उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करेगी ।

कारखाने के श्रमिकों की भविष्य निधि के लेखे रखना

3335. **श्री रामवतार शास्त्री** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असिस्टेंट गैरीसन इंजीनियर, रामगढ़ छावनी और गैरीसन इंजिनियर, रांची के कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में सामान्य भविष्य निधि और भारतीय आयुध कारखाने के श्रमिकों की भविष्य निधि के लेखों में बहुत सी विषमताएं हैं ;

(ख) क्या 1973 के पश्चात बहुत से कर्मचारियों को लेखा पर्चियां नहीं दी गई हैं ;

(ग) क्या कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि तथा भारतीय आयुध कारखाना भविष्य निधि की वसूल की गई राशियों का उनके नाम में समायोजन किया जा रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० बी० पटनायक) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

BORDER VIOLATIONS BY PAKISTAN AND BANGLA DESH

3336. SHRI BHAGIRATH BHANWAR : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(*a*) whether Bangla Desh and Pakistan have intensified the activities of their troops near the border;

(*b*) whether border violations have been made several times by troops of both the countries recently; if so, number of such incidents and the action taken by Government in this regard; and

(*c*) whether the troops of both the countries had intruded into Indian territory and caused damage ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI BANSI LAL) : (*a*) Government have been keeping themselves informed of the developments across the border. It is not, however, in the public interest to reveal the details.

(*b*) In the case of Bangla Desh, during the month of April (upto April 28), there were four incidents of firing across the border two of which were of a serious nature resulting in casualties. In respect of these two, Government of India have lodged strong protests with Government of Bangla Desh.

In the case of Pakistan, during the same month (upto April 28), there was one incident of firing across the border and three incidents of violations of our air space by Pakistani aircraft. The question of land violation will be taken up by our local Commander with his counterpart. Regarding air violations, we have lodged protest with the Government of Pakistan through the Swiss Embassy.

(*c*) No physical intrusion by Pakistani or Bangla Desh troops into Indian territory, has been reported in the recent past.

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़क संचार के विकास के लिए निधि

3337. **श्री नुरुल हुडा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर परिषद की सिफारिशों के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़क संचार के विकास के लिए पर्याप्त धन नियत करने पर सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितना धन नियत किया गया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) उत्तर पूर्वी परिषद की पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 100 करोड़ रुपयों के परिव्यय में से 27.00 करोड़ रुपए सड़क-संचार के लिए निर्धारित किए गए हैं।

(ख) सड़क-संचार सम्बन्धी अब तक किए गए आबंटन इस प्रकार हैं :—

1974–75	300.00 लाख रु०
1975–76 . . .	481.00 लाख रु०
और	
1976–77	480.16 लाख रु०

इस प्रकार अब तक कुल 1261.16 लाख रु० की राशि के आवंटन नियत किए गए ।

राज्यों को विकास सहायता

3338. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्यों को विकास सहायता देने सम्बन्धी वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत राज्यों द्वारा कौन सी मुख्य कठिनाइयां अनुभव की गई ; और

(ग) परिकल्पित नई प्रणाली क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) से (ग) यह विषय विचाराधीन है । तथापि, कुछ परिवर्तन किए जाने की सम्भावना है जिससे परिवार नियोजन का कार्य तेजी से करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन दिया जा सके ।

भारत और सोवियत संघ के बीच करार

3339. **श्रीमति रोजा विद्याधर देशपांडे**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन
श्री भोगेन्द्र झा
: क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मास्को में हुए भारत सोवियत संघ करार में नए प्रकार के सहयोग की व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इससे हमारे आर्थिक विकास में कहां तक सुधार हो सकेगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) मास्को में 5 अप्रैल, 1976 को आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग सम्बन्धी अन्तर-सरकार सोवियत-भारतीय आयोग की तीसरी बैठक में हस्ताक्षर किए गए प्रोटोकोल का उद्देश्य दोनों देशों के बीच प्रतिपूर्ति आधार पर उत्पादन सहयोग और उत्पादन की पूरकता की धारणा को ठोस रूप देना है; इस मामले पर भारत और रूस के बीच पिछले 2 या 3 वर्षों से विचार-विमर्श हो रहा था । इनमें इस प्रकार के प्रस्ताव जैसे रूसी निवेश सहायता से अल्युमिना संयंत्र स्थापित करना जिसका भुगतान रूस को अल्युमिना का निर्यात करके किया जाएगा, रूस द्वारा अतिरिक्त कपास की सप्लाई और समतुल्य मूल्य के सूती वस्त्रों और सूती तागों की भारत में प्रति-खरीद, रूस को दीर्घावधि सम्भरण के लिए भारत में कुछ कृषि उत्पादों के क्षेत्र में उत्पादन सहयोग और रूस की सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए तीसरे देशों को भारी इंजीनियरी उपकरण की सप्लाई, सम्मिलित हैं। तीसरे देशों में टर्न-की परियोजनाओं के लिए संयुक्त रूस से सिविल निर्माण और संस्थापन कार्य करने की संभावनाओं का भी पता लगाया गया था और इस पर सहमति प्रकट की गई थी ।

(ग) सोवियत संघ के साथ हमारे व्यापार के वर्तमान ढांचे में परम्परागत वस्तुओं के व्यापार पर ही अधिक बल दिया गया है । नए प्रकार के सहयोग से हमारे व्यापार सम्बन्धों में न केवल और अधिक विविधता आएगी बल्कि इस बात पर विचार करते हुए कि हमें विस्तृत और अत्यधिक विकसित औद्योगिक आधार का लाभ प्राप्त ह और इस बात पर भी विचार करते हुए कि विश्व में हमारे पास तीसरी सबसे बड़ी कुशल वैज्ञानिक और तकनीकी शक्ति है, इस

सहयोग से अधिक आपसी लाभ होगा । इसके विपरीत सोवियत संघ में प्राकृतिक संसाधनों के विकास हेतु अत्यधिक पूंजी लगाने वाली प्रौद्योगिकी पर ही ध्यान देने सोवियत संघ के लिए इसी प्रकार के औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन करना अलाभकारी होता है । इस सहयोग का प्रथम ठोस परिणाम यह था कि भारत-रूस संयुक्त आयोग के विचार-विमर्श के दौरान युगोस्लाविया में रूसी सहायता प्राप्त अल्युमिनियम संयंत्र सप्लाई करने के लिए इलैक्ट्रोलाइजर्स हेतु जिसका इस्तेमाल अल्युमिनियम उद्योग में किया जाता है, भारी इंजीनियरी निगम, रांची को एक क्रयादेश प्राप्त हुआ, जिसका मूल्य 4.2 करोड़ रुपए है ।

USE OF STATE EMBLEM BY PANCHAYATS

3340. SHRI CHIRANJIB JHA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(*a*) whether the village panchayats are authorised to use State Emblem (Ashoka Pillar) on the letter head pads and office seal; and

(*b*) if so, whether the elected officials of the village panchayats can also use this emblem on their personal letter head pads ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN) : (*a*) No, Sir.

(*b*) Does not arise.

समाचार पत्रों में प्रमुख पद

3341. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समाचार-पत्रों के मालिकों के परिवार के सदस्यों द्वारा सामाचार-पत्रों में प्रमुख पद धारण करने पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या समाचार पत्रों का मुनाफा अन्य कारोबार में लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा "बसुमति" समाचारपत्र को अपने हाथ में लेने के बाद इसकी क्या स्थिति है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) यह प्रश्न सामाचारपत्रों को व्यापार घरानों से असम्बद्ध करने के सामान्य प्रश्न से संबंधित है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा "बसुमति" को अपने हाथ में ले लिए जाने के बाद इसकी स्थिति में काफी सुधार हुआ है । बताया गया है कि इसकी परिचालन संख्या 3,500 प्रतियों से बढ़कर लगभग 20,000 प्रतियां हो गई हैं ।

कोयला खनिकों का बड़े पैमाने पर तबादला

3342. **श्री बसंत साठे** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खनिकों का बड़े पैमाने पर तबादला किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) व (ख) : कोयला खनिकों का बड़े पैमाने पर कोई तबादला नहीं किया गया है । श्रमिकों की काम पर तैनाती को युक्तिसंगत बनाने के लिए उद्देश्य से कुछ कम काम वाले खान मजदूरों का तबादला किया जा रहा है क्योंकि यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और चूंकि देश के विभिन्न भागों में अनेक नई खानें खोली जा रही हैं और वर्तमान खानों का विस्तार किया जा रहा है इसलिए किसी बढ़ते हुए उद्योग में श्रमशक्ति से अधिक-से-अधिक काम लेने तथा उन्हें दक्ष बनाने की दृष्टि से ऐसा करना जरूरी है

(ग) सवाल नहीं उठता।

छठी योजना में शिक्षित युवकों को रोजगार

3342. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना अवधि में शिक्षित युवकों को रोजगार देने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) इस समय ग्रामीण युवकों के बीच बेरोजगारी की क्या स्थिति है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) छटी योजना की अवधि में शिक्षित युवकों को रोजगार देने के लिए संख्या का लक्ष्य अभी तक तय नहीं किया गया है।

(ख) शिक्षित ग्रामीण युवकों में कितनी बेरोजगारी है इसके ठीक-ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं है । तथापि श्रम मंत्रालय, रोजगार व प्रशिक्षण महानिदेशालय ने जो नौकरी चाहने वाले पंजीकृत व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया था उसके अनुसार मैट्रिक और अधिक शिक्षा वाले लगभग 16 लाख गांव में रहने वाले व्यक्तियों के नाम 30-6-1973 तक रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत थे । सर्वेक्षण से यह भी मालूम हुआ कि अधिकांश नौकरी चाहने वाले 30 वर्ष से कम आयु के थे।

रेडियो केन्द्रों के लिए जिला संवाददाता

3334. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की प्रगति और क्रियान्वित का व्यापक प्रचार करने के लिए विभिन्न राज्यों के रेडियो केंद्रों के लिए जिला संवाददाताओं की नियुक्त करने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समय देश में कितने जिले हैं जहां जिला संवाददाताओं की नियुक्ति अब तक नहीं की गई है; और हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ऐसे जिले कौन-कौन से हैं; और

(ग) इन सभी जिलों में, जहां इस समय कोई संवाददाता नहीं है, उनकी नियुक्तियां किए जाने की संभावित तारीख क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सिद्धांत रूप में यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक जिले में आकाशवाणी का एक अंशकालिक संवाददाता हो । इस निर्णय को, धन राशि उपलब्ध होने पर, चरणों में कार्यान्वित किया जायेगा ।

(ख) इस समय 264 जिलों में जिला संवाददाता नहीं हैं । एक विवरण संलग्न जिसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू व काश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों के इस प्रकार के जिलों के नाम दिए हुए हैं ।

(ग) 142 जिलों में अंशकालिक संवाददाता शीघ्र ही नियुक्त करने का प्रस्ताव है । यह बताना संभव नहीं है कि सभी जिलों में अंशकालिक संवाददाताओं की नियुक्ति किस तारीख तक हो जायेगी ।

विवरण

हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के वे जिले जहां आकाशवाणी का कोई अंशकालिक संवाददाता नहीं है ।

हिमाचल प्रदेश

1. बिलासपुर
2. चम्बा
3. किन्नोर
4. लाहोल व स्पीति
5. महासू
6. सिरमौर

जम्मू व काश्मीर

1. अनन्त नाग
2. बारामूला
3. डोडा
4. कठुआ
5. लद्दाख
6. पुंछ
7. राजौरी
8. ऊधमपुर

पंजाब

1. भटिंडा
2. फिरोजपुर
3. गुरदासपुर
4. होशियारपुर
5. कपूरथला
6. पटियाला
7. रोपड़
8. संगरूर

राजस्थान

1. अलवर
2. बंगवाड़ा
3. वाड़मेर
4. भरतपुर
5. भीलवाड़ा
6. बूंदी
7. चितोड़गढ़
8. चुरू
9. डूंगरपुर
10. गंगानगर
11. जैसलमेर
12. जालौर
13. झालौर

14. झुंझनू
15. कोटा
16. नागौर
17. पाली
18. सवाई माधोपुर
19. सीकर
20. सिरोही
21. टोंक

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चम्बा जिलों में सीमेंट के कारखाने

3345. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा तथा चम्बा जिलों में चूना-पत्थर के विशाल, निक्षेत्रों का पता है;

(ख) क्या इन दो जिलों में सीमेंट के कोई कारखाने लगाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इन कारखानों की मंजूरी दिये जाने की संभावित तारीख क्या होगी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, हां। राज्य सरकार ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चम्बा जिलों में चूने के पत्थर का क्रमश: 180 लाख मीटरी टन और 3,000 लाख मीटरी टन भंडार अनुमानित है।

(ख) राज्य सरकार के एक उपक्रम दी हिमाचल प्रदेश मिनरल ऐंड इन्डस्ट्रियल विकास निगम को कांगड़ा जिले के समलोती में 2 लाख मीटरी टन क्षमता का एक सीमेंट संयंत्र लगाने के लिए एक लाइसेंस दिया गया था। राज्य सरकार क्षेत्र में कच्चे माल भण्डारों का विस्तार से पता लगाने के कार्य में लगी हुई है।

(ग) इन दोनों जिलों में से किसी जिले में संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव अब निर्णय के लिए भारत सरकार के पास नहीं है।

लोकतक पन बिजली परियोजना

3346. **श्री नुरुल हुडा** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लोकतक पन-बिजली परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है और अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : लोकतक जल-विद्युत परियोजना के चरण एक की अनुमानित लागत 50.80 करोड़ रुपए है तथा चरण दो की अनुमानित लागत 5.65 करोड़ रुपए है। मार्च, 1976 के अन्त तक चरण एक पर लगभग 30.00 करोड़ रुपए तथा चरण-दो पर 1.02 करोड़ रुपए का व्यय हो चुके हैं।

Assistance to National Films Archive of India, Poona

3347, DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(*a*) whether the amount being given to National Films Archive, Poona annually has been reduced to rupees five lakhs whereas its annual requirement is more than even twenty lakhs; if so, the action proposed to be taken by Government in this regard;

(*b*) the number of film prints with the Archive at present; and

(*c*) the difficulties being faced in collecting film prints ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (*a*) The sanctioned Plan budget grant of the National Film Archive of India for the plan scheme of acquisition of film material is Rs. 5 lakhs for the year 1976-77 as against the total plan allocation of Rs. 35 lakhs for five years. Rs. 20 lakhs have already been given to the Archive during the first two years of the plan period. In addition, there is a non-plan sanction of Rs. 2·02 lakhs for the year 1976-77. This total sanction of Rs. 7·02 lakhs for 1976-77 is considered to be adequate for the National Film Archive of India. The requirements of additional funds are, as a matter of course, reviewed at the time of the revised estimates each year and if an augmentation is justified, additional funds are made available, depending upon the availability of resources.

(*b*) 878 Indian films (726 features and 152 shorts) and 493 foreign films (332 features and 161 shorts) had been acquired by the Archive as on 31-1-1976.

(*c*) The main difficulties coming in the way of acquiring film prints have been the lack of resources and copy right complications in respect of such films the ownership of which is either in dispute or their owners are not traceable.

Pending letters of intent from Madhya Pradesh

3348. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(*a*) the number of letters of intent for industrial investment in Madhya Prdesh pending for consideration; and

(*b*) if so, the reasons for delay ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI B. P. MAURYA): (*a*) and (*b*): During the calendar years 1974 and 1975, 94 letters of intent were issued for location of industries in Madhya Pradesh. A letter of intent is issued with an initial validity period of one year and this period can be extended by the administrative ministries subject to adequate justification being available, by another 6 to 12 months. The letter of intent holder is expected, within the period of validity, to submit proposals for Foreign Collaboration, Capital Goods Import, etc. as required and depending on the conditions stipulated in the letter of intent, for government's consideration and approval. After all the necessary clearances as required in the letter of intent have been obtained by the letter of itent hoder, the letter of intent is converted into an industrial licence. A licence holder is normally given a period of 2 years within which he is expected to set up the licensed capacity and start production. In suitable cases, and having regard to the practical difficulties experienced by the licence holders in setting up industrial capacities on ground, extensions of time are allowed by the administrative Ministries generally by another one to two years. In exceptional cases, requests for extensions given beyond a total time allowance of 4 years are also considered. In cases, in which the letter of intent holders fail to fulfil the conditions stipulated in the letters of intent and industrial licence holders fail to take effective steps to implement the capacity within the period of validity, the letters of intent are allowed to lapse or are cancellled and industrial licences cancelled or revoked.

'स्विस एण्ड एब्रोड आर्गेनाइजेशन' की गतिविधियां

3350. **श्री शशिभूषण** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात के कुछ व्यक्तियों को 'स्विस एण्ड एब्रोड' ने स्कूल के निर्माण के लिए लाखों रुपए की राशि अदा की थी, और उन्होंने उस धन का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया था;

(ख) यदि हां, तो (एक) 'स्विस एण्ड एब्रोड' गुजरात में कब से कार्य कर रहा है; (दो) किन-किन व्यक्तियों को उक्त धनराशि अदा की गई (तीन) 'स्विस एण्ड एब्रोड' ने गुजरात विद्यापीठ को कितनी धनराशि कब अदा की थी; और

(ग) क्या यह 'स्विस एण्ड एब्रोड' स्वेच्छिक संगठन है अथवा सरकारी संगठन और इस संगठन की गतिविधियों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार नवसारी के श्री लालभाई डी० नायक को गांव अम्मेटी, ताल्लुक धर्मपुर, जिला वालसाद में एक आश्रम के भवन के निर्माण के लिए स्विस एण्ड एब्रोड द्वारा 1968 में 2,50,000/– रुपये अदा दिये गये थे । वर्ष 1972-73 में श्री बाबू भाई जे० पटेल, प्रधान, भारतीय उत्तर बुनियादी ट्रस्ट, गांव आगाशी, जिला बुलसर को भारतीय उत्तर विद्यालय तथा उसका होस्टल बनाने के लिए स्विस एण्ड एब्रोड द्वारा 3,80,000/– रुपये दिये गये थे।

(ख) (i) गुजरात में स्विस एण्ड एब्रोड की कोई शाखा कार्य नहीं कर रही है।

(ii) वही जो उपरोक्त (क) में है ।

(iii) अम्मेटी ग्राम सेवा केंद्र को वर्ष 1969-70 तथा 1972-73 में बुनियादी विकास के लिये स्विस एण्ड एब्रोड से 2,84,000/– रुपए की धनराशि प्राप्त हुई थी । गुजरात विद्यापीठ गुजरात में अन्य ग्राम सेवा केंद्रों के अलावा इस केंद्र की देखभाल कर रहा है ।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार स्विस एण्ड एब्रोड एक स्वेच्छिक संगठन है।

महाराष्ट्र में चीनी कारखानों द्वारा सरकार को लाभांश का भुगतान न किया जाना

3351. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में अनेक सहकारी चीनी कारखानों ने सरकार द्वारा प्रदत्त शेयर पूंजी पर सरकार को लाभांश का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन से कारखाने हैं और गत तीन वर्षों के दौरान उन पर लाभांश की कितनी धनराशि बकाया है;

(ग) इस धनराशि को वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) : महाराष्ट्र में सहकारी चीनी कारखाने जून, 1966 में मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय मंत्री समिति द्वारा निर्धारित 3 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक की भिन्न-भिन्न दरों पर राज्य सरकार को उसके द्वारा दिये गये अंश-पूंजी अंशदान के लिए लाभांश दे रहे थे। सहकारी कारखाने सरकार के हिस्सों पर 1969-70 तक लाभांश घोषित कर रहे थे। ऐसी सहकारी सोसायटियां, जिन्हें 1965-66 से 1969-70 तक की अवधि के लिए सरकार को अंश-पूंजी पर लाभांश के बकाया का भुगतान करना रहता था, ने 1970-71 के दौरान बकाया राशि का भुगतान कर दिया। 1 अक्तूबर, 1971 से जब गन्ने पर खरीद कर बढ़ाया गया, राज्य सरकार ने यह निर्णय किया कि सरकारी अंश-पूंजी पर लाभांश का भुगतान करने पर जोर न दिया जाये। खरीद-कर 1 अक्तूबर, 1971 से 5 रुपए प्रति मीटरी टन से बढ़ा कर 7.50 रुपए प्रति मीटरी टन तथा फिर 4-11-74 से 16.60 रु० प्रति मीटरी टन कर दिया गया। इस स्थिति में महाराष्ट्र में किसी भी सहकारी चीनी कारखानों ने पिछले तीन वर्षों, अर्थात 1972-73, 1973-74 तथा 1974-75 में लाभांश घोषित नहीं किया।

केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागाध्यक्षों द्वारा दिये जाने वाले स्वागत/रात्रि भोजों में भारत निर्मित शराब का उपयोग

3352. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागाध्यक्षों द्वारा दिये जाने वाले स्वागत/रात्रि-भोजों में भारत निर्मित शराब दिये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : जी नहीं, श्रीमन्। विशेष अवसरों को छोड़कर, जब विदेशी प्रतिनिधि मंडल अतिथि होते हैं तो यह सामान्य प्रथा है कि सरकारी विभागों की ओर से आयोजित स्वागतों अथवा रात्रि-भोजों में कोई शराब न दी जाए।

आयातित कच्चे माल का उपयोग

3353. **श्री भोगेंद्र झा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित कच्चे माल के उपयोग पर निगरानी रखने के लिए सरकार ने एक पृथक एकक बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, नहीं। आयातित कच्चेमाल का किस प्रकार उपयोग किया जाता है इस पर निगरानी रखने के लिए अलग प्रकोष्ठ गठित करने संबंधी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मृत्यु दंड

3354. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार देश में मृत्यु दंड समाप्त करने का है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मृत्यु दंड को बिल्कुल समाप्त करने का कोई विचार नहीं है । माननीय सदस्य का ध्यान संयुक्त समिति द्वारा यथा सूचित भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1972 के उपबंधों की ओर आकर्षित किया जाता है ।

राजस्थान में जोधपुर तथा अन्य जिलों का सर्वेक्षण

3355. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया और औद्योगिक विकास बैंक ने हाल ही में राजस्थान में जोधपुर जिले का संयुक्त सर्वेक्षण किया था जिससे वहां पर औद्योगिक विकास की काफी सम्भावनाओं का पता चला था; और

(ख) क्या राजस्थान के अन्य जिलों और अन्य राज्यों का भी सर्वेक्षण किया गया था ?

• **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य)** : (क) लघु उद्योगों की संभावनाओं का गहन अध्ययन करने तथा लघु उद्योग क्षेत्र में विकास हेतु विशिष्ट परियोजनाओं का पता लगाने की दृष्टि से अप्रैल, 1972 में रिजर्व बैंक आफ इंडिया और इंडस्ट्रियल बैंक आफ इण्डिया के कर्मचारियों के एक अध्ययन दल द्वारा राजस्थान के जोधपुर जिले का संयुक्त सर्वेक्षण किया गया था । सर्वेक्षण में विकास के लिए 29 औद्योगिक परियोजनाओं का पता लगाया गया । भारत सरकार के लघु उद्योग विकास संगठन, राज्य सरकार राज्य स्तरीय वित्तीय अधिकरण तथा लीड बैंक योजना के अधीन लीड बैंक द्वारा भी जिलों का सर्वेक्षण किया जाता है । राजस्थान में विभिन्न अभिकरणों द्वारा किए गए 22 जिलों के सर्वेक्षण पूरे हो गए हैं।

आस्ट्रेलिया द्वारा डिज़ाइन की गई सौर-शक्ति से चलित बिजली की कम्प्यूटर कार

3356. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आस्ट्रेलियाई सूचना सेवा प्रेस समाचार के अनुसार आस्ट्रेलिया के दो आविष्कारकों ने सौर-शक्ति से चालित बिजली की कम्प्यूटर कार का डिजाइन सफलतापूर्वक तैयार किया है जो कि प्रत्येक पहिये के हब में फिट की गई चार अलग-अलग "प्रिटिड आरमेचर सर्वो-मोटरों" द्वारा चल सकती है ।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अन्य तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या हमारे सौर-वैज्ञानिक भी इसी प्रकार के परीक्षण कर रहे हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार को इस आशय की एक प्रेस रिपोर्ट मिली है।

(ख) प्रेस में दी गई जानकारी को छोड़कर सरकार के पास कोई अन्य ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

Credits of Hindi Films in Hindi

3357. SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(*a*) whether the credit of Hindi films shown before the screening of the films are often given in English; and

(*b*) whether Government propose to give directives that the credits should also be given in Hindi ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (*a*) Yes, Sir.

(*b*) The Government have not power to give such directive. However, Government are of the view that the credit titles in main must be shown in the language and script which is the language of the film. This matter will be taken up with the film industry.

कागज बनाने वाली मशीनों का निर्माण करने वाले संयंत्रों का उपयोग

3358. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे औद्योगिक गृहों के नाम क्या हैं जिनके बड़े पैमाने पर कागज बनाने वाली मशीनों का निर्माण करने वाले संयंत्र हैं और प्रत्येक औद्योगिक गृह के पास ऐसे कितने संयंत्र हैं ;

(ख) इन संयंत्रों की उत्पादन क्षमता कितनी है और वास्तव में कितनी क्षमता का उपयोग किया गया है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में कितने लघु उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं।

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) लारसेन एंड टूब्रो लिमिटेड तथा उत्कल मशीनरी लिमिटेड दोनों एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अधीन बड़े पैमाने पर कागज बनाने वाली मशीनों का निर्माण करने वाले पंजीकृत उपक्रम हैं।

(ख) वर्तमान मूल्य के अनुसार इन दो उपक्रमों की उत्पादन क्षमतायें प्रतिवर्ष क्रमश: 250 लाख रुपए और 500 लाख रुपए की है। 1975 की अवधि में उनका वास्तविक उत्पादन 45 लाख रुपए और 325 लाख रुपए का रहा है। 1976 में उनका उत्पादन क्रमश: 100 लाख रुपए और 350 लाख रुपए के होने की संभावना है। इस प्रकार 50-60 प्रतिशत तक क्षमता का उपयोग हुआ है।

(ग) चूंकि छोटे-से-छोटे संयंत्र की कीमत भी 10 लाख रुपए से अधिक की होगी, अतः इन एककों को लघु क्षेत्र में रखना संभव नहीं है।

बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण

3359. **श्री एन० ई० होरो** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा मंजूर की गई ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं से बिहार की कितने प्रतिशत ग्रामीण जनता को बिजली मिली है;

(ख) क्या जनता के किसी वर्ग को विशषकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को कोई तरजीह दी गई है; और

(ग) उस राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण को बढ़ावा देने के लिए 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की जा रही है?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड द्वारा स्वीकृत की गई ग्राम विद्युतीकरण योजनाओं के पूरा हो जाने पर लगभग 11.6 प्रतिशत ग्रामीण जनता को बिजली प्राप्त होगी।

(ख) निगम अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों की ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं पर विशष ध्यान दे रहा है। इनमें आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्र भी शामिल हैं। इन क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता अपेक्षाकृत उदार शर्तों पर स्वीकृत की जा रही है।

वित्तीय सहायता के लिए ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाऐं स्वीकृत करते समय निगम यह बात सुनिश्चित करता है कि सड़कों पर रोशनी के लिए बिजली देने के लिए जहां भी मुख्य गांव परियोजना में सम्मिलित किए जाते हैं, वहां निकटवर्ती हरिजन बस्तियों को भी इसके लिए सदैव सम्मिलित कर लिया जाए।

(ग) ग्राम विद्युतीकरण के मामले में विहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है। राज्य में ग्राम विद्युतीकरण के कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए कई उपाय किए गए हैं।

क्षेत्रीय-विषमताओं को कम करने के उद्देश्य पांचवीं योजना में ग्राम विद्युतीकरण को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के भाग के रूप में हाथ में लिया गया है। राज्य के सामान्य विकास के कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 करोड़ रुपए के अतिरिक्त, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में ग्राम विद्युतीकरण कार्यों के लिए 45 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण सहायता की शर्तों और जीवन क्षमता संबंधी मानदंडों को विशेष रूप से उदार कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वित होने पर यह आशा की जाती है कि राज्य की लगभग 40 प्रतिशत ग्रामीण जनता को विजली का लाभ मिल जायगा।

ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम बनाने में राज्य बिजली बोर्ड के साथ निकट सम्पर्क रखने और उसे आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन देने के लिए निगम ने पटना में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। इससे राज्य बिजली बोर्ड अधिक जीवनक्षय ग्राम विद्युतीकरण

परियोजनाएं शीघ्रता से बना कर निगम के विचारार्थ रख सकेगा तथा स्वीकृत योजनाओं का कार्यान्वयन भी तेजी से करने में इससे सहायता मिलेगी।

महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं

3360. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र की कौन-कौन सी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं ;

(ख) प्रत्येक परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है तथा प्रत्येक की उत्पादन क्षमता कितनी होगी; और

(ग) प्रत्येक परियोजना की प्रगति क्या है और उनके कब तक चालू हो जाने की संभावना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : **(क)** से **(ग)** तक : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत कोका कोला निर्यात निगम के आवेदन पत्र पर सरकार का निर्णय

3361. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन**
श्री एच० एन० मुकर्जी : **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत कोका कोला निर्यात निगम के आवेदन पत्र पर अपना निर्णय सूचित नहीं कर सकी है यद्यपि निगम ने जून, 1974 में आवेदन-पत्र दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त निगम के आवेदनपत्र पर अपना निर्णय सूचित न किए जाने का क्या कारण है तथा उसके क्या तथ्य हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : **(क) और (ख)** : कोका कोला एक्सपोर्ट कार्पोरेशन का विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन दिया गया आवेदन पत्र रिजर्व बैंक आफ इंडिया के विचाराधीन है।

खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, कानपुर के लेखों में कथित धोखाधड़ी

3362. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खादी बोर्ड के विरुद्ध धोखाधड़ी के आरोप की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) जून, 1974 में खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, कानपुर के लेखों में 70 लाख रुपए की धोखाधड़ी के लिए जिम्मेवार लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) से (ग) : खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट से खादी बोर्ड, कानपुर में हुआ एक गबन प्रकाश में आया है। इस मामले में निहित राशि 50 हजार रुपए बताई गई है। यह बताया गया है कि पुलिस द्वारा तथा विभाग द्वारा जांच की जा रही है तथा बोर्ड सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई कर रही है।

भारत में सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए पश्चिम जर्मनी के वैज्ञानिकों का दौरा

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया
श्री के० मालन्ना } : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए अप्रैल, 1976 में पश्चिम जर्मनी के प्रमुख वैज्ञानिकों के एक दल ने भारत का दौरा किया था, और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) हां।

(ख) एक दो-सदस्यीय राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला दिल्ली, केन्द्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर, और बिड़ला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, पिलानी गया। इस दल की उपस्थिति का सौर ऊर्जा विधाओं के बारे में ऐसी परियोजनाओं के सूत्र-पात्र करने के लिए लाभ उठाया गया जिन्हें भारतीय और जर्मन संस्थाओं के बीच द्विपक्षी आधार पर कार्यान्वयन के लिए लिया जा सकता है।

आर्थिक रूप से कमजोर तथा असुरक्षित खानों का पता लगाने के लिए कोयला खानों का सर्वेक्षण

3364. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कोयला खानों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराए गए हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर तथा/अथवा आगे खान कार्य के लिए असुरक्षित हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरे तथ्य क्या हैं; और

(ग) ऐसी खानों के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

छोटे एककों का बंद होना

3365. श्री वेकारिया
श्री अरविंद एम० पटेल } : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 के बाद से, राज्यवार, कितने छोटे औद्योगिक एकक बंद हो गए हैं ;

(ख) उनके बन्द होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उनको पुनः चालू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) 1973-74 में की गई लघु उद्योगों की राष्ट्रीय गणना से 1972 के अंत तक बंद उद्योगों की संख्या 66, 161, है। राज्यवार आंकड़े अनुबन्ध में दिए गए हैं। **[ग्रन्थालय में रखा। देखिये संख्या एल०टी०-10785/76]**।

(ख) और (ग) : लघु उद्योग क्षेत्र के बन्द पड़े हुए तथा संकटग्रस्त एककों के ही सहायतार्थ अभ्युपाय करने की दृष्टि से हाल ही में कुछ चुने हुए औद्योगिक क्षेत्रों का एक नमूना (सेम्पल) सर्वेक्षणों से यह संकेत मिला था कि लघु उद्योग क्षेत्र में बंद पड़े हुए एककों का प्रतिशत एक प्रतिशत से भी कम है। मांग की कमी तथा दोषपूर्ण वित्तीय प्रबन्ध व्यवस्था उनके बंद होने के प्रमुख कारण थे। बैंकों से परामर्श करके बन्द तथा संकटग्रस्त एककों के बारे में उपचारात्मक अभ्युपाय किए गए हैं। राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि वे बैंकों के प्रतिनिधियों को शामिल करके संवीक्षा समितियां स्थापित करें ताकि अग्रिम उपचारात्मक अभ्युपाय किए जा सकें। राज्य स्तरीय समितियों की सांविधिक संवीक्षा के पश्चात् लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

रक्षा संबंधी सरकारी उपक्रमों के उत्पादों का मूल्य निर्धारित करना

3366. श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा संबंधी सरकारी उपक्रमों में बनाए गए विमान, हैलीकाप्टर तथा अन्य सहायक उपकरणों का मूल्य, जब कि इस उत्पादन में उनको एकाधिकार प्राप्त है, सेना, नौ-सेना अथवा वायुसेना को उनकी बिक्री करते समय किस आधार पर निर्धारित किया जाता है ; और

(ख) क्या बिक्री मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर मूल्य अथवा उत्पादन लागत अथवा तदर्थ आधार पर निर्धारित किया जाता है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विट्ठल भाई गाडगिल) : (क) और (ख) : सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों द्वारा सशस्त्र सेनाओं के लिए निर्मित विमान, हैलीकाप्टर तथा अन्य उपस्कर के मूल्य अधिकांश मामलों में उत्पादन की अनुमानित लागत के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं जिनकी सरकार द्वारा ध्यानपूर्वक जांच की जाती है। जहां लागत का अनुमान अग्रिम रूप से निर्धारित करना कठिन होता है वहां मूल्य, उत्पादन की वास्तविक लागत पर आधारित होते हैं। उपस्कर उत्पादन और अनुसंधान तथा विकास की गतविधियों के लिए आन्तरिक साधन बनाने के लिए उत्पादन की लागत पर उचित लाभ की अनुमनित दी जाती है।

कलकत्ता विद्युत् प्रदाय निगम को विद्युत् की सप्लाई

3367. **श्री रानेन सेन** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र की एजेंसियां कलकत्ता विद्युत् प्रदाय निगम को अपनी सप्लाई में वृद्धि करती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में गत तीन वर्षों के तथ्य क्या हैं और कलकत्ता विद्युत् प्रदाय निगम को किस दर पर इसकी सप्लाई की जाती है;

(ग) क्या सरकार का कलकत्ता विद्युत् प्रदाय निगम का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन को विद्युत की सप्लाई पश्चिम बंगाल सरकार राज्य बिजली बोर्ड और दामोदर घाटी निगम करते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कार्पोरेशन को सप्लाई की गई विद्युत् का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	सप्लाई की गई ऊर्जा	दर
1973-74	1026 मिलियन यूनिट	15 रुपए प्रति के०वी०ए० प्रति मास तथा ऊर्जा की प्रति यूनिट के लिए 4.2 पैसे तथा 2.733 पैसे प्रति यूनिट ईंधन अधिकर।
1974-75	824 मि०यू०	15 रुपए प्रति के०वी०ए० प्रति मास तथा ऊर्जा की प्रति यूनिट के लिए 4.2 पैसे तथा 4.706 पैसे प्रति यूनिट ईंधन अधिकर।
1975-76	888 मि०यू०	19 रुपए प्रति के० वी०ए० प्रति मास तथा ऊर्जा की प्रति यूनिट के लिए 5.3 पैसे तथा 5.75 पैसे प्रति यूनिट ईंधन अधिकर।

दामोदर घाटी निगम द्वारा कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन को सप्लाई की गई विद्युत् का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	सप्लाई की गई ऊर्जा	दर
1973-74	478.63 मि०यू०	8.477 पैसे प्रति यूनिट
1974-75	631.74 मि०यू०	12.075 पैसे प्रति यूनिट
1975-76	आंकड़े सुलभता से उपलब्ध नहीं हैं।	15.715 पैसे प्रति यूनिट

(ग) और (घ) विद्युत् उत्पादन करने और कलकत्ता के और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में विद्युत् की सप्लाई के लिए कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन को भारतीय विद्युत् अधिनियम, 1910 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त है। लाइसेंस की शर्तों में परिवर्तन करने की शक्ति राज्य सरकारों को प्राप्त है और हाल ही में उन्होंने उक्त लाइसेंस की अवधि को 2000 ई० सन् तक के लिए बढ़ा दिया है।

Setting up of an Indian Satellite in Orbit in the next Three Years

3368. SHRI CHIRANJIB JHA
SARDAR SWARAN SINGH SOKHI } : Will the Minister of SPACE be pleased to state :

(*a*) whether there is a proposal for setting up an Indian Satellite in next three years; and

(*b*) if so, the salient features thereof ?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF PLANNING, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF ELECTRONICS AND MINISTER OF SPACE (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : (*a*) &(*b*) The Indian Space Research Organisation has plans to place in orbit an earth observation satellite which is essentially a modification of Aryabhata, having more complex payload, data handling and control system. This satellite will weigh slightly over 400 kgs. and will carry two television cameras and microwave radiometers payloads. This should enable photography and remote sensing of gross features, which will be applicable to forestry, study of bio-masses, hydrological features, etc. This is scheduled to be launched sometime in 1978.

Another satellite that is under development is the Rohini Satellite, which will weigh approximately 40 kgs. This will be launched from Sriharikota, near Madras, with the use of Indian made satellite launch vehicle, SLV-3. This satellite will essentially carry technological payloads to monitor the performance of the launch vehicle. This is scheduled to be launched by the end of 1978.

As regards the Indian Satellite for television and telecommunications, the matter is under active consideration of the Government.

Negotiations with Nepal for Hydel Power Projects

†3369. SHRI CHIRANJIB JHA : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(*a*) whether negotiations are in progress with the Government of Nepal for a number of Hydel Power Projects and for supply of power to the areas on Indo-Nepal border; and

(*b*) if so, the facts thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF ENERGY (PROF. SIDDHESHWAR PRASAD) : (*a*) and (*b*) : The following hydro-electric power projects are presently under discussion with Nepal.

(1) Karnali Hydro-electric Project : India has been associated with further investigations on this project, which is likely to generate 1800 MW of electricity. It has also been agreed that India would be represented on the Karnali Executive Board set up by HMG Nepal.

(2) Pancheshwar Hydro-electric Project : It has been agreed to set up a joint team of experts for directing the investigations of its project.

(3) Devighat Hydro-electric Project : This project would provide 14 MW of electricity in Nepal.

(4) A joint groups of experts would meet to consider a possible multipurpose project on the Rapti.

(5) In respect of supply of power on the Indo-Nepal border, the question of increasing the quantum of exchange from the present level of 5000 KW to 25000 KW is under examination.

Electrification of Villages in Saharsa District of Bihar

†3370. SHRI CHIRANJIB JHA : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(*a*) the number of villages in Saharsa District of Bihar electrified by 1975-76 under the Rural Electrification Scheme; and

(*b*) the number of villages proposed to be electrified during 1976-77?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF ENERGY (PROF. SIDDHESHWAR PRASAD) : (*a*) 267 villages in Saharsa District were electrified upto March, 1976.

(*b*) The State Electricity Board has intimated a target of electrification of 172 villages in Saharsa district during 1976-77.

पिछड़े क्षेत्रों की धारणा का पुनर्मूल्यांकन

3371. **श्री वसन्त साठे** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग पिछड़े क्षेत्रों की विद्यमान धारणा पर सूक्ष्म रूप से विचार करने तथा उसका वास्तविक तथा तथ्यात्मक पुनर्मूल्यांकन करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या परिवर्तन करने का विचार है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) और (ख) : पिछड़े क्षेत्रों के विकास से सम्बद्ध विभिन्न विषयों की एक समिति जांच कर रही है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों द्वारा बेहतर सेवा शर्तों की मांग

3372. **श्री वसन्त साठे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों ने बेहतर सेवा शर्तों की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की मांग की गई है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) मांगों का संबंध वेतनों में वृद्धि, सेवानिवृत्ति लाभों तथा सेवा की अन्य शर्तों जैसे बिना किराए का आवास, यात्रा भत्ता आदि से है।

(ग) मांगों की जांच की जा रही है।

वैगन निर्माण एककों को निर्धारित क्षमता के उपयोग के लिए कार्यकारी दल

3373. **श्री शक्ति कुमार सरकार**
श्री वसन्त साठे : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने वैगन निर्माण एककों की निर्धारित क्षमता के उपयोग के लिए कोई कार्यकारी दल बनाया है;

(ख) क्या एकक अपनी निर्धारित क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इन एककों की क्षमता क्या है और गत तीन वर्षों में वर्ष-वार तथा एकक-वार, इनका उत्पादन क्या था; और

(घ) इन एककों के पूर्ण उपयोग के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) यह मंत्रालय क्षमता का इष्टतम उपयोग करने के काम में बराबर लगा हुआ है।

(ख) अभी भी क्षमता का काफी उपयोग हो रहा है।

(ग) गत तीन वर्षों में इन एककों की अधिष्ठापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन नीचे दिया गया है :—

एकक का नाम	4-पहिए वाले वैगनों की क्षमता	4-पहिए वाले वैगनों का उत्पादन		
		1973-74	1974-75	1975-76
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी लि०	1000	—	8	112.0
ब्रिज एण्ड एफ० कं० लिमिटेड	785	421.3	363	300.0
ब्रिटानिया इन्जीनियरिंग वर्क्स	1500	—	122.5	207.5
ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी (ई०) लि०	3000	1761.5	1365	1856.0
बर्न एण्ड कंपनी लिमिटेड .	4500	22.5	345	1007.5
सिम्मको लिमिटेड . .	2000	2867.9	2064	2392.5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
हिन्दुस्तान जनरल इंडस्ट्रीज	1000	442.3	291	266.0
इंडियन स्टैण्डर्ड वैगन कम्पनी लिमिटेड	3911	82.5	30	700.0
जेसप एंड कंपनी लिमिटेड.	3279	680	504	295.0
के० टी० स्टील इंडस्ट्रीज (प्रा०) लिमिटेड	240	—	—	—
मोडर्न इंडस्ट्रीज	2000	447.5	548.5	528.5
सदर्न स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड	1000	353	217.5	47.5
टेक्समेको	3600	3200..8	3428	3264.00
	27815	10279.3	9286.5	10976.5

(घ) क्षमता के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि का सुनिश्चय करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) चार पहिए वाले 15,555 वैगनों के लिए क्रयादेश दिए गए हैं।

(2) वैगनों का निर्माण करने वाले एककों में हिस्से-पुर्जों का प्रावस्थाबद्ध-निर्माण करके अन्तर-सम्पूरकता और लागत युक्तिकरण प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(3) वैगनों का निर्यात करने हेतु गम्भीर प्रयत्न शुरू कर दिए गए हैं।

(4) वैगनों का निर्माण करने वाले एककों के उत्पाद-मिश्र का विविधीकरण किया जा रहा है जिसमें उत्साहवर्धक सफलता मिल रही है। पूर्वी क्षेत्र में एककों में उत्पाद का बाजारोन्मुख विविधीकरण करने के लिए रूपरेखा तैयार करने हेतु एक अध्ययन प्रारंभ हो गया है।

इलेक्ट्रॉनिकी उपकरणों के निर्माण के लिये लाइसेंस जारी करना

3374. **श्री वयालार रवि :** क्या **इलेक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान इलैक्ट्रानिक उपकरणों के निर्माण हेतु लाइसेंसों के लिए कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और कुल कितने लाइसेंस जारी किए गए?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : पिछले तीन कलैण्डर वर्षों (1973, 1974 तथा 1975) के दौरान इलैक्ट्रानिक उपस्कर के विनिर्माण के निमित्त 129 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से 55 आशय पत्र जारी किए जा चुके हैं। (जिनमें से 13 आशय पत्र ऐसे हैं जिन्हें औद्योगिक लाइसेंसों में परिवर्तित कर दिया गया है); 70 आवेदन पत्र रद्द कर दिए गए हैं तथा 4 मामले एकाधिकार निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति न मिलने के कारण रुके हुए हैं।

Rural Electrification in Indore Division of Madhya Pradesh

*3375. SHRI G.C. DIXIT : Will the Minister of ENERGY be pleased to state the amount given as assistance by the Rural Electrification Corporation for rural electrification programme in each division in Indore Division of Madhya Pradesh ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF ENERGY (PROF. SIDDHESHWAR PRASAD) : The Corporation has sanctioned loan assistance of Rs. 1729·908 lakhs for rural electrification in Indore Division of Madhya Pradesh. Districtwise details are as under :—

Sl. No.	Name of district	Amount of loan sanctioned (Rs. in lakhs)	Amount of loan disbursed (Rs. in lakhs)
1.	Indore	127·940	84·355
2.	Dewas	110·780	55·765
3.	Dhar	154·960	75·606
4.	Jhabua	108·546	56·343
5.	Khandwa	374·530	72·660
6.	Khargone	232·093	147·870
7.	Mandsaur	283·590	132·490
8.	Ratlam	79·989	49·629
9.	Ujjain	257·480	201·090
		1729·908	875·808

Loss in Industrial production in M.P. due to Power shortage

3376. SHRI G.C. DIXIT : Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state the loss suffered in industrial production as against the installed capacity as a result of power shortage in Madhya Pradesh during the period from 1974-75 to date ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI B. P. MAURYA) : It is very difficult to assess the estimated loss in production solely due to power shortage because the losses are generally due to a number of constraints such as shortage of imported and indigenous raw materials, non-availability of adequate furnace oil, lack of finance, slackness in demand, labour disputes etc.

ब्यास नदी पर पुल बनाने के लिये सेना के इंजीनियरों की सेवायें

3377. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्यास नदी पर पुल बनाने के लिए सेना के इंजीनियरों की सेवाएं मांगी गयी थीं; और

(ख) यदि हां, तो पुल का निर्माण कार्य कितना पूरा हो चुका है और उसमें कितनी धनराशि खर्च हुई है?

रक्षा मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) 5 जनवरी, 1976 को पुल पूरा कर दिया गया था और यातायात के लिए खोल दिया गया था। यह केवल अस्थायी पुल है जो सेना द्वारा उधार दिया गया है और इसे निर्माण करने की लागत नगण्य है।

सेवाओं में आरक्षण के मामलों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जातियों के लोगों के बीच भेदभाव

3378. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के एक भाग में रहने वाले अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को देश के दूसरे भाग में रहने वाले ऐसे ही अन्य व्यक्ति के सामन सेवा आरक्षण लाभ प्राप्त होते हैं ;

(ख) क्या अनुसूचित जन जातियों के लोगों पर यह सिद्धात लागू नहीं होता है और इन जाति मूल के निवासियों को एक राज्य में तो जन जाति का व्यक्ति घोषित किया जाता है परन्तु दूसरे राज्य में ऐसा नहीं किया जाता ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या गत 25 वर्षों में सरकार की सहायता से अनुसूचित जन जातियों के लोगों की तुलना में अनुसूचित जातियों के लोगों ने अधिक प्रगति की है और यदि हां, तो इस असंगित को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) : भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के खण्ड (1) तथा अनुच्छेद 342 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 संविधान (अनुसूचित जन जातियों) आदेश 1950 तथा संविधान (अनुचित जन जातियों) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951 में जिन जातियों प्रजातियों, जन जातियों, समुदाय आदि को निर्दिष्ट किया गया है, उन्हें भारत के विभिन्न राज्यों में तथा संघ राज्य क्षेत्रों के संदर्भ में अनुसूचित जातियां अथवा अनुसूचित जन जातियां, जो भी स्थिति हो, माना जाता है। इन आदेशों के उपबन्धों के अनुसार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के घोषित किसी भी व्यक्ति को, जहां तक केन्द्रीय सरकार के पदों अथवा सेवाओं में आरक्षणों अथवा ऐसे पदों अथवा सेवाओं में नियुक्ति के मामलों में रियायत का सम्बन्धी है, देश भर में एक जैसे लाभ प्राप्त हैं।

(घ) केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों तथा सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के प्रतिनिधित्व के संबंध में 1965 से 1975 तक के दशक में, जिसके संगत आंकड़े उपलब्ध हैं, अनुसूचित जन जातियों के कमचारियों की संख्या में वृद्धि का अनुपात उक्त दस वर्षों की अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों की संख्या से अधिक रहा है।

उपद्रवी भीड़ को नियंत्रित करने के लिये विशेष प्रकार के गोला-बारूद का प्रयोग

3379. **श्री राम सहाय पांडे : क्या गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे उपद्रवी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष उपद्रव बन्दूकों, लांचरों तथा रबड़ की गोलियों का प्रयोग करें;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या उक्त सामग्री केन्द्र सरकार राज्यों को देगी ?

गृहमंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । कुछेक चुने हुए पुलिस के बलों को केवल क्षेत्रीय परीक्षणों का अधिकार दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) इस सामग्री की सप्लाई की व्यवस्था केन्द्र कर रहा है।

ऊर्जा संबंधी राष्ट्रीय विचार गोष्ठी

3380. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में हाल ही में ऊर्जा के बारे में एक विचार गोष्ठी हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो विचार गोष्टि के निष्कर्ष क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्णचन्द पन्त) : (क) एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालज ऑफ इण्डिया और इस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज ने हैदराबाद में 5 से 7 मार्च, 1976 तक 'ऊर्जा पर राष्ट्रीय संगोष्ठि' का आयोजन किया था।.

(ख) इस संगोष्ठि की मुख्य-मुख्य सिफारिशें संक्षेप में संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

1. सरकार को निम्नलिखित उद्देश्यों पर आधारित राष्ट्रीय ऊर्जा नीति अपनानी चाहिए :

(क) आर्थिक विकास और जीवन स्तर में सुधार को सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना और उसका उपभोग बढ़ाना।

(ख) जनसंख्या के आर्थिक दृष्टि से सबसे निचले वर्ग के जीवन स्तर में सुधार के लिए इस वर्ग को अग्रता के आधार पर ऊर्जा की सप्लाई करना।

(ग) देश के विभिन्न भागों में तथा समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा उपयोग हेतु ऊर्जा युक्तिसंगत और साम्य युक्त वितरण।

(घ) ऊर्जा का संरक्षण।

2. सरकार को चाहिए कि वह ऊर्जा उत्पादन के तथा उपभोग के स्वरूपों के राष्ट्र-व्यापी सर्वेक्षण कराने का आयोजन करे और उपयुक्त सूचना व निर्देशन प्रणाली का गठन करे।

3. बृहत्त तथा लघु जल विद्युत दोनों प्रकार की स्कीमों के जरिए देश में जल विद्युत संभाव्यता का विकास द्रुत गति से किया जाना चाहिए।

4. जहां तक संभव हो उद्योग में हीटिंग (तापन) कार्यों के लिए तेल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जहां भी तकनीकी तथा आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो वहां तेल के स्थान पर कोयले पर विशेष तौर से घटिया किस्म के कोयले के इस्तमाल को प्रोसाहित किया जाना चाहिए।

5. जल्दी से बढ़ने वाले वृक्षों को वृक्षारोपन करके देश के वन क्षेत्र को 30 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए।

6. देश की परिवहन व्यवस्था को नया रूप दिया जाना चाहिए और इसमें सामूहिक परिवहन व्यवस्था, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षत्रों में सामूहिक परिवहन व्यवस्था पर और नदीय और सागरीय परिवहन व्यवस्था के तीव्र विकास पर बल दिया जाना चाहिए।

7. गोबर गैस संयंत्रों की प्रतिष्ठापना में तेजी लाई जानी चाहिए।

8. कोयला गैसीकरण और सौर ऊर्जा के प्रयोग और ज्वारीय, वायु और भू-तापीय विद्युत के विकास के क्षत्रों में अनुसंधान और विकास संबंधी कार्यकलापों में गति लाई जानी चाहिए। इसमें सौर ऊर्जा के विकास पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

9. तेल की खोज संबंधी गतिविधियों में तेजी लाई जानी चाहिए। चूंकि तेल की सप्लाई के लिए हमें विदेशी साधनों पर निर्भर करना पड़ता है, अतः अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को इस प्रकार से नया रूप दिया जाना चाहिए कि जो देश हमें तेल की सप्लाई करते हैं, उन के साथ परस्पर हितकर स्थिति बने।

10. ऊर्जा की खपत और उत्पादन का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की और पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

11 ऊर्जा नीति को तैयार करने और वांछित उद्देश्यों के अनुसार इस संवंध में मार्गदर्शन करने हेतु उचित संस्थानिक प्रबन्ध किए जाने चाहिए।

कोका-कोला कम्पनी, अमरीका के व्यापार चिह्न का उपयोग

3381. **श्री रानेन सेन : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोका कोला निर्यात निगम और भारत स्थित बोतल भरने वालों के बीच "फ़्रैन्चाइज" करार में यह शर्त है कि कोका कोला कम्पनी, अमरीका कम्पनी को व्यापार चिह्न का उपयोग करने की अनुमति केवल तभी देती है जब वे अमरीका को कोका कोला कम्पनी की नामित कम्पनी से सामग्री खरीदें; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रतिफल व्यापार चिन्ह के उपयोग के लिए है।

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : जी हां।

कोयले का उत्पादन और सप्लाई

3382. **श्री रानेन सेन :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपेक्षित किस्म के कोयल के उत्पादन और उपभोक्ताओं को उसके सप्लाई करने संबंधी समस्याओं की व्यापाक रूप से जांच करने के लिए एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को रेलवे ओर से उसे सप्लाई किए गए कोयले की किस्म के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उसमें पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) व (ख) : जी हां। लोक लेखा समिति की अपनी 154 रिपोर्ट (1974-75) में की गई सिफारिसों के अनुसरण में एक दस सदस्यों की समिति बनाई गई है जो रेलवे सहित विभिन्न उपभोक्ताओं को अपेक्षित किस्म के कोयले के उत्पादन और सप्लाई से संबंधित समस्याओं की व्यापक जांच करेगी। समिति से अपनी रिपोर्ट 31 अगस्त, 1976 तक सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया है।

(ग) व (घ) : घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई के बारे में रेलवे से समय-समय पर कुछ शिकायतें मिली हैं। रेलवे को समुचित किस्म के कोयल की सप्लाई सुनिश्चित करने की दृष्टि से मुख्य खनन सलाहकार, रेलवे बोर्ड, धनबाद द्वारा कोल इंडिया लि० की सलाह से, रेलवे को कोयले की सप्लाई का एक मासिक कार्यक्रम बनाया जाता है। सप्लाई करने वाली कोयला खानों द्वारा लदान के समय सामान्य सावधानी बरतने के अलावा, समुचित लदान देख-रेख हेतु रेल बोर्ड का एक निरीक्षण विंग भी है। कोल इंडिया लि० के किस्म नियंत्रण विभाग द्वारा भी यह देखने के लिए जब तब जांच की जाती है कि उपयुक्त किस्म के कोयल का लदान हो रहा है या नहीं। रेलवे सहित सभी उपभोक्ताओं को समुचित आकार तथा किस्म के कोयले की सप्लाई को सुनिश्चित करने हेतु कोल इंडिया लि० द्वारा खान-मुहानों पर कई उतराई-चढ़ाई तथा सफाई मशीनें लगाई जा रहीं हैं।

प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा विकास परियोजनाओं के प्रेस दौरे

3383. **श्री टुना उरांव**
श्री शक्ति कुमार सरकार } : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रैस सूचना ब्यूरो ने विभिन्न मंत्रालयों से सलाह करके देश में विभिन्न विकास परियोजनाओं के प्रैस दौरे आयोजित किए थे ;

(ख) क्या अधिकांश प्रैस-दौरों में महानगरीय अंग्रेजी समाचार-पत्रों के संवाददाताओं को सदैव शामिल किया गया ; और

(ग) बाहर के भाषाई दैनिकों के संवाददाताओं को देश में विभिन्न-विकास परियोजनाओं के बारे में लिखने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने तथा संकीर्णतावाद को रोकने में वें अपना योगदान कर सकें।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) पत्र सूचना कार्यालय द्वारा आयोजित किए गए प्रैस-दौरों में महानगरीय अंग्रेजी समाचारपत्रों के संवाददाताओं तथा अन्य स्थानों के भाषायी दैनिकों के संवाददाता शामिल थे।

(ग) पत्र सूचना कार्यालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रैस-दौरों में शामिल करने के अतिरिक्त, अन्य स्थानों के भाषायी समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों की प्रार्थना पर उनके विशिष्ट परियोजना स्थलों के दौरों की पत्र सूचना कार्यालय द्वारा व्यवस्था की जाती है। इन समाचारपत्रों की विभिन्न विकास परियोजनाओं के बारे में प्रैस सामग्री, विशेष लेख और फोटो भी पत्र सूचना द्वारा उपलब्ध किए जाते हैं।

समाचारपत्र वित्त निगम द्वारा छोटे और मध्यम स्तर के समाचारपत्रों को सहायता

3384. **श्री टुना उरांव : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्र वित्त निगम छोट और मध्यम स्तर के समाचारपत्रों को वित्तीय सहायता दे रहा है; और

(ख) और यदि हां, तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) इस प्रकार का कोई निगम नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात संयंत्रों को बिजली की कम सप्लाई

3385. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे इस्पात संयंत्रों सहित सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा हाल ही में बिजली की कमी के संबंध में शिकायत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय हित में उनकी समस्याओं को हल करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का वचार है?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : जहां तक सरकारी तथा निजी क्षत्रों के समेकित इस्पात संयंत्रों का संबंध है, दुर्गापुर स्टील प्लांट और अलॉय स्टील्स प्लांट, दुर्गापुर को छोड़ अन्य में हाल ही में बिजली की कमी की कोई सूचना नहीं मिली है। दामोदर घाटी निगम प्रणाली के कतिपय उत्पादन यूनिटों के जबरन बन्दी किए जाने (फोर्स्ड आउटेजिस) के कारण अप्रैल, 1976 में उक्त यूनिटों की बिजली की सप्लाई कम रही। सुधारात्मक उपाय किए गए है जिनके परिणामस्वरूप विद्युत सप्लाई की स्थित में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और जल्दी ही सप्लाई पूर्णतया सामान्य हो जाने की आशा है।

बिजली की कमी के बारे में लघु इस्पात संयंत्रों से अभी हाल ही में कोई शिकायत नहीं मिली है।

Dynamite Sticks unearthed in Orissa

3386. SARDAR SWARAN SINGH SOKHI : Will the Minister of HOME AFFIARS be pleased to state :

(*a*) whether one hundred or more dynamite sticks were unearthed in Orissa recently,

(*b*) whether any of the Government officials was involved in stealing, or supplying the same to unauthorised persons;

(*c*) the circumstances under which the lincence, if any, was issued;

(*d*) whether there was hand of any political party with ulterior motive; and

(*e*) if so, the steps Government propose to take to check recurrences in future ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F.H. MOHSIN) : (*a*) to (*e*) : The information from the state Government is being collected and will be laid on the Table of the House on receipt.

Shortage of Drinking water in Danapur Cantonment

3387. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(*a*) whether there is much discontentment among the residents of Danapur Cantonment due to shortage of drinking water; and

(*b*) if so, the steps taken by Government to meet this crisis ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI J. B. PATNAIK) : (*a*) and (*b*) : All the areas in Danapore Cantonment are getting drinking water but the supply is restricted to 9 1/2 hours per day. A special grant-in-aid of Rs. 2·55 lakhs has been sanctioned recently for improving the water supply.

Setting up of Administrative Tribunals for Service Matters

3388. SHRI K.M. MADHUKAR : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(*a*) whether Government have taken a decision to take our service matters from the jurisdiction of the Courts by setting up administrative tribunals; and

(*b*) if so, the main features thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTRY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA) : (a) and (*b*) : The matter is under consideration but no decision has been taken so far.

रक्षा सेवाओं में अधिकारियों का कोर्ट मार्शल

3389. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना में कर्नल तथा उससे ऊपर के पदों तथा जल सेना और वायु सेना में उनके समान पदों के कितने अधिकारियों के मामलों में इन तीनों सेवाओं में से प्रत्येक में गत तीन वर्षों में कोर्ट मार्शल हुआ ; और

(ख) उपरोक्त मामलों में थल सेना, जल सेना तथा वायु सेना के अलग-अलग कितने अधिकारियों को सजा दी गई और कितनों को अपराध मुक्त किया गया ?

रक्षा मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क)

थल सेना	5
नौसेना	2
वायु सेना	1

(ख) दोष मुक्त किए गये		दोष सिद्ध किए गए
थल सेना	1	2
नौसेना	—	2
वायुसेना	1	—

थल सेना के 2 मामले सेनाध्यक्ष द्वारा पुष्टि किए जाने के लिए अनिर्णीत पड़े हुए हैं।

कर्नाटक के मुख्य मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

3390. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित वह ज्ञापन सरकार के अभी तक विचाराधीन है जिसमें कर्नाटक के मुख्य मंत्री पर भ्रष्टाचार के तथा अन्य आरोप लगाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) कर्नाटक के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, शक्ति के दुरुपयोग आदि आरोपों के कुछ ज्ञापन राज्य विधान सभा के कुछ सदस्यों द्वारा 1973 में प्रधान मंत्री को प्रस्तुत किए गए थे। इन ज्ञापनों में 99 आरोप लगाए गए थे, जिनमें से 16 आरोपों का सम्बन्ध मुख्य मंत्री से था और शेष का सम्बन्ध राज्य सरकार के अन्य मंत्रियों से।

नियत कार्यावधि के अनुसार इन आरोपों के संबन्ध में मुख्यमंत्री को टिप्पणियां मांगी गई थी। प्राप्त टिप्पणियों से उत्पन्न कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण भी प्राप्त किए गए थे। मामले की जांच करने के बाद मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोपों को सारहीन पाया गया।

कुछ संसद सदस्यों द्वारा मुख्य मंत्री के विरुद्ध लगाए गए कुछ अन्य आरोप भी प्राप्त हुए थे। नियत कार्याविधि के अनुसार उनकी जांच की जा रही है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड की वर्ष 1974-75 की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

उद्योग और सिविल आपूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ

(एक) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारफोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-10779/76]।

मैसर्स ब्रेथवेटो एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड, कलकता के प्रबन्ध पर सरकारी नियंत्रण सम्बन्धी अधिसूचना

उद्योग और सिविल आपूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मैं उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 170(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 5 मार्च 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो मैसर्स ब्रेथवेटो एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिडटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध पर नियन्त्रण जारी रखने से सम्बन्धित है।

[ग्रन्थालय में रखी गई/देखिये संख्या एल० टी० 10780/76]

तमिलनाडु सामान्य खण्ड (संशोधन) अधिनियम, 1976

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद) : मैं तमिलनाडु राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1976 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तमिलनाडु सामान्य खण्ड (संशोधन अधिनियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (1976 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 12) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 17 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 10/81/76]।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त का वर्ष 1973-74 का प्रतिवेदन

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहिसन) : मैं संविधान के अनुच्छेद 338(2) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के वर्ष 1973-74 के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 10782/76]।

Budget Estimates of Damodar Valley Corporation for 1976-77 and Indian Electricity (Amendment) Rules 1975

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI SIDDESHWAR PRASAD) : I beg to lay the following pepers on the Table of the House :—

(1) A copy of the Budget Estimates (Hindi and English versions) of the Damodar Valley Corporation for the year 1976-77, under sub-section (3) of section 44 of the Damodar Valley Corporation Act, 1948. [*Placed in Library. See* No. LT-10783/76.]

(2) A copy of the Indian Electricity (Amendment) Rules, 1975 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 527 in Gazette of India dated the 10th April, 1976, under sub-section (3) of section 38 of the Indian Electricity Act, 1910. [*placed in Labrary. See.* No. Lt-10784/76.]

समिति के लिए निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि नारियल जटा उद्योग नियम, 1954 के नियम 4 के उपनियम (1) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली कालावधि के लिए नारियल जटा बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि नारियल जटा उद्योग नियम, 1954 के नियम 4 के उपनियम (1) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली कालावधि के लिए नारियल जटा बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सामान्य बजट---अनुदानों की मांगें---जारी

GENERAL BUDGET—DEMANDS FOR GRANTS—*contd*

कृषि और सिंचाई मंत्रालय---जारी

श्री शक्ति कुमार सरकार (जय नगर) : महोदय, मैं कृषि और सिंचाई मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं अपने राज्य पश्चिम बंगाल की कुछ समस्याओं के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। हमारी एक प्रमुख समस्या है बाढ़। हमें प्रतिवर्ष बाढ़ के प्रकोप का सामना करना पड़ता है, जिस के कारण लोगों की समस्यायें प्रतिवर्ष बढ़ रही हैं। इस कठिनाई को दूर करने और बाढ़ों पर नियंत्रण करने के लिए दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। परन्तु इसके द्वारा बाढ़ों से पूर्ण सुरक्षा नहीं मिल रही है। पहले यह निश्चय किया गया था कि आठ बांध बनाये जायें, परन्तु अन्ततः तीन बांधों के निर्माण के विचार को छोड़ दिया गया। पश्चिम बंगाल को बाढ़ों से बचाने के लिये यह जरूरी है कि पहले प्रस्तावों पर, जिन की विशेषज्ञ समिति द्वारा सिफारिश की गई थी, विचार किया जाये।

लोवर दामोदर बेसिन में बाढ़ों के नियंत्रण के लिये एक योजना की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान योजना से बाढ़ों का प्रकोप समाप्त नहीं हो रहा है। इस क्षेत्र के लिये एक नई योजना पर, जिसे लोवर दामोदर स्कीम कहते हैं, विचार किया गया है, तथा उस के लिये करोड़ों रुपये मंजूर किये गये हैं। परन्तु इस योजना को क्रियान्वित करने से 70,000 लोगों पर कुप्रभाव पड़ेगा। हजारों लोगों को ही नहीं अपितु सैकड़ों हाई स्कूलों और प्राथमिक स्कूलों को भी इसका शिकार होना पड़ेगा। इस बारे में वहां की जनता का एक प्रतिनिधि मंडल मंत्री

महोदय से मिला था तो इस योजना के क्रियान्वित करने से होने वाली हानि से उन्हें अवगत कराया था। कुछ संसद् सदस्य जिन में मैं भी शामिल था, भी मंत्री जी से मिले थे। बाढ़ पर दामोदर घाटी निगम ने कुछ हद तक नियंत्रण कर लिया है। अतः इस इतनी बड़ी योजना की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि इस योजना का पुनर्गठन किया जाये। दामोदर चैनल को छोड़ दिया गया है और इससे बाढ़ों का पानी नहीं निकाला जाता। वहां के लोगों को बचाने के लिये यह जरूरी है कि कुछ पानी इस चैनल में डाला जाए। ऐसा करने से तटबन्ध बनाने का भारी खर्च भी बच जायेगा। वस्तुतः तटबन्ध की कोई आवश्यकता भी नहीं है। एक अन्य खतरा है, यदि सारा पानी सीधा रुपनारायण नदी में डला गया तो इस से मिदनापुर जिले के लोगों को खतरा पैदा हो जायेगा। इस समय वे बाढ़ के खतरे से बचे हुए हैं।

यदि हम वास्तव में पश्चिम बंगाल को बाढ़ों से बचाना चाहते हैं, तो हमें विशेषज्ञ समिति द्वारा बिहार में तीन बान्ध बनाने सम्बन्धी की गई सिफारिश पर विचार करना होगा। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इन तीनों बान्धों के निर्माण के लिये वह बिहार सरकार से बातचीत करें।

मैं मंत्री महोदय से यह भी अनुरोध करता हूं कि बाढ़ों के नियंत्रण का उत्तर दायित्व वह स्वयं संभालें। इसे राज्यों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मैं श्री नाथू राम मिर्धा की इस बात से सहमत हूं कि भारत सरकार बाढ नियंत्रण का कार्य विशेषकर उन नदियों के बारे में जो कई राज्यों से हो कर बहती हैं, अपने नियंत्रण में ले। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है तथा मंत्री महोदय और सभा को इस पर विचार करना चाहिये।

जहां तक सिंचाई का प्रश्न है, उन राज्यों के सम्बन्ध में भी कुछ उपाय किये जायें, जहां नदियां नहीं हैं या भूमिगत पानी उपलब्ध नहीं है, जिससे उन राज्यों की भूमि का भी उपयोग दूसरी फसल के लिये किया जा सके।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र सुन्दरवन के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां कि भूमि भारत भर में सब से उपजाऊ है। वहां आप को 1200 वर्ग मील के क्षेत्र में एक भी पत्थर नहीं मिलेगा। वहां भूमि इतनी उपजाऊ है, कि उस की तुलना नहीं की जा सकती। परन्तु वहां सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध नहीं है। अतः ऐसे क्षेत्रों में जहां सिंचाई के लिये पानी की व्यवस्था करने की संभावना नहीं है, बरानी खेती का विकास किया जाना चाहिये। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह इस पर गम्भीरता से विचार करें और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को किसी परियोजना का विकास करने के लिए कहें। फसल की कोई विशेष पद्धति खोजी जानी चाहिये।

मत्स्य उद्योग के बारे में मैं कहना चहाता हूं कि पश्चिम बंगाल में मत्स्य उद्योग के विकास की बड़ी सम्भावनायें हैं। परन्तु राज्य का विषय होने के कारण इस की उपेक्षा की गई है। कलकत्ता में मछली की दैनिक आवश्यकता 353 मीटरी टन है, जबकि सप्लाई केवल 41 मीटरी टन है। यदि हम लोगों को भोजन देना चाहते हैं, तो हमें कुछ ठोस कदम उठाने चाहिएं।

SHRI CHANDRIKA PRASAD (Balia) : I rise to support the Demands of the Ministry of Agriculture. It is a matter of great pleasure that the warning of the Food and Agriculture Organisation that India will have to face servere famine in 1976 has proved false. The efforts on the part of farmers and scientists have saved us from famine. I am glad that the far sightness of the hon. Minister and his effecient handling of the department has resulted in considerable increase in the production of foodgrains. But we should not rest content and we must continue our efforts in this direction we should increase our production to such an extent that we begin exporting to other countries after fulfilling our needs.

The 20 point economic progrmme of the Prime Minister has created a wave of joy and hope among agricultural workers. But their problems are not yet completely solved. Their harassment and intimidation by the landlords is still going on. While papers of transfer of land have been given to them, they have not yet received the land. If they do not get the actual possession of land it will be a big sock to them, It appears that there is something wrong in the administrative machinery Therefore some non-official agencies should be set up at district and block levels to ensure that our policies are properly implemented.

The eastern districts of U.P. still remain neglected. About seventy percent of the agriculturists there have less than five acres of land which is not economic. Also they do not get adequate water and power. These things should be looked into.

Our areas is flood and drought prove. It is known to all that havoc is let loose by the floods. in Ganga, Ghagra, Punpun and Son rivers. Some solution should be found out for this problem. If some arrangements are made for storing flood water it could be later on used for irrigation. Government should seriously consider this matter.

Our Government, the agriculture scientists and the universities should pool their efforts for providing improved seeds, adequate water for irrigation and fertilizers etc. to the farmers so that they could provide more. The farmers should be given proper intentive for increasing production. Some machinery should be set up to ensure payment of fair wages to the agricultural workers.

In my area tube wells are being set up in private sector with loans from the world Bank for which the farmers are required to pay eleven or twelve percent interest which is too much. This rate of interest should be reduced.

It has been a long standing demand that sugar factories should be set up in public sector. But this has not been done. We want that sugar factories should be set up in co-opertive sector.

Our area is the most backward area in the country. There has been no development in that area during the last 27 years. Yet the Government of U.P. has imposed development tax there. This tax should be abolished.

SHRI SHIV SHANKAR PRASAD YADAV (Khagaria) : The area I represent i.e. Indo-Gangetic plain can be turned into granary, if the water of the rivers there is utilised for irrigation. But unfortunately this has not been done. On the contrary the recurring floods in Bihar have created a serious problem of land erosion in Mansi area. During the last eight or ten years crores of rupees have been spent to protect Mansi. As a result of it the situation has some what improved between Mansi and Khagaria. But the situation of land erosion from Khagaria to Monghyr Ghat continues to be serious which has adversely affected agricultural production. If the dam along Burhi Gandak in that area which has became very weak is strengthened and connected with Katarmala dam the situation could improve. I have given this suggestion to the Director of the Ganga Flood Control Commission and the Director has assured that this would be done.

It is also necessary to raise the level of Tirhut Road and Monghyr Ghat Road in that area as that will go a long way in solving the local flood problem.

It is a matter of great satisfaction that agricultural production has gone up and our farmers are now committed to produce more. But they are not getting necessary facilities. In many blocks I have seen the farmers are directed to purchase the pumping set for a particular firm and as a result there of they are unable to get the pumping sets of good quality. This smacks that the authorities have got some interest in those firms. All these things should be looked into.

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH (Chatra): While supporting the Demands for Grants of this Ministry, I would request the Government to put the subject of agriculture and irrigation in the Central list of the constitution. If we want our farmers to take interest in their work and produce more it is very necessary that they are given social respect. The Government of India as well as Department of Agriculture should ensure that farmers and agricultural labourers are given social respect.

Much is said about tractors and their prices. But how many farmers really use tractors in our country ? For the majority of farmers a tractor is nothing less than a dream. Most of our farmers carry on their agricultural operations with the help of plough and bullocks. Therefore, what is most important in our country is that there should be a scheme whereby bullcoks are available at cheap prices.

So far the philanthropists in our country have been constructing temples, schools and dharam shalas. Now the time has come when we should induce these people to construct dams and canals for irrigation. The Ministry of Agriculture will have to take the initiative in this regard.

As regards the Indian Council of Agricultural Research, it has been doing commendable work which has benefited the farmers a lot. In order that more and more people get the benefit, it is necessary that the researches made by the scientists are communicated to the farmers and do not remain confined to the Council. So their research work should be printed in regional languages and given wide circulation.

Recently the Rice Research Centre at Cuttack has evolved a new seed of rice whereby ten times more rice could be produced within 70 to 100 days. Such researches should be encouraged and those seeds should be distributed free to the farmers.

As regards the Damodar Valley Corporation, Bihar has not at all been benefited by its irrigation projects. Although there are schemes to benefit Bihar, they have not yet been cleared by the Centre. Whenever a question is asked in this regard in the House, the answer given is that they are under consideration. It is high time those schemes are cleared so that some water is made available to Bihar.

If we want the educated people to take up agriculture then a social awareness would have to be created that education do not mean going in for white-collared jobs. only. It is also necessary to give them proper training and provide agricultural inputs at cheap rates.

In the Prime Minister's 20-Point programme there is special mention of providing minimum wages for agricultural labourers. But we find that their wages differ from State to State. The Central Government should fix uniform wages in consultation with the Labour and Agriculture Ministers of the States.

Much is said about land reforms. But the fact is that the land refotm legislations have not yet been properly implemented. Although some people have been given land they have not yet got actual possession thereof. So long as the Centre do not take up the responsibility, this work could not have been done.

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

कई जल विवाद दशकों से विचाराधीन पड़ थे। इन्हें सुलझाने के लिए मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने गोदावरी नदी जल विवाद को न्यायाधिकरण से लेकर स्वयं सुलझाया है। अब सम्बन्धित राज्यों में समझौता हो गया है।

गत दस या पन्द्रह वर्षों से जल विवाद इसलिए विचाराधीन थे क्योंकि प्रत्येक राज्य ने कड़ा रुख अपना रखा था। इससे हमारे कृषि उत्पादन पर भी प्रभाव खराब पड़ता है। मेरा सुझाव है कि राज्य सरकारों के सहयोग से मंत्रालय राष्ट्रीय जल नीति बनाए और जल को राष्ट्रीय सम्पत्ति बनाया जाए। ऐसा जितनी जल्दी किया जाएगा, उतना ही अच्छा होगा।

मैं प्रधान मंत्री को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तीन राज्यों को मद्रास को पानी देने के लिए राजी किया है। मद्रास के लिए कृष्णा नदी से पानी ले जाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि पानी ले जाते समय रास्ते में पड़ने वाले रायलसीमा क्षेत्र को भी इसका लाभ मिलना चाहिए क्योंकि रायलसीमा क्षेत्र प्रायः सूखा ग्रस्त तथा अकालग्रस्त रहा है।

गत तीन चार योजनाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए पानी का उपयोग देश के 1640 लाख हैक्टैयर कृषि योग्य भूमि में से केवल 25 प्रतिशत भूमि पर हुआ है। देश में जल संसाधनों के उपयोग के लिए ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

नागार्जुन सागर, राजस्थान नहर, बिहार और कर्नाटक की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं कई दशकों से अधूरी पड़ी हैं। इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

गत वर्ष अच्छी वर्षा होने के कारण देश में 1180 लाख टन का रिकार्ड उत्पादन हुआ। यह एक अस्थायी बात है क्योंकि हमारी 75 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि मानसून पर आधारित है। अतः हमें इन क्षेत्रों के बचाव के लिए कदम उठाने चाहिएं और रिकार्ड उत्पादन को बनाए रखा जाना चाहिए।

पंजाब और हरियाणा में चावल का प्रति एकड़ उत्पादन सबसे अधिक 25,000 किलोग्राम हुआ है। तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश चावल प्रदेश कहे जाते हैं परन्तु वहां उत्पादन केवल 1,800 से 2,000 किलोग्राम हुआ है। इसका कारण पानी की कमी तथा किसानों को उसके उचित उपयोग की जानकारी का न होना है। यदि सरकार इस वर्ष के 510 लाख टन उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करना चाहती है तो राज्यों को उचित निर्देश देने होंगे।

उर्वरकों का मूल्य बढ़ गया है। सरकार को उर्वरकों की खरीद के लिए किसानों को राज सहायता देनी चाहिए ताकि उनके हितों की रक्षा की जा सके।

सीमान्त किसान योजना और लघु किसान योजनाओं को बड़े पैमाने पर लागू किया जाना चाहिए। अभी उन्हें नमूने के आधार पर चलाया जा रहा है। जहां तक सम्भव हो सके, सूखा पीड़ित क्षेत्र विकास योजनाओं को क्रियान्वित किया जाए।

यदि हम देश में कृषि का विकास करना चाहते हैं तो हमें चकबन्दी योजना को उच्च प्राथमिकता देनी होगी।

इस समय हम 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत बंजर और फालतू भूमि को गरीबों में वितरित करने में लगे हुए हैं। परन्तु जब तक उन्हें ऋण आदि उपलब्ध नहीं किया जाता तब तक भूमि वितरण के अपेक्षित परिणाम नहीं निकलेंगे और हमारी योजनाएं केवल कागजों में ही रह जायेंगी।

जहां तक गन्ने के मूल्य का सम्बन्ध है, पहले गन्ने के मूल्य को उससे बनने वाली चीनी की मात्रा से जोड़ा गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश अब यह प्रक्रिया छोड़ दी गई है। इसके परिणामस्वरूप गन्ने से अधिक चीनी निकालने वाले राज्यों को घाटा हुआ है। अतः मेरा अनुरोध है कि पुरानी प्रणाली फिर से शुरू की जाए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता देश में चीनी का उत्पादन नहीं बढ़ सकता।

कृषि मंत्रालय ने सम्पत समिति की सिफारिशों के अनुरूप नई चीनी मिलों को कुछ रियायतें दी हैं। इसके लिए मंत्रालय बधाई का पात्र है। केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों को नई चीनी मिलों को वित्तीय सहायता देनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (उलवेरिया) : परसों श्री वी० एन० रेड्डी ने अपने दल की ओर से इस मंत्रालय की मांगों पर अपने विचार व्यक्त किए थे।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*.]

साधारणतया देखा जाए तो पता चलता है कि हमने कृषि के क्षेत्र में प्रगति की है। हमारे उत्पादन में वृद्धि हुई है। तकनीकी प्रगति से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। परन्तु गहराई से देखें तो पता चलता है कि स्थिति उतनी सहज नहीं है। इसका पता हमें उस समय चलता है, जब हम देश के भूमिहीन लोगों की संख्या को देखते हैं।

देश में बेरोजगारी की समस्या ने विकट रूप धारण कर लिया है। इस समस्या को दूर करने पर विचार किया जाना चाहिए।

यदि हम भूमिहीनों की संख्या को देखें तो पता चलेगा कि हर वर्ष इसमें वृद्धि होती रहती है। वर्ष 1901 में ऐसे लोगों की संख्या 188.10 लाख, थी और वर्ष 1921 में यह 205.10 लाख हो गई। वर्ष 1951 में यह संख्या 275.10 लाख थी जो वर्ष 1961 में 314.80 लाख तथा वर्ष 1971 में 474.90 लाख हो गई। इस तरह से देश में भूमिहीन किसानों की संख्या बढ़ती गई। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी यह समस्या हल नहीं हो सकी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस समस्या का हल नहीं हो सका।

भूमि सुधारों के बारे में भी कुछ नहीं हो सका। महानालोविस आयोग का कहना है कि 20 मानक एकड़ की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बाद देश में 630 एकड़ भूमि बाकी बचेगी। परन्तु वर्ष 1975 में सरकार का अनुमान 37 लाख एकड़ का था। हाल ही में मंत्री महोदय ने बताया है कि यह लगभग 9 लाख होगी जिसमें से 4.1 लाख एकड़ भूमि पर कब्जा किया गया है और इसमें से 1.2 लाख एकड़ भूमि ही अब तक लोगों में बांटी जा चुकी है। वास्तविकता यह है कि हम भूमि सुधार के मामलों में असफल ही रहे हैं।

राष्ट्र का हित इसी में है कि जिन लोगों के पास 4 हैक्टर से अधिक भूमि है और जो स्वयं खेती नहीं करते, उनके पास भूमि नहीं रहनी चाहिए। बड़े व्यापक स्तर पर सरकार के सहयोग से सभी भूमि समितियों की सहायता से लोगों में बांट देनी चाहिए। केवल उच्चतम सीमा की नीति इसमें सफल नहीं हो सकती। प्रशासनिक समितियां भी इस काम को नहीं कर सकती क्योंकि भूस्वामी अधिकारियों को मजबूर करेंगे कि वे इस उद्देश्य को असफल कर दें।

हमारे संविधान के अन्तर्गत भूस्वामियों को तो सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त है, परन्तु वास्तविक खेती करने वालों को कुछ भी प्राप्त नहीं। यदि सरकार असफल रहती है तो उसे पता होना चाहिए कि भूखे और बेकार अपना-अपना रास्ता अपनाएंगे।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (वालासौर) : खाद्यान्न तथा कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का जीवन आधार है। मंत्रालय की सफलता 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की सफलता है। भारत की जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। लेकिन श्री जगजीवन राम के कुशल नेतृत्व में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को नई दिशा मिलेगी।

गत वर्ष खरीफ की फसल का रिकार्ड उत्पादन हुआ। यह 700 लाख टन तक पहुंच गया। यदि अर्थशास्त्रियों के अनुमान सही निकले तो रबी उत्पादन 400 लाख टन होगा। जहां खरीफ फसल का सम्बन्ध है, मंत्रालय को इसमें अभूतपूर्व सफलता मिली है।

आपात स्थिति की घोषणा से पूर्व बाबू जगजीवन राम ने कहा था सामाजिक परिवर्तन के साथ आर्थिक परिवर्तन भी होना चाहिए। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में बाबू जी ने कहा था देश में समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद ग्रामीण जनसंख्या की समस्या के आधार तथा स्वरूप के अनुरूप सामाजिक-आर्थिक विकास नहीं हुआ। यदि हम सामाजिक-आर्थिक विकास करना चाहते हैं तो कृषि मंत्रालय इसमें काफी कुछ कर सकता है।

हमारी अधिकांश जनता ग्रामों में रहती है यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों का ढांचा बदलना चाहते हैं तो हमें ग्रामीण जनता को रोजगार देने का द्रुत कार्यक्रम चालू करना होगा। आज देश के करोड़ों ग्रामीण युवक बेरोजगार हैं। कुछ समय पहले हमें शिक्षित बेरोजगारों की चिन्ता थी लेकिन आज हम ग्रामीण युवकों के विषय में चिन्तित हैं। तीन वर्ष पूर्व श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में सामुदायिक विकास परियोजनाओं का कार्यक्रम चालू किया गया था लेकिन शायद वह सफल नहीं हुआ।

पश्चिम बंगाल में कलकत्ता और हल्दिया पत्तन खतरे में हैं क्योंकि भारत और बंगला देश में कुछ विवाद है। शेख मुजीबुर्रहमान के समय में फरक्का बांध की समस्या का लगभग हल हो गया था लेकिन अब स्थिति बदल गई है अब वहां की सरकार हमारे साथ नजर नहीं मिलाती। लेकिन हमें बाबू जी के नेतृत्व में पूरी आस्था है और उनसे हमें पूरी आशाएं हैं। हम आशा करते हैं कि हमें कलकत्ता और हल्दिया प्रश्न के लिए अपेक्षित मात्रा में जल मिलेगा।

भूमि वितरण की समस्या भी जटिल है यद्यपि हमने हरिजनों और आदिवासियों को भूमि दी है लेकिन वह धनाभाव के कारण उस ओर समुचित ध्यान नहीं दे पाए हैं। भूमि बेधक बैंक उन्हें उर्वरक इत्यादि खरीदने के लिए ऋण नहीं दे रहे। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए।

यद्यपि सरकार ने खरीद मूल्य निर्धारित कर दिए हैं परन्तु उड़ीसा और अन्य राज्यों में चावल और धान बहुत सस्ता बिक रहा है। सरकार इसके प्रति जागरूक नहीं है और न ही सरकार किसानों से धान और चावल खरीदने की स्थिति में है। आज लोग यह सोचने लग पड़े हैं कि क्यों न धान अथवा चावल की खेती के स्थान पर नकदी फसलों की उपज शुरू की जाए। किसानों को इन फसलों के उत्पादन के लिये प्रोत्साहन नहीं प्राप्त हो रहा।

अब मैं सिंचाई की समस्या को लेता हूं। उत्तरी उड़ीसा में बाढ़ों और सूखे का बहुत प्रकोप है। वहां 1967 से लेकर अब तक 7 बार बाढ़ें आ चुकी हैं। गत 8 वर्षों के दौरान बालासोर, मयूरभंज और कटक जिलों में कई बार बाढ़ें आई हैं। उड़ीसा सरकार ने बहुत सी बाढ़ नियंत्रण योजनाएं भारत सरकार के पास भेजी हैं। स्वर्ण रेखा नदी परियोजना पर भी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

बुडाबलंगा नदी मयूरभंज और बालासोर जिलों से होकर गुजरती है। कुछ वर्ष पूर्व सरकार ने कुलियाना नामक स्थान के ऊपरी भाग पर एक जलाशय बनाने का निर्णय किया था। किन्तु अब उसे अस्वीकृत कर दिया गया है। अब सरकार इसके लिए दूसरा स्थान खोजने पर विचार कर रही है। सरकार को इस जलाशय के निर्माण पर समुचित विचार करना चाहिए। सालन्दी नदी को वैतरणी नदी से जोड़ा जा सकता है। इससे अधिक क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी।

सरकार को कृषि और सिंचाई की ओर अधिकतम ध्यान देना चाहिए। ये दो ऐसी चीजें हैं जोकि भारत की अर्थव्यवस्था का नक्शा बदल सकती हैं। यदि हम कृषि और खाद्य को उच्च प्राथमिकता दें और इसके लिए सिंचाई की व्यापक व्यवस्था करें तो इसमें संदेह नहीं जैसाकि कृषि आयोग ने कहा है कि भारत का वर्ष 2015 तक अपनी खेती योग्य भूमि का क्षेत्र दुगना हो जाएगा।

इन शब्दों के साथ में समाप्त करता हूं।

SHRI NARSINGH NARAIN PANDEY (Gorakhpur) : Mr. Deputy speaker, Sir, I rise to support the Demands of Grant for the Ministry of Agriculture and Irrigation.

About two thirds of our population depends upon agriculture and so, agriculture should be considered as the largest industry and the research institutions should also look at it from that point of view.

We can increase agricultural production by providing better irrigational facilities, good fertilisers and better quality of seeds to the farmers.

The controlling of the floods have been the greatest problem before us. On the other side there are 88 districts in the country which are affected by drought every year. It was suggested by a commission that if Ganga and Cauveri rivers are linked, the water of these rivers can be utilised for irrigation purposes. So some effective steps should be taken to implement this project.

A Flood Control Commission should be set up with an independent Charge under the Central Government. The State Governments have failed to put forward any effective flood control schemes before the Centre, though huge funds are allotted to them for this purpose.

We have different categories of land and so it is necessary that priority be accorded to implement land reforms. A ceiling Act has been passed but the landlords in order to escape from legal action have created trusts and societies and they have saved their land from being acquired by Government under the new law. Any loopholes in that act should be immediately plugged so that the landlords could not escape the provisions of this Act. The Cooperatives of landless labourers should be set up in rural areas for allocating surplus land to landless.

The sugar mill owners are following a tactics with a view to compelling the government to relax the credit squeeze policy, so that they can get loans easily. But the present position is that they still owe about Rs. 67 crores to sugarcane growers. In my area the owners of Mugli Sugar Mill have not paid wages to the labourers for the last 3 months. I fail to understand why stringent action is not being taken against them.

The Bhargava Commission's report is already there and it should be implemented and all sugar mills should be nationalised. It is stated that large funds are proposed to be given to sugar mill owners for modernising their mills. But in view of their past performance they should not be paid even a single pie. As an alternative a Sugar Authority should be created which should take over all sugar mills and run them.

With these words, I support the Demands of the Ministry of Agriculture and Irrigation.

श्री रणबहादुर सिंह (सिधी) : मेरे विचार में देश के किसी भी अन्य मंत्रालय पर राष्ट्रीय भविष्य का इतना अधिक दायित्व नहीं है जितना कि कृषि मंत्रालय पर है। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या ने उनके कार्य को और दुष्कर बना दिया है यद्यपि कृषि उत्पादन में प्रति वर्ष बढ़ोतरी हो रही है फिर भी गेहूं की उत्पादिता में निरंतर गिरावट आई है। यद्यपि किसान उत्तम खाद और बीज का भी प्रयोग कर रहे हैं और उनके पास सिंचाई सुविधाएं भी हैं तथापि परिणाम आशातीत नहीं है। अतः यह ऐसी बात है जिस पर मंत्रालय को सर्वप्रथम विचार करना चाहिए और इस दिशा में अनुसंधान किया जाना चाहिए ।

आज हमें ऐसे सहजीवी अनुसंधान करने की जरूरत है जोकि आज किसानों की जरूरतों को समझ सके तथा यह भी जान सके कि कृषि क्षेत्र में हमारी क्या-क्या आवश्यकताएं हैं। एक सप्ताह अथवा एक महीने के अन्दर हमें उनसे अवगत करा सके तथा उनका समाधान निकाल सके।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के लिए क्षेत्रीय समितियों की व्यवस्था करना संभव है।

मकई तथा बाजरे के संकरण में अनुसंधान करने की ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है । आदिवासी लोग कभी भी गेहूं और चावलों का उत्पादन नहीं कर सकते । उनके पास ऐसी भूमि है जिसमें इस तरह की फसलें नहीं उगाई जा सकतीं। यह विशेष प्रकार की भूमि छोटे ज्वार बाजरे के लिए उपयुक्त होती है और इसलिए इन आदिवासी लोगों के लिए कभी भी हरित क्रान्ति नहीं आ सकती। क्योंकि कोडाव तथा कुक्ती जैसे छोटे ज्वार बाजरे का उत्पादन संकरण के माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए ताकि ये अधिक उपज दे सकें।

छोटे ज्वार बाजरे का अनुसंधान उन्हीं खेतों में किया जाना चाहिए जहां यह उगाया जाता है और इस संबंध में तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए ।

कोई ऐसी संक्षिप्त पुस्तिका या विस्तृत प्रतिवेदन अथवा पुस्तिका नहीं निकाली गई है जिसमें सभी कीटनाशक दवाइयों तथा उर्वरकों के नाम तथा उनके व्यापार नाम दिए गए हों। यदि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् एक पुस्तिका में इस तरह की सारी जानकारी दे दे तो किसान अधिकांश कीड़ों से खेती को बचा सकते हैं।

इसी संदर्भ में मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे कुछ कृषि विश्वविद्यालयों का कार्यकरण चिन्ताजनक है। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना इसलिए की गई थी कि ये किसानों की सहायता करेंगे। इनका प्रबंध अब एक प्रबंध बोर्ड द्वारा किया जाता है। कृषि संबंधी जरूरतों को प्राथमिकता देने की बजाय इन बोर्डों का अधिकांश समय कृषि स्नातकों को, जोकि विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे हैं, बेहतर सेवा सुविधाएं प्रदान करने में बीत जाता है। अतः इन विश्वविद्यालयों के प्रबंध बोर्डों का गठन नए ढंग से किया जाना चाहिए।

वन हमारी बहुत बड़ी सम्पत्ति है और उनको धीरे-धीरे समाप्त करना हमारे देश के लिए खतरनाक बात है। यह देखते हुए भी कि यह समस्या का एक महत्वपूर्ण पहलू है अभी तक इस संबंध में नीति निर्धारित नहीं की गई है। क्योंकि संरक्षण हेतु हमें जनसहयोग लेना चाहिए।

संतोष की बात है कि राज्य मंत्रालय ने हमें सिधी जिले में एक शिकार शरण स्थली दे दी है। इस शरणय स्थल के विकास के लिए कुछ सहायता दी जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री कृष्णराव पाटिल (जलगाँव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। यह मंत्रालय गत वर्ष के दौरान सराहनीय कार्य करने के लिए बधाई का पात्र है।

यद्यपि इस मंत्रालय ने अच्छा कार्य किया है फिर भी कई कार्यक्रमों में सुधार की गुंजाइश है। देश में कृषकों में व्याप्त वर्तमान वातावरण के संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं विभिन्न राज्यों में स्थिति भिन्न हो सकती है। जहां तक मेरे क्षेत्र का संबंध है हमारा कृषक वर्ग ऐसा है कि जब हम फालतू भूमि, निहित स्वार्थों इत्यादि के बारे में बात करते हैं तो वह अपमानित महसूस करता है। अतः सरकार को भूमि सीमा कानूनों को अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करना चाहिए और वितरण के लिए फालतू भूमि निकालनी चाहिए इस संबंध में किसी प्रकार की अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए। मंत्री जी को अनिश्चित वातावरण दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए।

सबसे पहले मैं अधिक उपज वाली किस्मों संबंधी कार्यक्रम के बारे में सुझाव देना चाहता हूं। गत 8--10 वर्षों में फसल उगाने वाले कुल क्षेत्र में से अखिल भारतीय आधार पर अधिक उपज देने वाला कुल क्षेत्र 30--35 प्रतिशत है। राज्यों में इस संबंध में भारी विषमता है। कुछ राज्यों में अधिक उपज देने वाली किस्मों का उपयोग केवल 10 से 20 प्रतिशत भूमि में ही होता है। मेरे राज्य में तो 20 प्रतिशत भी नहीं है। अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग में इस असमानता को समाप्त किया जाना चाहिए और विभाग में हर स्तर पर इन किस्मों के उपयोग के कार्यक्रम को अधिकाधिक भूमि में लागू करने की भावना पैदा की जानी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि देश में बहुत सारी ऐसी भूमि है जो सामान्य वर्षा होने पर भी दो-दो फसलें दे सकती है परन्तु इसका पूरा लाभ नहीं उठाया जा रहा है। मानसून की तीन मास की अवधि में मूंगफली, बाजरा जैसीं अल्प अवधि की फसलें भी उगाई जानी चाहिएं। इसके बाद रबी की ज्वार या गेहूं बोई जा सकती है। इस प्रकार भूमि का अधिक उपयोग किया जा सकता है।

मेरा तीसरा सुझाव लम्बी अवधि की फसल के लिए है। मुझ कुछ शक है कि विभाग भूमि-विकास के आधारभूत पहलू को नहीं समझ रहा है। कृषि विकास के लिये लम्बी अवधि की ऋण नीति होनी चाहिये ताकि भूमि का भली प्रकार विकास हो सके। विगत 25 वर्ष से यह हो रहा है कि हम उचित आयोजन किये बिना ही काश्तकारों को ऋण देते जा रहे हैं। इसके लिए उचित आयोजन होना चाहिए।

मेरी पदयात्रा के दौरान अनेक लोगों ने मुझे से मूल्यनीति के बारे में अनेक प्रश्न किये। उन्होंने मुझे पूछा कि कृषि उत्पादों और तैयार माल के मूल्यों में असमानता क्यों है? मैं इसका कोई औचित्य नहीं बता सका। मूल्य नीति के संबंध में इस विभाग और योजना आयोग को कोई आर्थिक औचित्य निश्चित करना चाहिए ताकि लोग यह न समझें कि उनके उत्पाद के लिए उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा है।

पंडितजी ने नागपुर अधिवेश में आशा व्यक्त की थी कि पंचायत-राज संस्थान देश को बहुत लाभ पहुंचा सकती है। परन्तु विकेन्द्रीयकरण के 10--15 वर्ष के बाद भी हम देखते हैं कि जिला तथा पंचायत स्तर पर कर्मचारीवृन्द का उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। पंचायत राज तथा सहकारिकता योजनाओं की क्रियानीति तालुक स्तर से ही शुरू होनी चाहिये ताकि कृषकों को उचित लाभ पहुंच सके। इनके लिये इन योजनाओं की क्रियान्विति अत्यन्त आवश्यक है।

SHRI JAGDISH NARAIN MANDAL (Godda): Sir, I rise to support the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture and Irrigation and congratulate the Ministry for the success. They achieved in distribution of improved varieties of seeds and chemical fertilizers etc. to the farmers. The prices of fertilizers have been reduced four times during last one year and you propose to overcome all problem relating to fertilizers within next one year. There has been rapid increase in irrigation facilities and cultivation, of waste land. We hope you would take up research on wheat, gram, Bajra etc. etc. also.

Promulgation of Emergency has arrested black marketing and profiteering as well as hoarding; and as a result there of prices have come down. However, you are not having enough godown facilities. We do hope that our dream for self-sufficiency in foodgrains would come true very soon.

It is not good that the sugar mill owners still owe huge arrears to the cane growers. It is in crores of rupees despite some recoveries. Arrangements should be made for the payment of arrears.

Progress in the field of irrigation is still not satisfactory particularly in the backward States and areas. Bihar is always the victim of severe drought resulting in loss of damage to crops worth crores of rupees. There is very little irrigation despite enough water and facilities being available. It is only 2 per cent in Bihar.

It is a matter of regret that Sugathan Scheme is yet not complete despite 20 years old survey. Several rivers *viz.* Bansloi, Gumani and Ajay can be *tamed* and irrigation done in several lakh acres of land.

The Economic condition of people in hilly areas of Bihar is very bad. Their means of livelihood are diminishing day by day. Cultivation of save grass is now only 8 to 10 thousand maunds, only as against lakhs of maunds previously. Kurva and Mahuwa are also destroyed. This aspect should taken care of.

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी (चित्तूर) : कृषि व सिंचाई मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का हृदय से समर्थन करते हुए मैं अपने साथी श्री बी० एम० रेड्डी के इस कथन पर आश्चर्य व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस बार की भारी फसल का श्रेय केवल मानसून को ही दिया है तथा सरकार तथा मंत्रालय की नीतियों को नहीं। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि धान और गेहूं की भारी फसल के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अन्य प्रौद्योगिकी उपायों का विकास किया जाना जरूरी है। यह सरकार की निरन्तर सोची-समझी गई नीतियों तथा दशाब्दियों तक किये गये आयोजन का ही फल है कि देश में उचित इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है ताकि मानसून का उचित लाभ उठा कर उससे खाद्यान्नों की अच्छी उपज प्राप्त की जा सके। इस संदर्भ में समेकित ग्रामीण विकास संबंधी नीति तैयार करने के लिये वित्त मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। इस नीति से हमें देश में कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में विकास के लिये नया मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। साथ ही इससे देश के सामूहिक विकास के लिए स्रोत भी उपलब्ध हुआ है।

सरकार के प्रायासों तथा उपलब्ध सफलताओं की सराहना करने के साथ-साथ, मैं इस बात पर भी अपनी चिन्ता व्यक्त करता हूं कि हम अभी तक अपनी आयात पर निर्भरता, अभावों तथा अपने फालतू उत्पादों संबंधी समस्याओं को हल नहीं कर पाये हैं। विगत वर्ष की भारी फसल पर सरकार चकित रह गई और समर्थन मूल्य की उचित व्यवस्था नहीं हो सकी। वसूली तथा समर्थन मूल्य संबंधी नीति बुरी तरह असफल हुई। देश के अनेक भागों में तथा विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के कई जिलों में सीमान्त तथा छोटे किसानों को अपने उत्पाद बहुत ही कम मूल्यों पर बेचने पड़े। इस नीति की असफलता तथा खाद्य नियंत्रण व्यवस्था में कई गड़बड़ हो जाने से कृषि क्षेत्र में संकट की स्थिति और खराब हुई। खाद्यान्नों के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आने-जाने पर राज्यों द्वारा नियंत्रण रखे जाने के फलस्वरूप, भारी फसल होने के बावजूद भी कमी वाले क्षेत्रों में इन उत्पादों के मूल्य बहुत ऊंचे रहे। कमी वाले तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में आज भी यही स्थिति जारी है। मेरे विचार से इस प्रकार का नियंत्रण अविवेकपूर्ण है। इसके लिये केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों को उनके अभ्यावेदन-पेश किये गये कि देश में भारी फसल के बावजूद भी अभाव की स्थिति है। इस मामले पर गम्भीरता से वचार किया जाना चाहिये तथा खाद्यान्नों के आने-जाने संबंधी नियंत्रण में उचित फेरबदल की जानी चाहिये ताकि लोगों को कष्ट न हो।

फालतू अनाज की समस्या भण्डारण तथा वसूली की उचित व्यवस्था न होने के कारण भी बिगड़ी है। आज मूल्यवान खाद्यान्न असुरक्षित भण्डारण व्यवस्था के कारण नष्ट हो रहे हैं या उनकी किस्म खराब हो रही है। हमें 2 करोड़ टन तक अनाज का भण्डारण तथा वितरण व्यवस्था कर लेनी चाहिये।

यह भी सत्य है कि हमारी कृषि अभी भी मानसून की कृपा पर निर्भर करती है। अनिश्चित मौसम की संभाव्यता को सदैव ही ध्यान में रखा जाना चाहिये **(व्यवधान)** इसके लिए हमें समुचित इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्रौद्योगिकी का विकास करना चाहिये।

यह सत्य है कि आजादी के बाद हमारा सिंचित क्षेत्र दुगना हो गया है, हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विशाल इन्फ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया है ताकि मानसून द्वारा धोखा दिये जाने पर भी हम देश को अभाव की स्थिति से बचा सकें। मौसम की आंख मिचौली तो हमेशा ही चलती रहेगी, इसे हमेशा ध्यान में रखकर काम किये जाने चाहिएं। सरकार को देश में सूखा-उन्मूलन कार्यक्रमों को तेज करना चाहिये। रायलसीमा में शताब्दियों से अभाव की स्थिति रही है। यद्यपि सरकार ने सूखेवाले क्षेत्रों में ये कार्यक्रम क्रियान्वित किये हैं परन्तु अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। सूखे की स्थिति को स्थाई रूप में समाप्त करने के लिये बड़े-बड़े कार्यक्रम चलाये जाने चाहियें। इस संबंध में कई नदियों वाले राज्यों द्वारा मद्रास के लोगों के लिए पेय जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपना फालतू पानी देना स्वीकार किया जाना एक सराहनीय कदम है। कृष्णा नदी के जल को मद्रास पहुंचाना एक ऐतिहासिक प्रस्ताव है। इस परियोजना को रायलसीमा के सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों तक भी बढ़ाया जा सकता है।

अन्त में, मैं मंत्री महोदय का ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा कृषि उद्योग निगमों के माध्यम से राज्यों के लिए 22,000 ट्रेक्टरों के आयात में सहायता कार्यक्रम की ओर दिलाना चाहता हूं। इस कार्यक्रम के आरंभ में एक आई० एम० टी० ट्रेक्टर का मूल्य लगभग 55,000 रुपये बताया गया था तथा प्रार्थना पत्र मंगाये गये थे और अग्रिम राशियां वसूल की गई थीं। इसके बाद उनका मूल्य 60,000 रुपये बताया गया। मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि आयात-एजेन्ट को 20 प्रतिशत कमीशन दिया गया तथा फालतू पुर्जों के आयात पर 44% कमीशन दिया गया। आयातकर्ता को इतना अधिक कमीशन देना गरीब किसानों के साथ अन्याय करना है। चीनी सम्बन्धी नीति के अन्तर्गत चीनी मिलों को पूंजी परिव्यय पर $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत लाभ दिया जायेगा परन्तु केवल एक ट्रेक्टर आयात करने और उसे कृषकों में वितरित करने के लिये आप 20 प्रतिशत तथा फालतू पुर्जों के आयात पर आप 44 प्रतिशत कमीशन देते हैं। मंत्रालय इस मामले में हस्ताक्षेप करे तथा मूल्यों में कमी करे।

SHRI BHAGAT RAM MANHAR (Janjgir) : I rise to support the Demands for Grants of this Ministry. as it has done enormous work in improving the food situation in the country in the interest of the common people. The hon. Minister, the officers and particularly the scientists deserve applause for all that . However, there is still more scope for more efforts.

Besides conducting research in respect of wheat, barley, maize, cotton, and paddy, the scientists have not done any thing in respect of Kodo, Kutaki and Laser millet which are the principal foods of Adivasi Harijans in forest areas. The Ministry should look into it.

There are certain defects in our agriculture-policy which cause discontentment among our people. The new changes have left the farmers uncertain about the steps they should take for the development, of their agriculture. New land ceiling policy has made things uncertain for them. My suggestion is that the Government should give to the farmers certain definite assurances for some 15-20 years. Prices on their produce should also be secured.

We are copying the Socialist countries whereas none of them, other than Yugoslavia, is self-sufficient in respect of foodgrains, and all of them import foodgrains. Even the U.S.S.R. imports. It is because the agriculture labourers go on enjoying movies and television programmes after their 8-hour's duty. Whereas, in our country, the farmer loves his fields and is prepared to do work in it even at night. So, we should not copy at least those things of Socialist countries, which do not suit our conditions. We should have policies which are best suited to our interests.

At the time of crops, the farmers set cheap prices for their produce; but after their produce reaches the traders there occurs a change in Governments policy the sufferers are only the farmers and the traders get the profit. Government should look into this aspect.

As regards administrative set-ups, the authorities at district and village level have not planned programmes. With the result that the farmers do not get seeds, fertilizers and insecticides at the required time. This all hampers the way in growing a good crop. Therefore there should be proper pre-planning and adequate arragements for the availability of inputs.

Agriculture Service should be given the status equivalent to All India Services and it should be termed as All India Agriculture Service other Departments of agriculture should be declared technical officially also Monopoly in Co-operatives should be abolished and Harijans, Adivasis and people of backward areas should be given due representations therein, so that, they also get credit facilities easily. Your records show that Nationalised Banks are giving loans to the poor, Harijans and Adivasis, but in fact they are still in the clutches of sahukars and money-lenders even today. Furthermore, the position is such when they donot get loans either from the banks or the Sahukars. Government should do something solid in this respect.

Solving water disputes is no cure until you provide adequate funds also. You should make money available for at least undisputed schemes.

A major forest research institute should be set up in Bastar area. The World Bank has recently given Rs. 6 crores for that area. The Adivasis there should be employed for semi-skilled jobs and adequate arrangements should be done for their training.

Bastar is a very suitable place for dairy development and breeding farms also as this area has sufficient land, gross, water and labour only a determined intention and efforts are needed, to remove the backwardness of the area.

The Bilaspur Division had a good crop this year but the recoveries of new as well as old loans are being made from the farmers simultaneously which has resulted in grave financial hardship to them. They have reached a stage of starvation. Government should provide some relief to them.

श्री के० प्रधानी (नवरंगपुर) : मैं कृषि और सिंचाई मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं ।

हमारे देश की जनसंख्या तो सारे विश्व की जनसंख्या का 15 प्रतिशत है परन्तु हमारे पास भूमि केवल 2.4 प्रतिशत ही है। जनसंख्या में इस निरन्तर वृद्धि के फलस्वरूप हमारे देश में खाद्य की समस्या हमेशा ही एक राष्ट्रीय समस्या बनी रहती है। विगत तीन वर्षों में हमने क्रमश: 36 लाख, 48 लाख और 24 लाख टन खाद्यान्नों का आयात किया। कड़े सूखे के कारण 1975 में मूल्यों में भारी वृद्धि हुई थी। परन्तु अब मुद्रास्फीति विरोधी कार्यवाही और आपात स्थिति लागू करने के बाद से और वर्ष 1975-76 में अच्छी फसल होने के फलस्वरूप मूल्य कम हुए हैं। आज उपभोक्ता तो खुश हैं परन्तु उत्पादक इतने खुश नहीं हैं। कारण यही है कि बीजों, खादों तथा कृषि उपकरणों के तो मूल्य कम नहीं हुए हैं जबकि उनके उत्पादों के मूल्य बहुत नीचे आ गये हैं।

दूसरे, काश्तकार अपने उत्पाद सरकार द्वारा नियिमत समर्थन मूल्यों पर नहीं बेच पा रहे हैं क्योंकि वसूली केन्द्रों पर पहले ही भारी भण्डार जमा हैं तथा कुछ ने तो वसूली ही बन्द कर दी है क्योंकि उनके पास स्थान ही नहीं है। मेरा सुझाव है कि काश्तकारों को प्रोत्साहन देने के लिये बैलों के मूल्यों पर नियंत्रण लगाया जाये और वसूली केन्द्रों पर जमा भण्डारों को आगे भेजा जाये।

वर्ष 1975-76 में 1140 लाख टन खाद्यानों का उत्पादन हुआ है और हमारे पास 97 लाख टन का सुरक्षित भण्डार है। परन्तु हमें यह याद रखना चाहिये कि प्रायः हर एक वर्ष बाद हमारे देश में प्राकृतिक विपदायें आती हैं और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः हमें सदैव ही इतना भण्डार रखना चाहिये कि देश के हर केन्द्र पर निरन्तर दो वर्ष के लिये पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध हो सके।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा धान का वर्गीकरण स्थानीय वर्गीकरण से बिल्कुल मेल नहीं खाता। उदाहरणार्थ बासमती चावल का निगम ने स्टेन्डर्ड किस्म माना है। बासमती से आपका अच्छी और आकार में लम्बी किस्म एवम् सुगंध वाली चावल की किस्में हैं परन्तु इन्हें सुपरफाईन किस्म स्वीकार नहीं किया जा रहा क्योंकि वे निगम के फार्मूले के अनुसार नहीं हैं। निगम का फार्मूला है कि चावल की लम्बाई को यदि इसकी मोटाई से भाग किया जाये तो भागफल 2.8 या 3 होना चाहिये। इससे कम होने पर, आपका फाईन तथा छोटा होने पर भी, उसे सुपर फाईन नहीं स्वीकार किया जाता। इससे उत्पादकों को हानि होती है। उत्पादन में ह्रास होता है। निगम को चाहिये कि जब स्थानीय लोग इस किस्म की सुपर फाईन स्वीकारते हैं तो वह भी उसे मान्यता दे।

हमारे देश के 80 प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं जिन में से कुछ तो भू-स्वामी कृषक हैं और कुछ भूमि हीन मजदूर। उड़ीसा जैसे राज्यों में, जहां 65 प्रतिशत लोग गरीबी के नीचे के स्तर पर जीवन-निर्वाह करते हैं, भूमि का नहीं वरन कृषि साधनों का अभाव है और इसी लिए उत्पादन कम होता है। वहां सहकारिताओं का विस्तार किया जाना चाहिये तथा 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत समाज के निर्धन वर्ग को इन सहकारी संस्थाओं से अधिकाधिक लाभान्वित किया जाना चाहिये।

मेरे जिले में 1 प्रतिशत से भी कम भूमि के लिये सिंचाई सुविधायें हैं। इस दृष्टि से यह देश का सबसे पिछड़ा भाग है। केन्द्र सरकार ने इस क्षेत्र के लिए पोटीरी परियोजना हेतु 101 लाख रुपये की व्यवस्था की है जबकि राज्य सरकार ने 108 लाख रुपये रखे हैं। लेकिन वर्ष 1975-76 में बहुत कम राशि सरकार ने दी है। राज्य सरकार का विचार है कि इसी कारण परियोजना की प्रगति में विलंब हो रहा है। सरकार यथा शीघ्र पर्याप्त धन की व्यवस्था करे।

दूसरे, उड़ीसा सरकार ने राज्य योजना के अन्तर्गत ही कोलाब बहुउद्देश्यीय परियोजना को हाथ में लिया है। इसके पन-बिजली तथा सिंचाई दो अंग हैं। पन-बिजली परियोजना पर 58.97 करोड़ रुपये खर्च होंगे जबकि राज्य सरकार ने पांचवीं योजना अवधि के दौरान केवल 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इससे तो उस के निर्माण में 50 वर्ष लग जायेंगे और आगे 50 वर्ष सिंचाई परियोजना के पूरा होने में लगेंगे। ऐसी वित्तीय स्थिति है राज्य सरकार की।

इस वर्ष केन्द्र ने राज्य सरकारों द्वारा लगाई गई अनेक सिंचाई परियोजनाओं को अपने हाथ में लिया है तथा उन पर धन लगाया है। ताकि समाज का निर्धन वर्ग को लाभ पहुंचे। यह क्षेत्र विशेषतया अनुसूचित जाति क्षेत्र है तथा न्यूनाधिक भारत सरकार के ही सीधे

, नियंत्रणाधीन है। अतः कृषि मंत्रालय हस्तक्षेप करके इस परियोजना को केन्द्रीय परियोजना घोषित करके स्वयं अपने हाथ में ले और शीघ्र पूरा करे।

SHRI MOHD. JAMILURREHMAN (Kishenganj) : The strength of a nation can be judged by judging the personality that is at helms of affairs of that nation. We are very lucky in this respect as the leadership of this nation has not only very bravely faced the outer and inner dangers but also led the country forward in international field, as also in the fields of defence, agriculture and production.

The Minister in charge of Agriculture is Babuji (Shri Jagjiwan Ram) whose different qualities are well known. Bangla Desh mission is one example. We are quite sure that he would be fully successful in this Department also and our country would make good progress in agriculture. Many changes have come in this Department since he has taken over. Acute shortage, high prices and starvation among poor were common features before the promulgation of Emergency. There was alround frustration and disappointment. There were many conspiracies to retard the progress of the country. But the leader of our nation saved the country and is now fulfilling the promises which she had given to us.

After the promulgation of emergency, there is quite a peaceful atmosphere throughout the country. Production has increased in every field of activity. There is no doubt about it.

India has become self-sufficient in the matter of food grains and production has also increased. There can be no two opinions about it. It cannot be disputed that 80 percent of the total population of the country is engaged in agriculture. The Government should provide them basic amenities like water, electricity, agricultural inputs and medicines. In order to increase food production it is imperative that we increase irriga tion potential. At present only 45 million hectares of land is under irrigation in our country. This should be increased to 165 million hectares.

Kosi project has not fulfilled people's expectations. It could not supply water to the promised areas and as a result, the farmers suffered. The Government should seriously look into it and necessary arrangements to provide water to the vast stretches of land in Bihar should be made.

Six big rivers flow in North Bihar. That area is ravaged by floods during every monsoon season. Government should construct a dam in that region so that the floods could be controlled and power supply could be ensured for that area.

Efforts should be made to reduce price of agricultural inputs like tractors, pump sets, fertilizers and pesticides. I suggest that a Janta tractor should be introduced so that it could come within the reach of the average farmer.

As regards land reforms, some progress has been made in that direction, but much more would have to be done so that the benefits could be given to weaker section Land Ceiling law should be implemented more vigorously.

The surplus land should be distributed among poor farmers irrespective of the fact to which caste or community they belong. In this connection Bihar State minorities have passed a resolution in which it has been said that the 20-point economic programmes of the Prime Minister must be applied to the Muslims who should be treated as other weaker sections are treated.

Necessary infra-structure should be created in the rural areas so that the producers could market their produce easily. A guarantee minimum price should be announced in advance so that the producers receive necessary incentive to produce more.

The percentage of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other minorities in the Staff in the F.C.I., Seeds Corporation etc. should be increased.

Flood water has damaged the Durgah Sharif at Ajmer. Although Rs. 2-1/2 crores have been sanctioned by the Centre to carry out urgent repairs, the work has not yet started. Government should impress upon the State Government to carry out the repairs early.

With these words, I support the demands of this Ministry.

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मैं चर्चा में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने आलोचना भी की है। रचनात्मक आलोचना करने में कोई हर्ज नहीं क्योंकि इससे समस्या को समझने में सहायता मिलती है।

आज देश में खाद्य की स्थिति काफी सुधरी हुई है। मूल्यों की स्थिति संतोषजनक है। उपभोक्ताओं को राहत प्राप्त हुई है और देश में सभी लोग संतुष्ट हैं।

प्रतिपक्षी दल के एक सदस्य ने कहा है कि कृषि उत्पादन में थोड़ी वृद्धि से हमारी कृषि के अनवरत विकास की झलक नहीं मिलती। उत्पादन में वृद्धि का कारण वर्षा का समय पर होना है। यह सरकार की किसी नीति अथवा योजना का परिणाम नहीं है। मुझे इस पर आपत्ति है।

[श्री वसंत साठे पीठासीन हुए
SHRI VASANT SATHE *In The Chair*]

कृषि उत्पादन के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई है। उदाहरण के तौर पर प्रथम योजना के दौरान खाद्यानों का हमारा औसत उत्पादन 6 करोड़ 60 लाख टन था। चौथी योजना में यह बढ़कर 10 करोड़ 30 लाख टन हो गया। वास्तव में हमारा खाद्य उत्पादन जनसंख्या वृद्धि से आगे बढ़ गया है। क्या यह सरकार की कुशल नीतियों के अभाव में सम्भव था? पहले 14 वर्षों में वर्ष 1952-53 से 1964-65 तक विकास दर 2.5 प्रतिशत थी जबकि 1960-61 और 1970-71 की अवधि के दौरान यह 2.7 प्रतिशत थी। खाद्यानों के के उत्पादन में बढ़ोतरी की प्रवृति रही है। इससे पता चलता है कि कृषि उत्पादन के क्षेत्र में सरकार का भारी योगदान रहा है।

प्रथम योजना में हमारे चावल का औसत उत्पादन 2 करोड़ 87 लाख टन था। चौथी योजना में चावल का औसत उत्पादन बढ़कर 4 करोड़ 18 लाख टन हो गया। जहां तक गेंहू का सम्बन्ध है, प्रथम योजना के दौरान औसत उत्पादन 80 लाख टन था और यह बढ़कर 2 करोड़ 34 लाख टन हो गया। इससे स्पष्ट है कि देश में कृषि उत्पादन बहुत संतोषजनक दर से आगे बढ़ रहा है। मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि सुधार की कोई गुंजाईश नहीं है। प्रधानमंत्री ने कृषि का जो समर्थन किया है उसी के कारण यह प्रगति हुई है। किसानों के सहयोग से भी कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है।

श्री बी० एन० रेड्डी ने कहा है कि भारत अब भी साम्राज्यवादी देशों से खाद्यानों का आयात कर रहा है। इसमें अनुचित क्या है? चीन भी अमरीका से खाद्यान्नों का आयात करता है। यदि भारत सरकार दूसरे देश से खाद्यान का आयात करती है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसलिए मैं श्री रेड्डी के तर्कों को स्वीकार नहीं कर सकता।

यह भी कहा गया है कि गेहूं की उत्पादकता कम हो रही है। वास्तव में विभिन्न फसलों में गेहूं की विकास दर ही अधिकतम रही है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सूखा, अपर्याप्ति बिजली तथा उर्वरकों इत्यादि के ऊंचे मूल्यों से इसे धक्का पहुंचा है फिर भी गेहूं की विकास दर अन्य फसलों की अपेक्षा अधिकतम है। यह दर 4.3 प्रतिशत है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि देश के कुछ भागों में गेहूं का उत्पादन संतोषजनक नहीं रहा है। उत्पादन में अवश्य कमी हुई है। लेकिन इस वर्ष स्थिति कुछ भिन्न रही है। पहले गेहूं की खेती केवल पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान और मध्य प्रदेश कुछ भागों में होती थी। लेकिन अब बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, आसाम और बंगाल में भी गेहूं की खेती की जा रही है। सरकार ने महाराष्ट्र में भी गेहूं उत्पादन के लिए प्रमुख परियोजना शुरू की है और यह किसानों के लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध हुई है।

भूमि सुधारों का ग्रामीण अर्थव्यवस्था से बहुत सम्बन्ध है। सामाजिक न्याय तथा समतावादी समाज की स्थापना की दृष्टि से भूमि सुधारों को बहुत ईमानदारी से लागू करना होगा। क्रियान्वयन के सम्बन्ध में कुछ आलोचना की गई है। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि पहले लोग भूमि सुधारों के प्रति इतने जागरूक नहीं थे जितने कि अब हो गए हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस विषय में रुचि ले रहे हैं। भूमि सुधारों के सम्बन्ध में सक्रिय कार्यवाही की जा रही है। वास्तव में 12 लाख हैक्टेयर के लिए विवरणिकाएं भर दी गई हैं। अद्यतन जानकारी के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा 11 लाख एकड़ भूमि अपने अधिकार में ले ली गई है और इसमें से 2.20 लाख एकड़ भूमि वास्तव में बांट दी गई है। आशा की जाती है कि अगले मई और जून के दो महीनों में सुधारों के क्रियान्वयन के क्षेत्र में समुचित प्रगति होगी।

मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने राज्य में भूमि सुधारों, विशेषकर भूमि की अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में बने कानूनों को कठोरता से लागू कराएं ताकि हम निर्धारित समय के भीतर कार्य पूरा कर लें।

जहां तक काश्तकारी का सम्बन्ध है, प्रथम और दूसरी योजना में हमने कुछ मामलों में भूमि के पुनः ग्रहण करने का अधिकार दिया है। काश्तकार को खेती करने का स्थायी अधिकार है। काश्तकारी को स्थायी तथा पैतृक बनाया जाए। काश्तकार को भूमि का स्वामित्व प्रदान किया जाना चाहिए।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि उर्वरकों के दाम बहुत अधिक हैं। उर्वरकों के दाम विश्व मंडी में भी बढ़ गए हैं। जो यूरिया हम पहले 500 से 600 रुपये प्रति टन तक खरीदते थे अब उसका मूल्य बढ़कर 3700 से 3,800 रुपये प्रति टन तक हो गया है। इसके बावजूद भी सरकार किसानों को यूरिया 2,000 रुपये प्रति टन बेच रही है। केन्द्रीय पूल को 349

करोड़ रुपये की क्षति हुई है क्योंकि सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मंडी से उर्वरक ऊंचे दाम खरीद कर उन्हें किसानों को कम दामों पर बेचा है।

हालांकि कृषि उत्पाद मूल्यों में अचानक गिरावट आई है, फिर भी हमें यह मानना होगा कि वर्ष 1972-74 के दौरान खाद्यानों के मूल्यों में 74 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब यह कमी 24 प्रतिशत हुई है।

मुद्रास्फीति के दो वर्षों के दौरान कृषि उत्पादों के मूल्यों में 80 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। हमारी सारी अर्थव्यवस्था अस्तव्यस्त हो गई है। उन निर्धन लोगों को बड़े कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं जिनकी क्रय शक्ति बहुत कम है। मूल्यों में कमी लाने की आवश्यकता है। मूल्यों में 24 प्रतिशत की कमी हुई है। चाहे हम वर्ष 1952 को आधार वर्ष मानें अथवा 1962 को आधार वर्ष मानें, निर्मित पदार्थों की तुलना में कृषि उत्पादों के मूल्य हमारे पक्ष में रहे हैं। जहां तक कृषि उत्पादों के मूल्यों में अचानक कमी का सम्बन्ध है, इस मामले पर ध्यानपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

हमारी अर्थव्यवस्था में वनों का महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में देश में पिछले 100 वर्षों में वनों को बड़े-पैमाने पर काटे जाने से परिस्थिति सम्बन्धी संतुलन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। वर्षा वाले कई क्षेत्रों में पेड़ इत्यादि नहीं हैं। लेकिन अब इस समस्या के प्रति लोग जागरुक हो रहे हैं।

प्रसन्नता की बात है कि इस मामले पर देश में काफी चर्चा हो रही है और लोग वनों के महत्व को समझने लगे हैं। सरकार भी जनता की भावनाओं के अनुकूल कार्य कर रही है। हम वन क्षेत्र की ओर अधिकाधिक ध्यान दे रहे हैं। वनों के संरक्षण के लिए लोगों में इसके प्रति जागरूकता लाने तथा उन्हें इस कार्य में शामिल करने की आवश्यकता है। यदि ग्राम पंचायतें, शैक्षिक संस्थान, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता इस कार्य में सहायता करें तो वनों की सुरक्षा सम्भव है तथा इससे उचित परिस्थिति को सन्तुलित बनाने में भी सहायता प्राप्त होगी।

जहां तक डेरियों का प्रश्न है, उनके बारे में मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि हाल ही में देश में दूध का उत्पादन काफी संतोषजनक रहा है। कुछ क्षेत्रों ने वास्तव में सरकारी डेरियों द्वारा दूध की एकत्र की जाने वाली मात्रा से अधिक मात्रा में दूध का उत्पादन शुरू कर दिया है हम प्रति वर्ष 14.20 अथवा 30 करोड़ रुपए का सप्रेटा दुग्ध चूर्ण आयात करते हैं और अब हमने पहली बार यह निर्णय किया है कि हम विदेशों से दुग्ध चूर्ण का आयात नहीं करेंगे और अपने देश की डेरियों का काम देश में उत्पादित होने वाले दूध और दुग्ध चूर्ण से चलाने की कोशिश करेंगे। इससे स्पष्ट है कि देश में उत्पादन की काफी संभावना है वर्तमान प्रवृत्ति डेरी उद्योग के लिए शुभ है।

मन्त्रालय नारियल बोर्ड के गठन की उपयुक्तता को समझता है। हमने इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं किया है हम इस सम्बन्ध में नारियल उगाने वाले राज्यों के विचारों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

कुछ सदस्यों ने राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में उल्लेख किया है । आयोग ने भारत सरकार के मार्गदर्शन हेतु एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किया है । इससे नीति निर्माण कार्य में बहुत सहायता मिलेगी । मन्त्रालय ने इन सिफारिशों को गम्भीरता से लिया है तथा इन सिफारिशों को शीघ्रातिशीघ्र लागू करने की कोशिश की जाएगी । हमने मन्त्रालय में इस कार्य लिए एक क्रियान्वयन विभाग की स्थापना की है । इन सिफारिशों से भावी नीतियों के निर्माण में भी बहुत सहायता मिलेगी ।

इस वर्ष खाद्यान्नों की वसूली बहुत सन्तोषजनक रही है । जहां तक खरीफ की वसूली का सम्बन्ध है हमने 50 लाख टन से ऊपर वसूली कर ली है। आशा की जाती है कि 60 लाख टन तक वसूली हो जाएगी । हमारी स्टाक की स्थिति बहुत अच्छी है केन्द्रीय पूल में राज्य सरकारों की सहायता से लगभग 1 करोड़ 10 लाख टन खाद्यान्न इकट्ठा हो गया है हमारा मूल अनुमान यह था कि 31 जुलाई तक हमारे पास 1 करोड़ 30 लाख टन स्टाक होगा । साथ ही यह भी आशा व्यक्त की गई थी कि शायद हम अपने स्टाक के लिए एक करोड़ 50 लाख टन की वसूली कर लें ।

यह कहा गया है कि उत्पादन का 15 प्रतिशत खत्ती में रखा जाए। खत्ती की निर्माण लागत आम भाण्डागार की तुलना में बहुत अधिक होती है । समीकरण भण्डार को देर तक सुरक्षित रखने के लिए हमें खत्तियों की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। लेकिन अभी हमारे पास संसाधनों का अभाव है। धीरे-धीरे हम सब काम करेंगे और खत्तियों की भी बारी आ जाएगी ।

यह भी कहा गया है कि बुलन्दशहर में गेहूं की खरीद के मामले में कुछ कदाचार व्याप्त है । भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार के ऐजेन्ट गेंहू को उसकी अच्छी किस्म न होने की वजह से खरीदने से मनाही कर रहें हैं।

जहां तक निर्यात का सम्बध है कृषि एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। हम इस वर्ष 1000 करोड़ रुपए के कृषि पदार्थों का निर्यात करने में सफल हुए हैं ।

कृषि के सम्बन्ध में देश का भविष्य उज्ज्वल है । हम यह सुनिश्चित करना होगा कि यह देश विश्व में कृषि के क्षेत्र में सबसे आगे हो।

SHRI C. D. GAUTAM (Balaghat) : We will have to learn a lesson from the droughts in the recent years. The lesson is that irrigation facilities should be increased more and more. The Centre is attending to major irrigation while the States are looking after minor irrigation works. The small schemes can help us in irrigation of our land.

There are old tanks which in the past provided irrigation to about 1000 acres, but the condition of those tanks is bad. They are not capable of storing water. Water of small rivers was also used in the past for irrigation but that is not being done now. Water which flowed from hills and which was utilised for irrigation is no longer being utilized. Rain water which is full of good chemicals could be stored properly for irrigation purposes. If State Governments and panchayats pay attention to these sources of irrigation our agricultural production can increase considerably. The Centre should ask the States to look into this matter.

Our district has produced a good quality rice known as 'Chinnaur'. This variety of rice gives very good smell. But the use of chemical fertilizers has affected that smell. The research scientists should look into this matter.

Bahiyar area of Balaghat District is a hilly area inhabited by Adivasis and Harijans. These people face a lot of difficulty in getting water. The Government should take steps to see that these people get water.

There was a copper mine in Malaj Khand. A township was growing there. A scheme should be prepared to provide irrigation facility there so that food production could be increased in that area to meet the requirements of the township that was coming up.

In my area agricultural labourers get work only for 5 to 6 months in a year. Some arrangements should be made to provide them work during the period when they are free. The price of rice in Balaghat District is 80 to 90 paise a kilogram, whereas in the neighbouring Bhandara District of Maharashtra it is Rs. 1·25 to 1·30 a Kilogram. If zonal restrictions are removed and these labourers are allowed to carry headload of rice to be sold in Bhandara District these people will be able to earn their livelihood during lean months. This matter should be given sympathetic consideration.

श्री वनमाली पटनायक (पुरी) : यह प्रसन्नता की बात है कि खाद्य उत्पादन बढ़ा है और अब भविष्य में हमें अन्य देशों के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा । वह दिन आने वाला है जब भारत खाद्य के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर ही नहीं हो जाएगा वरन् अन्न का निर्यात भी करने लगेगा ।

हमने अनेक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं जिन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद वित्तीय सहायता देती है, परन्तु उसके परिणाम क्या निकले हैं ? हम खतों में काम करने वाले लोगों के बारे में सोचना है । अत: कृषि शिक्षा के बारे में हम दूसरे तरीके से विचार करना चाहिए ।

चार वर्ष पहले कृषि सम्बन्धी शिक्षा के लिए प्रत्येक राज्य में कम से कम 50 स्कूल खोलने का प्रस्ताव था । स्कूल स्तर तक भी इस सम्बन्ध में कुछ शिक्षा दी जाए जिससे खेतों पर काम करने वाले भी कृषि की समस्याओं को समझ सकें । परन्तु ऐसा नहीं किया गया है इस कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए । इस योजनावधि में विभिन्न राज्यों में कम से कम कुछ स्कूल चालू किए जाने चाहिएं ।

मत्स्य पालन के सम्बध में साफ पानी में मछलियां पालने का कुछ अनुसंधान किया गया है । परन्तु 80 किलोमीटर क्षेत्र की चिकला झील के साफ पानी के सम्बध में कोई अनुसंधान नहीं किया गया है । विश्व बैंक के सहयोग से निर्यात के लिए इसका विकास किया जाना चाहिए । गत वर्ष 10 करोड़ रुपए की समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया था, परन्तु इसमें और वृद्धि की जानी चाहिए ।

सरकार ने कुछ कागज मिलों को वनों के सम्बन्ध में लाइसेंस दिया है और वे लोग एक तरफ से बांस काट रहे हैं। उन्हें वनों की तनिक भी चिंता नहीं है। प्रत्येक कागज मिल को उस वन के विकास के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए, जिसका वे उपयोग करते हैं। उन वनों के विकास के लिए उन्हें सुव्यवस्थित ढंग से काम करना चाहिए । यदि हम अपने उद्योगों का अपनी इच्छा के अनुसार विकास करना चाहते हैं तो वनों का विकास किया जाए ।

यद्यपि हम शक्ति का विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं परन्तु सामुदायिक विकास खडों को पर्याप्त वित्त प्रदान नहीं किया जाता । उन्हें न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम दिया जाए तथा अधिक गतिविधियां उन्हें न सौंपी जाएं। परन्तु उनके पास कृषि मंत्रालय के कुछ कार्यक्रमों को चालू करने के लिए भी पैसा नहीं है ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : हम सरकार को खाद्य के सम्बन्ध में इस देश को अभाव के बजाए आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने वाले देश में बदलने के लिए बधाई देते हैं । ऐसा सरकार द्वारा भूतकाल में अपनाई गई नीतियों के कारण ही संभव हो सका है ।

खरीफ की फसल में 700 लाख मी० टन का उत्पादन हुआ है और रबी की फसल में 450 लाख मी० टन अनाज का उत्पादन होने की आशा है इतने अनाज की पैदावार से कुछ समस्याएं उठ खड़ी होना स्वाभाविक है तथा मंत्रालाय को उस ओर ध्यान देना चाहिए । हमारे पास भण्डार की अच्छी व्यवस्था नहीं है। जितनी भी सुविधा हमें उपलब्ध हैं वह हमें कम होंगी क्योंकि 2 मास के अन्दर रबी की फसल भी आ रही है। इसलिए भण्डार की सुविधाए बढ़ाने के अतिरिक्त हमें अपनी नीति में भी परिवर्तन करना चाहिए जिससे हमें अधिक भण्डार न रखना पड़े।

एक मात्र जोन रखने के बजाए देश में 3 जोन रखे जाएं जिससे गेंहू तथा अन्य अनाज गैर सरकारी तौर पर भी लाया ले जाया जा सके और भारतीय खाद्य निगम पर अधिक भार न पड़े । हमें अपना मनोविज्ञान और नीति भी बदलनी चाहिए । कुछ नीतियां और नियम अभाव के समय सही थे परन्तु अब आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने पर गेहूं आदि के लाने ले जाने पर नियंत्रण और रोक लगाने की क्या आवश्यकता है ? गेहूं के परिवहन पर खुली छूट होनी चाहिए । इससे भारतीय खाद्य निगम का भार घटेगा ।

कृषि मूल्य आयोग प्रति वर्ष सरकार को अनाजों के मूल्य के सम्बन्ध में परामर्श देता है । परन्तु उनके द्वारा निश्चित की गई कीमत से किसान प्रसन्न नहीं क्योंकि निश्चित किए गए मूल्य उत्पादानों के मूल्य के अनुरूप नहीं हैं। जब अन्य वस्तुओं के मूल्य निर्धारण के लिए आयोग है फिर कृषि उपादानों के मूल्यों के लिए आयोग क्यों नहीं ।

सिंधु नदी जल करार, के अन्तर्गत 1960 में भारत को 1970 के बाद बिना किसी नियंत्रण के पानी का उपयोग करने का अधिकार दिया गया था । हमने पाकिस्तान को 100 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा दी है । हम रावी, व्यास और सतलुज पानी का उपयोग नहीं कर सके ।

पिछले 7–8 वर्ष से रुके पड़े थीन बांध को पूरा करने के लिए सरकार कार्यवाही करे । इस पानी के उपयोग से हम 10 लाख एकड़ और भूमि की सिंचाई कर सकेंगे ।

SHRI DALIP SINGH (Outer Delhi) : I rise to support the Demands of Agricultural Ministry. It is after a number of years that this year we are having good food production. But sir, I am sorry to point out that the more farmer inereases his productions, the lessor price he gets for his produce as its price goes down. The Agricultural

Prices Commission has made a recommendation for fixing a higher price of wheat but we are at a loss to understand how the rate of wheat has been fixed at the rate of Rs. 105 per quintal.

Representation of farmers should be there in Price Commission so that they may feel that their representative will fix the price.

The rates of power, fertilizers and diesel have increased but that of agricultural produce have not been increased. So I want that this should be kept in mind while fixing the price.

One acre on two acres of land, being given to landless under 20 point programme, cannot fulfil the needs of the person who gets that land. In this connection I suggest that a unit of 100 farmers should be made and they should be provided with all other facilities etc.

The farmers of Delhi who have got their land in Haryana should be allowed to bring wheat for their use. For last three years they are purchasing wheat for their use also because they cannot bring their produce from their fields situated in Haryana. The fertile land of the farmers of Delhi should not be acquired for residential purposes.

PROF. S. L. SAKSENA (Maharajganj) : The Minister of Agriculture deserves congratulations for having brought about the production of 114 million tonnes of foodgrains during the last year. It is learnt that 4 million tonnes of foodgrains is forcibly being thrust upon us by the U.S.A. It is not known why this quantity of foodgrains is being purchased from U.S.A. when we have a record production of wheat last year. Then, the farmer is very much disturbed due to falling prices of foodgrains because he is not getting even the support price that has been fixed. Government should see that the farmers get at least the support price fixed for his produce.

So far as distribution of land is concerned, rich people can circumvent the ceiling laws and only inferior quality lands are being distributed. At least, such lands should be given in which cultivation can be done and the holding should not be uneconomic.

The prices of fertilizers have risen very high and that has affected the consumption of fertilizers. Their prices should be brought to the level that existed in 1972.

The dams that are under construction for controlling floods, should be completed in consultation with the Nepal Government, so as to protect the entire Gorakhpur Division from floods.

Banks should be opened in rural areas to facilitate disbursement of loans to rural people.

A scientific study of the cost of production incurred by agriculturists should be undertaken and the prices of agricultural commodities should be determined after taking into account the increased cost of inputs and other things.

In regard to nationalisation of sugar industry Government should clearly state their intention, and the situation of uncertainty should be removed. Stringent action should be taken against those mill-owners who have not paid the dues of farmers. Measures should be earnestly taken to see that farmers get their dues at the earliest.

The problem of water-logging and seepage had not been solved so far and therefore, adequate attention should be paid in that direction.

The excise duty of Khandsari that was raised last year, has not been withdrawn even this year. It should be withdrawn, because it is a national cottage industry.

Action should be taken against those employers who have not deposited provident fund amounts. The Ghughli sugar mill of Gorakhpur is in a very bad condition and loans should be given to them so that they could clear the arrears of farmers.

SHRI N. P. YADAV (Sitamarhi) : The Bagmati river scheme in North Bihar is proposed to be completed at the cost of Rs. 29 crores, and an amount of about Rs. 3 crores has already been spent on it. Steps should be taken to complete it in consultation with the Nepal Government. If a barrage is constructed at the foot of Noonthar hill, about 20 miles north of Indo-Nepal border, it will help the people a lot and about 2 lakh acres of land can be brought under irrigation. A meeting of technical officers of India and Nepal should be convened in New Delhi, for taking expeditious measures to complete that scheme.

As regards land reforms, poor farmers who have cultivated lands on a share-basis for the last fifty years in Bihar, are being evicted and the incident in the village Kharbi in district Sitamarhi is an evidence in the matter. Action should be taken against those officials who have collaborated with land-lords for evicting cultivators.

The sugarcane growers do not get a remunerative price for their sugarcane. Therefore, in order to increase the acreage under cultivation of sugarcane, the price of sugarcane should be increased. Steps should also be taken to nationalise all the sugar mills as early as possible.

श्री डी० के० पण्डा (भंजनगर) : इस वर्ष अधिकतर चीनी मिलों ने दो मास पहले गन्ना लेना बंद कर दिया । परिणामतः कम उत्पादन हुआ और इससे चीनी का अभाव पैदा होगा । यह चीनी मिल मालिकों की चाल है चीनी का मूल्य बढ़ाने के लिए यह जनता और सरकार के प्रति धोखा है । इस सम्बन्ध में 300 संसद् सदस्यों ने चीनी उद्योग को हाथ में लेने का अनुरोध करते हुए एक ज्ञापन दिया है। चीनी उद्योग का आधुनिकीकरण करने के लिए रखे गए 74 करोड़ रुपए का उपयोग चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने में किया जाए । मैं सरकार से भार्गव समिति की सिफारिशों को लागू करने का अनुरोध करता हूं।

मिल मालिकों की ओर बड़ी राशि बकाया पड़ी है और वे उसके भुगतान की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकार उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाही करे। 20 सूत्री कार्यक्रम के उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य में ये मिल मालिक रोड़े अटका रहे हैं।

कृषि विकास कार्यक्रमों के लिए अधिक अवसर न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र का सन्तुलित विकास नहीं हो रहा है और वहां बेरोजगारी बढ़ रही है। गरीब किसानों को ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। अतः ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में सुधार किया जाए ।

उड़ीसा के भूमि में कुछ टुकड़ों पर भूमि हीन लोगों ने अधिकार कर लिया है। प्रत्येक टुकड़ा 2000 एकड़ का है । ऐसी भूमि के विकास के लिए सीमान्त किसानों और मजदूरों की सहकारी समितियां बनाई जाए । सरकार उन्हें इसके लिए रुपया दे । इन सहकारी समितियों में बड़े किसानों और जमींदारों को न घुसने दिया जाए। तब ही सरकार गरीबी पर कुछ चोट कर सकती है ।

सभापति महोदय : हमारे पास अब 90 मिनट शेष हैं और 19 सदस्य बोलने वाले हैं। प्रत्येक सदस्य 5 मिनट का समय ले सकता यदि कोई सदस्य न बोले तो 7 मिनट तक का समय दिया जा सकता है ।

SHRI JAGANNATH MISHRA (Madhubani) : There have been many devastating floods during recent years in many parts of our country. In Bihar a large area was visited by floods and large parts of Patna were submerged. The damages caused by floods amounted to 471 crores. In view of all this the decision to appoint a National Commission of Floods is very timely. The appointment of this Commission would go a long way in saving our country from the recurring menace of floods.

Modern methods of farming which required the use of big tractors and other mechanised implements do not suit our country. Because most of the land is fragmented, the surplus land which is made available recently is also in small fragments. Therefore, we have to rely on the traditional methods of farming. In this context cow occupied an important place. More attention should be paid towards rearing of cows.

At present we import fertilisers at a high cost. We must use indigenous methods for preparing manure. Good manure can be produced by night soil at a nominal cost. This method should be exploited so that valuable foreign exchange can be saved.

Government should pay more attention towards the development of agriculture. This will create employment opportunities in rural sectors and as a result the influx of rural population towards the cities will be stopped.

Adequate quantity of pesticides should be made available to the farmers. Irrigation facilities should be increased. The underground water can be tapped for the purposes of irrigation. Banking and credit facilities should be extended to the poor and marginal farmers. A scheme for crop insurance should be introduced in the villages.

श्री एम० एस० संजीवी राव (काकीनाडा) : कृषि मंत्रालय की अत्याधिक सफलता के बावजूद देश के किसानों का उत्साह सर्वथा समाप्त हो गया है । वे हताश हो गए हैं । हमें इस इसके कारण का पता लगाना चाहिए ।

गत वर्ष तक देश में उत्तम बीजों का अभाव था । परन्तु इस वर्ष राष्ट्रीय बीज निगम उसका निर्यात करना चाहता है । यह स्थिति इस कारण पैदा हुई क्योंकि सीमान्त किसान उसे खरीदने में असमर्थ है । मुझे भय है कि कहीं, यही स्थिति उर्वरक के सम्बन्ध में भी पैदा न हो जाए ।

इस वर्ष 15 लाख टन उर्वरक का उपादन हुआ है। और अगले वर्ष 18 लाख टन की उत्पादन होने की आशा है ।

मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह खेती के काम में आने वाले पदार्थों जैसे उर्वरकों, कीटनाशक औषधियों तथा बिजली इत्यादि की कमितों में कमी करें। वह इस बात से भली भांति अवगत हैं कि हमने 800 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा 40 लाख टन गेहू के आयात पर व्यय की है अत: 200 करोड़ रुपए की राजसहायता उर्वरकों को देने पर क्या आपत्ति है मैं उनसे इस विषय पर एक बार और विचार करने का अनुरोध करता हूं

पिछले वर्ष 48 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ जिसमें से 13 लाख टन चीनी निर्यात की गई और इससे हमें 435 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की आय हुई। लेकिन इस वर्ष केवल 43 लाख टन चीनी का ही उत्पादन हुआ है । मुझे भय है कि इस सम्बन्ध में भी हमें जूट उद्योग की स्थिति के समान स्थिति का कहीं सामना न करना पड़ जाए । पटसन उद्योग अब मृतप्राय हैं । बंगाल में वैकल्पिक कृषि रोज़गार की व्यवस्था की जाए ।

इस पृष्ठभूमि में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वह बडी परियोजनाओं के लिए और धन दें। उदाहरणार्थ मेरे राज्य आन्ध्र प्रदेश में एक बड़े जलाशय के निर्माण पर 300 करोड रुपया व्यय किया है लेकिन उससे मुश्किल से 10 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकी है यदि आप थोड़ा और धन दें तो हम इसके माध्यम से 20 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करने में समर्थ होंगे। केन्द्र को आंध्र प्रदेश में पोलावरम बांध को स्वीकृति दे देनी चाहिए। इससे आंध्र प्रदेश के लोगों को चावल का उत्पादन बढ़ाने में बहुत सहायता मिलेगी।

हमें मछलीपालन के क्षेत्र में विशेषता प्राप्त करनी चाहिए। हमने इस वर्ष 100 करोड़ रुपये के मूल्य की मछलियां निर्यात की हैं जबकि गत वर्ष 60 करोड़ रुपए के मूल्य की मछलियां निर्यात की थी। हमें केवल श्रीम्व और लोनस्टर मछलियों पर ही अपना ध्यान केन्द्रित नहीं रखना चाहिए। हमें अब टूना मछली भी पकड़नी चाहिए।

देश का तटवर्ती क्षेत्र 5,000 किलोमीटर है लेकिन हमारे पास केवल 11,000 यंत्रीकृत नौकाएं हैं। हमें विदेशों से और अधिक मछलियां पकड़ने वाली नौकाएं खरीदनी चाहिएं ताकि हम अधिक मछलियां पकड़ सकें।

SHRI RAM BHAGAT PASWAN (Rasera): Mr. chairman, sir I am grateful to you that you have given me this opportunity to speak.

We are all grateful to Babuji that under his able leadership there has been a marked progress in the development of agriculture and in food production.

The policy in regard to agriculture should be reoriented to give it a socialist bias. Land should be given to the tiller. It is regretted that in our country most of the cultivable land belongs to those who do not cultivate it. Government should see that the situation is remedied.

The 20-point Economic Programme aimed at ameliorating the condition of the weaker sections. But there are certain officials who are putting obstacles in the way of its implementation. Those officials should be dealt severely.

Although land reform measures are being implemented but the fact remains that very little land has been declared as surplus. The land owners have manipulated to keep the surplus land in their possession by circumventing the law by resorting to various methods. Not only that but, in some cases land belonging to Harijan families, for years is being taken away from them. For instance in the village Madhuban, District Darbhanga land belonging to 15 Harijan families has been taken away recently. Even the court has given a decree against those poor Harijan families. I will urge upon the Government to look into this case and see that justice is done to landless Harijans.

My area is prone to floods and a large part of land is flooded every year. Most of the Harijan live in low lying areas which are flooded year after year and they have to be evacuated. Government should see that the Harijan families are settled at a safer place.

The menace of flood is a recurring feature in our country. Government should devise a permanent solution to this problem so that the lives and property of the people could be saved.

श्री एस० एन० सिंह देव (बांकुरा): सभापति महोदय मैं आपका आभारी हूं कि समय की कमी के बावजूद भी आपने मुझे बोलने का मौका दिया है।

बाबू जी के कुशल नेतृत्व में कृषि और खाद्य उत्पादन में सराहनीय प्रगति हुई है ।

सिंचाई कृषि का महत्वपूर्ण अंग है । मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र पुरुलिया और बांकुरा की ओर दिलाना चाहता हूं । यह दोनों जिले छोटा नागपुर पठार के किनारे पर स्थित हैं। वहां की भूमि पथरीली है और वहां बड़ा सिंचाई कार्य अथवा बड़ी नदी घाटी परियोजना नहीं चालू की जा सकती । ये क्षेत्र सूखाग्रस्त है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत इस क्षेत्र को भी अपेक्षित राशि आवंटित की जानी चाहिए ताकि वहां सभी टैंकों और कुओं की मरम्मत की जा सके और छोटी नदियों पर तटबंधों का बड़े पैमाने पर निर्माण किया जाए जिससे कि इस क्षेत्र में आदिवासियों और गरीब हरिजनों की घनी आबादी वाले इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का लाभ मिले ।

कलकत्ता उच्च न्यायालय में 50,000 से अधिक मुकद्दमे अनिर्णीत पड़े हैं जिसके फलस्वरूप भूमि सुधार का उद्देश्य ही विफल हो गया है । केन्द्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और संविधान में उचित संशोधन करना चाहिए जिससे भूमि सुधार कार्य तेजी से किया जा सके ।

बांकुरा जिले में तारकेश्वर नदी परियोजना है । मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें। पश्चिम बंगाल सरकार ने उसका सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है । लेकिन धनाभाव के कारण कार्य आरम्भ नहीं हुआ है । इसके लिए शीघ्र धन आवंटित किया जाए ताकि इस परियोजना पर कार्य आरम्भ हो सके ।

कांसावती नदी परियोजना पर भी काम हो रहा है लेकिन धनाभाव के कारण इस कार्यक्रम में भी विलम्भ हो रहा है अतः इस परियोजना के लिए भी आवश्यक धन आवंटित किया जाए ।

*श्री आर० एन० बर्मन (बलूरघाट) : सभापति महोदय, मैं कृषि और सिंचाई मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं । बाबूजी और उनके सहयोगियों ने इस वर्ष प्रशंसनीय कार्य किया है उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं । यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा बाबूजी ने जिस भी विभाग का कार्यभार संभाला सफलता ने सदा उनके चरण चूमे । इस वर्ष देश के खाद्य उत्पादन में सराहनीय प्रगति हुई है । आशा है अगले कुछ वर्षों तक हम खाद्य स्थिति के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे ।

प्रैस में इस आशय के समाचार प्रकाशित हुए हैं कि भारत सरकार ने अमरीका से 4 लाख टन गेहूं और एक लाख टन चावल आयात करने के लिए अमरीकी सरकार के साथ करार किया है । मंत्री महोदय हमें यह बताएं कि क्या इस करार के अन्तर्गत खाद्यान्न राष्ट्रीय मूल्य पर आयात किए जा रहे हैं या इन खाद्यान्नों का वास्तविक मूल्य पी० एल० 480 समझौते के अन्तर्गत आने वाली लागत के बराबर है । सदन को बताया जाए कि यह समझौता पी० एल० 480 के समझौते का प्रतिस्थापन नहीं है ।

*बंगला में दिए गए भाषण अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतरण ।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

7—426LSS/76

यह भी समाचार प्रकाशित हुआ है कि भारतीय खाद्य नगम ने 5 अमरीकी कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही की है और 21.5 करोड़ डालर के मुआवजे का दावा किया है क्योंकि गत 15 वर्षों के दौरान इन कम्पनियों के ऐसा गेहूं सप्लाई किया है जिसका वजन कम पाया गया है और खराब भी पाया गया तथा वह मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त है ; अमरीकी सरकार द्वारा की गई जांच से यह भी पता चला है कि उन अमरीकी कम्पनियों के अधिकारियों को रिश्वत देकर और अन्य कई प्रकार के घोटाले करके यह कार्य किया गया है । सरकार को यह पता लगाने के लिए जांच करनी चाहिए, कि क्या इस घोटाले में हमारे अधिकारी भी अंतर्ग्रस्त हैं । और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी । सरकार को तोल की वर्तमान व्यवस्था में सुधार करने के लिए भी तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए क्योंकि ऐसा न करने से सप्लायर्स हमारे साथ धोखा करते रहेंगे ।

पश्चिम दीनाजपुर को उत्तरी बंगाल का गल्ले का भंडार कहा जा सकता है । इस जिले में वर्ष में केवल एक फसल होती है । हम इस जिले में बिजली की सप्लाई करने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर पाए हैं । जिसके फलस्वरूप सिंचाई न होने के कारण वहां दूसरी फसलें नहीं उगाई जा सकतीं । यहां सिचाई की पर्याप्त सुविधाएं देकर इस जिले में वर्ष में तीन फसलें सुगमता से उगाई जा सकती हैं । इस ज़िले की समस्याओं पर ध्यान देने हेतु राज्य सरकार को सहायता दी जानी चाहिए ।

इस जिले में तालाब, नहरें और नदियां बहुत हैं यदि नदियों पर तटबंधों का निर्माण किया जाए और तालाबों को साफ किया जाए तो इससे मत्स्यपालन का विकास हो सकता है और सिंचाई में भी सहायता दी जा सकती है ।

पश्चिम बंगाल में विशेषकर पन बिजली पैदा करने की बहुत अधिक संभावना है । बिजली की कमी के कारण हम सिंचाई सुविधाओं का विस्तार नहीं कर पाए हैं और हमारी उत्पादन दर भी नहीं बढ़ी है । केन्द्रीय सरकार को इस मामले को प्राथमिकता देनी चाहिए । नेपाल सरकार के साथ समझौता किया जाना चाहिए और नेपाल से निकलने वाली नदियों पर बांध बनाए जाने चाहिएं ।

जूट उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य न मिलने के कारण पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन घट रहा है । भारतीय जूट निगम भी धनाभाव के कारण पूरा जूट खरीद नहीं पा रहा है । व्यापारियों की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है जबकि गरीब किसानों का कुछ ख्याल नहीं रखा जा रहा है । सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए ।

श्री डी० पी० जदेजा (जामनगर) : मैं कृषि और सिंचाई मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं । मत्स्यपालन का विकास करने के लिए मंत्रालय बधाई का पात्र है । तट दूर और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के बारे में यदि हम सरकार और खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रतिवेदनों की ओर ध्यान दें तो पता चलेगा कि तटवर्ती पानी की अपेक्षा इस क्षेत्र में 12 से 13 गुना अधिक समुद्री संसाधन उपलब्ध हैं । यदि हम तटदूर और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य पर अधिक ध्यान दें तो इस से न केवल हमें बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की आय होगी अपितु इससे मानव जाति का भी भला होगा ।

हमने गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने की नौकाओं को खरीदने और उनके निर्माण कार्य को बढ़ावा देना आरम्भ कर दिया है। 30 मछली पकड़ने वाली नौकाएं आयात की जा रही हैं। लेकिन पता नहीं ये मछली पकड़ने वाली नौकाएं भारत में कब आएंगी क्यों न हम पुरानी मछली पकड़ने वाली नौकाएं आयात करने की अनुमति दें। क्यों न हम अपने भारतीय उद्यमियों को विदेशों में जा कर वहां ऐसी नौकाओं का पता लगाने और अपनी समुद्रीय सीमा में लाने की अनुमति दें ? यदि हम समुद्री संसाधनों का पूरी तरह से पता नहीं लगा पाते तो हमें कुछ देशों के साथ संयुक्त सहयोग करना चाहिए और केवल उन्हीं क्षेत्रों का पता लगाना चाहिए जहां आज हम मछलियां नहीं पकड़ते।

कृषि मंत्रालय को मछली पकड़ने की सीमाओं का विस्तार करने के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। पूर्वी समुद्र पर तो यह समुचित कार्य है। लेकिन पश्चिमी समुद्री तट के बारे में क्या होगा। हमें मछली पकड़ने की सीमा 50 मील तक तुरन्त बढ़ा देनी चाहिए। हम अपने मत्स्य पालन उद्योग का विकास करना चाहते हैं। यदि हम ऐसा करना चाहते हैं तो हमें मछली पकड़ने के लिए बन्दरगाह जैसी आधारभूत सुविधाएं देनी होंगी। मशीनों से चलने वाले सभी मछली पकड़ने वाली नौकाओं को शुल्क रहित तेल दिया जाए। सभी मत्स्य सम्बन्धी दस्तकारियों को संसाधन की सुविधाएं दी जाए। इसके अतिरिक्त सुगम और शीघ्र परिवहन सुविधाएं भी दी जाएं।

SHRI TAYYAB HUSSAIN (Gurgaon): Mr. Chairman Sir, I wholeheartedly support the demands of the Ministry of Agriculture and Irrigation. The Minister and his colleagues deserve congratulations for the happy food situation which we are having today.

Prices of agricultural inputs are high. These inputs like tractor etc. should be supplied to farmers at reasonable price.

The rate of interest on loans given to farmers for purchase of tractors and tube wells etc. is very high. It is higher than the interest being charged on loans given to industrialist. Farmers should be given loans on reasonable interest.

The P.A.C. has made certain suggestions in regard to the Emergency Agricultural Production Programme. Those suggestions should be kept in mind while implementing the programme.

Landless Harijans, small and marginal farmers find it difficult to make both ends meet. We should provide employment opportunities for them by development of fisheries, animal husbandry and small scale industries.

The Government is taking steps to give house-sites to Harijans in rual areas. But no attention is being paid to Harijans in cities. They should also be given house-sites.

More funds should be given for Jwahar Lal Canal. The control of Agra Canal is in the hands of U.P. Government. The result is that our areas do not get water in time. Also there is need for desilting the drains but the U.P. Government is paying no attention to it. This canal should be under the control of Haryana Government.

The Dargah Sharif at Ajmer is damaged by floods. Central Government gave a sum of Rs. 2-1/2 crores to Rajasthan Government but repair work has not been done so far. If the repair work is not done there is likelihood of more damage being done to Dargah in the coming rainy season.

Sugar industry should be nationalised as early as possible.

SHRI SWAMI BRAHMANANDJI (Hamirpur) : It would not be an exaggeration to say that wherever Babuji has gone success has followed him. It is because of his virtues. The Ministry has done good work for the development of agriculture. If all of us from high to low take part in development of agriculture our agricultural production will increase considerably.

Much land is used for growing flowers. The flowers are of little use to us. We cannot get food from them. My suggestion is that the land in banglows—be it of the Prime Minister or Chief Minister or the President—should be utilised for growing fruits instead of flowers. Everybody should do farm work for one hour daily. If that is done there cannot be any shortage of food grains in our country.

Tobacco cultivation requires lot of irrigation. The cultivation of tobacco should be stopped. Instead of tobacco we should go in for cultivation of foodgrains, that will help the country.

I support the Demands for Grants of the Ministry.

SHRI B. R. SHUKLA (Bahraich) : Tube-wells and pumping sets are within the jurisdiction of State Government whereas Canals and other means of irrigation are under the jurisdiction of Central Government. Tube-wells and pumping set are required for irrigation throughout the country. It is therefore suggested that the Central Government should also have control in this matter.

No mention has been made in the Report of the Ministry of Agriculture about Rapti river, which may be called sorrow of eastern districts of U.P. It is flooded every year and causes havoc to the entire area. Jal Kundi Dam has been approved. This project should be implemented at the earliest so that the eastern district of U.P. can be saved from the recurring disaster by floods.

Forests in Nepal terai area have been cut by Nepal Government. Since most of our rivers have their source in that region, Nepal Government should be requested not to cut those forests. Instead more trees should be planted there so that our soil could be protected from erosion. Flood warning centres should be set up in Nepal area also.

Small Farmers Development Agency scheme is laudable. This scheme is being implemented in my area, but the implementation work is not going on properly. This work should be entrusted to the most efficient people and this scheme should be implemented on war footing.

It has been stated tha there is no shortage of foodgrains and we have enough stocks. But I fail to understand as to why an agreement has recently been concluded with U.S.A. for the import of food grains, when we have enough stocks. I would request the hon. Minister to clarify the reasons for importing food grains from U.S.A. when we have adequate stocks.

The prices of foodgrains have come down. But the restriction on the movement of wheat from one State to another still remains. Zonal restrictions on the movement of foodgrains should be removed. That will help both the farmers as well as the consumers.

As already pointed out by a number of hon. Members the prices of fertilizers are very high. It should be reduced.

The employees of the Food Corporation of India are bureaucrats. They can be termed as white elephants. They are acting in collusion with local traders and do make purchases in proper time. It is, therefore, necessary to keep a watch on their activities otherwise the schemes formulated by Government will be foiled.

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

61वां प्रतिवेदन

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 61वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS 1976-77—*Contd.*

कृषि और सिंचाई मंत्रालय—जारी

श्री विश्वनारायण शास्त्री (लखिमपुर) : सभापति महोदय, कृषि और सिंचाई मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए , मैं मंत्रालय को और विशेषकर मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं । मंत्रालय ने सराहनीय कार्य किया है जिस के परिणामस्वरूप खाद्यान्नों के मूल्य स्थिर हो गए हैं और खाद्यान्न का अभाव समाप्त हो गया है । इस सराहनीय कार्य का प्रभाव समाज के हर वर्ग पर पड़ा है ।

जहां तक खाद्यान्नों के उत्पादन का प्रश्न है, उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है तथा वसूली भी लक्ष्य से अधिक हुई है । परन्तु भंडागारण की उचित व्यवस्था नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप मेरे राज्य में हजारों मीटरी टन धान खुले में रखा गया है । यह राष्ट्रीय बर्बादी है तथा इसे रोका जाना चाहिए ।

वाणिज्यिक दृष्टि से ही नहीं अपितु प्राकृतिक सुन्दरता बनाए रखने के लिए भी अच्छे वनों का होना बहुत जरूरी है । इसलिए मैं मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि वह वनों विकास के लिए एक विशेष परियोजना बनाएं । हमारी प्राचीन सभ्यता के दो मुख्य अंग थे—वन और नदियां । वैदिक युग से ही वनों को विशेष महत्व दिया जाता रहा है । अतः वनों के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिएं ।

आसाम में प्रायः बाढ़ें आती रहती हैं । विश्व की सब से शक्तिशाली नदी ब्रह्मपुत्र इस की तंग घाटियों से गुजरती है । यह एक अन्तर्राष्ट्रीय नदी है । इस नदी की बाढ़ों को रोकने के लिए राष्ट्रीय प्रयास होना चाहिए । यह कार्य राज्य सरकार पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, जिसके साधन बहुत सीमित हैं । इस नदी की बाढ़ों पर नियंत्रण करने के लिए केन्द्र द्वारा पर्याप्त राशि का नियतन किया जाना चाहिए ।

सुबनसिरी तथा अन्य सहायक नदियों पर बांध बनाने के लिए भारी राशि की आवश्यकता है । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस कार्य के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की जाए और यदि देश के संसाधनों से इतने धन की व्यवस्था न हो सके, तो विश्व बैंक से आवश्यक सहायता ली जानी चाहिए ।

ब्रह्मपुत्र से डिबरुगढ़ को खतरा पैदा हो गया है । इस नगर की हिफाजत के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिएं ।

आसाम में सिंचाई की बहुत कम व्यवस्था है । केन्द्रीय सरकार को आसाम राज्य की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा उन राज्यों की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए जिन में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं ।

अधिकतर छोटी-छोटी नदियां अरुणाचल प्रदेश से हो कर बहती हैं । उस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वनों का सफाया हो रहा है । यदि वहां वनों का सफाया हो रहा है, तो उसके नीचे आसाम में कुछ नहीं किया जाना चाहिए । वहां वनों की सफाई की बजाए वृक्षारोपण की परियोजना होनी चाहिए ।

सिंचाई और कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने कृषि और सिंचाई मंत्रालय के कार्य की सराहना की है ।

MR. CHAIRMAN : The hon. Minister may continue his speech tomorrow.

इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार 6 मई, 1976/16 वैशाख, 1898 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, May 6, 1976/Vaisakha 16, 1898 (Saka).

426LSS/76—GIPF